भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

भारिबैं /2014-15/52

गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.392/03.02.001/2014-15 **1 जुलाई 2014**

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज)

महोदय,

मास्टर परिपत्र-सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जारी विविध अनुदेश

सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने विविध विषयों पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को मास्टर परिपत्र जारी किए हैं। यह सूचित किया जाता है कि ऐसे मास्टर परिपत्रों में स्थान न पाने वाले 30 जून 2014 तक जारी निदेशों/अनुदेशों को यहाँ समेकित किया गया है। ऐसे सभी अनुदेशों की समेकित सूची सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। मास्टर परिपत्र बैंक की वेब साइट (http://www.rbi.org.in). पर भी उपलब्ध है।

भवदीय,

(के के वोहरा)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

गैर बैंकिंग विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 2 री मंजिल, संटर I, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कफ परेड, मुंबई-400 005
फोन:22182526, फैक्स:22162768 ई-मेल:helpdnbs@rbi.org.in

Department of Non Banking Regulation, Central Office, 2nd Floor, Centre I, WTC, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005
Tel No:22182526, Fax No:22162768 Email :helpdnbs@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढाइए

विषय सूची

पैरा नं:	विवरण
1	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) प्रणाली - दिशानिर्देश
2	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में रखी जमाराशियों के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45थ ख (QB)के अंतर्गत, नामांकन नियम
3.	चल परिसंपत्तियों की सुरक्षित अभिरक्षा/सांविधिक चलनिधि अनुपात संबंधी प्रतिभूतियों पर ब्याज वसूलना
4.	बैंक के पास रखी मियादी जमा राशियों को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में गणना नहीं करना
5.	हाज़िर वायदा संविदाओं, सरकारी प्रतिभूतियों के लेन-देन के निपटान में ढील/संशोधन तथा प्राथमिक निर्गमोंमें आबंटित प्रतिभूतियों की बिक्री से संबंधित परिचालनीय अनुदेश
6.	कार्पोरेट बांड लेनदेनों के लिए निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न(डेरिवेटिव्ज़) संघ(FIMMDA) का रिपोर्टिंग प्लेटफार्म
7.	शाखा /कार्यालय बन्द होने के संबंध में सार्वजनिक नोटिस पहले जारी करना
8.	सार्वजनिक जमाराशियों(निक्षेप) के लिए कवर-जमाराशियां स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा चल परिसंपत्तियों पर चल प्रभार का सृजन (क्रिएशन)
9.	अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण- “काल न करें” की राष्ट्रीय सूची (नेशनल डू नॉट कॉल रजिस्ट्री)
10.	वैकल्पिक निवेश निधि के माध्यम से निवेश – एनबीएफसी का एनओएफ गणना के संबंध में स्पष्टिकरण
11.	आय पर कर के लिए लेखांकन-लेखांकन मानक 22-पूंजी की गणना के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं का व्यवहार
12	ब्याज दर संबंधी भावी सौदों (इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स) का प्रारंभ - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ
13.	आवास परियोजनाओं के लिए वित्त-शर्तों में यह उपबंध शामिल करना कि पैम्फ्लेटों/ब्रोसरों/विज्ञापनों में यह प्रकट किया जाएगा कि संबंधित संपत्ति गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के पास बंधक है
14.	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग /दृष्टिहीन लोगों को ऋण सुविधा प्रदान करना
15.	करेंसी फ्यूचर्स में सहभागिता
16.	साख सूचना कंपनियों को आंकडों का प्रस्तुतिकरण – साख संस्थाओं द्वारा आंकडों की प्रस्तुति के लिए फार्मेट
17.	सरकार की ‘हरियाली हेतु पहल’ (ग्रीन इनिशियेटिव) का कार्यान्वयन
18.	जाली बैंक गारंटियों का उपयोग करके धोखा देने का प्रयास – कार्य – प्रणाली
19.	ऋण चूक अदला-बदली- उपयोगकर्ता के रूप में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
20.	प्ररिभूतिकरण लेनदेनों पर जारी दिशानिदेशों में संशोधन- सभी एनबीएफसी के लिए प्राथमिक व्यापारियों को छोड़कर
21	चेक फॉर्मों में सुरक्षा संबंधी विशेषताओं का मानकीकरण और उनकी वृद्धि –सीटीएस 2010 मानक का कार्यान्वयन
22.	उत्तर दिनांकित चेक (पीडीसी) को अपनाना/ समीकृत मासिक किश्त (ईएमआई) चेक को इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) (डेबिट) के अंतर्गत लाया जाना
23	प्रमुख सेवा प्रदाताओं का आईपीवी 4 से आईपीवी6 में अंतरण हेतु तत्परता
24.	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए जांच सूची (चेक लिस्ट), गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- माइक्रो फाइनेंस

	संस्था(एनबीएफसी- एमएफआई), गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- फैक्टरिंग संस्थाएं (एनबीएफसी-फैक्टर) तथा कोर निवेश कंपनी(सीआईसी)
25	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्राइवेट प्लेसमेंट –डिबेंचर आदि के माध्यम से धन राशि जुटाना
26	साम्यिक बंधक अभिलेखों को केन्द्रीय रजिस्ट्री के समक्ष फाइल किया जाना
27	वित्तीय संकटग्रस्तता की शुरू में ही पहचान, समाधान हेतु तत्काल उपाय और उधारदाताओं हेतु उचित वसूली: अर्थ व्यवस्था में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को पुनर्जाग्रित करने के लिए संरचना
28	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लेनदेनों के निकटतम रूपये में पूर्णांकित करना
	अनुबंध

1.[1]**गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) प्रणाली - दिशानिर्देश**

यह निर्णय लिया गया था कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विभिन्न पोर्टफोलियो में प्रभावी जोखिम प्रबंधन के लिए समग्र प्रणाली के भाग के रूप में परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली लागू की जाए। उल्लिखित दिशानिर्देश सभी बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू हैं, चाहे वे जनता से जमाराशियां स्वीकार करती हों /रखती हों या न स्वीकार करती/रखती हों। तथापि, रू 100 करोड़ की परिसंपत्तियों के आकार वाली (चाहे वे जनता से जमाराशियां स्वीकार करती हों/जनता की जमाराशियाँ रखती हों या न स्वीकार करती/रखती हों) या रू 20 करोड़ या उससे अधिक की जनता की जामराशियें की धारक होने (भले ही उनकी परिसंपत्तियों का आकार कुल पूंजी क्यों न हो) के मानदण्ड पूरे करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली लागू करनी है।

इस संबंध में अर्द्ध वार्षिक सूचना देने की प्रणाली शुरू की गयी और पहली परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन विवरणी 30 सितंबर 2002 की स्थिति के अनुसार एक माह के भीतर अर्थात 31 अक्तूबर 2002 से पूर्व एवं तदुपरांत उसी प्रकार केवल उन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जानी थीं जो जनता की जमाराशियों की धारक हैं। अर्द्ध वार्षिक विवरणियों में निम्नलिखित तीन भाग शामिल होंगे :

(i) एएलएम फार्मेट में विन्यासगत चलनिधि का विवरण

(ii) एएलएम फार्मेट में अल्पावधि गतिशील चलनिधि का विवरण

(iii) एएलएम फार्मेट में ब्याज दर संवेदनशीलता का विवरण

जनता की जमाराशियाँ न रखने वाली कंपनियों के मामले में पृथक पर्यवेक्षी व्यवस्था की जाएगी और उसे यथासमय सूचित किया जाएगा।

2.[2]गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में रखी जमाराशियों के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45**थ ख** (QB)**के अंतर्गत, नामांकन नियम**

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45थ ख के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जमाकर्ता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बी.आर.अधिनियम) की धारा 45य क के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार **एक व्यक्ति** को नामित कर सकते हैं जिसे, जमाकर्ता/जमाकर्ताओं के निधन पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा जमाराशि लौटायी जाएगी। भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 45यक के अंतर्गत बनाये गये बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम, 1985, ही संबंधित नियम हैं। नियमों की एक प्रति संलग्न की गई थी। तदनुसार, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियॉ जमाकर्ताओं द्वारा उक्त नियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट फॉर्म जैसे फार्म में किये गये नामांकनों को स्वीकार करें।

---

[1] 27 जून 2001 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.15/02.01/2000-2001 में ब्योरा दिया गया है।

[2] 28 जुलाई 2003 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.27/02.05/2003-04 में ब्योरा दिया गया है।

3.[3]चल परिसंपत्तियों की सुरक्षित अभिरक्षा/सांविधिक चलनिधि अनुपात संबंधी प्रतिभूतियों पर ब्याज वसूलना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45 झख के उपबंधों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को चल परिसंपत्तियां सरकारी प्रतिभूतियों/गारंटीशुदा बांडों के रूप में रखने की अपेक्षा है और ऐसी प्रतिभूतियों को किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक/स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. में ग्राहकों के सहायक सामान्य लेज़र खाते में अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास पंजीकृत किसी निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से किसी निक्षेपागार में अमूर्त खाते में अथवा जिस सीमा तक ऐसी प्रतिभूतियों को अभी अमूर्त स्वरूप दिया जाना हो उस सीमा तक किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक की किसी शाखा में रखने की अपेक्षा है ।

जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए, सरकारी प्रतिभूतियाँ रखने हेतु "ग्राहक के सहायक सामान्य लेज़र खाते" या अमूर्त खाते को बनाए रखा जाएगा जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45-झ ख के अनुपालनार्थ धारित प्रतिभूतियों को रखा जाएगा। जनता की जमाराशियों में वृद्धि या कमी होने पर प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री के लिए या प्रतिभूति की परिपक्वता(अवधिपूर्णता) पर नकदीकरण के लिए या विशेष परिस्थितियों में जमाकर्ताओं को चुकौती के लिए इस खाते का उपयोग किया जाना चाहिए तथा इस खाते का प्रयोग रिपो या अन्य लेन-देन करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

यदि कोई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी सहित) उल्लिखित पैराग्राफ में अनुमत से भिन्न तरीके की सरकारी प्रतिभूतियें का लेन-देन(सौदा) करती है तो उसे एतदर्थ एक दूसरा सीएसजीएल खाता खोलना होगा।

यह देखा गया है कि कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने या तो सरकारी प्रतिभूतियों को अमूर्त स्वरूप प्रदान नहीं किया है या उनको अमूर्त स्वरूप प्रदान कर दिया है, परंतु उसकी सूचना रिज़र्व बैंक को देने में असमर्थ रही हैं। इस प्रयोजन के लिए, तिमाही चल परिसंपत्ति विवरणी -एनबीएस-3 और एनबीएस-3 ए के सूचना देने के फॉर्मेटों में संशोधन किया गया है ताकि अमूर्त खाते (डिमैट खाते) के संबंध में सूचना शामिल की जा सके। इससे यह सुनिश्चित होगा कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा उपर्युक्त सूचना देने में चूक न हो।

यह भी संभव है कि कुछ ऐसी सरकारी प्रतिभूतियां / सरकार द्वारा गारंटीकृत बांड हों, जिन्हें अमूर्त नहीं कराया गया हो और जो कागजी रूप में हों जिन्हें नामनिर्दिष्ट बैंक से ब्याज के संग्रहण हेतु सुरक्षित अभिरक्षा से आहरित किया जाता हो और ब्याज संग्रहण के बाद उक्त बैंक में उन्हें पुनः जमा कर दिया जाता हो। उक्त प्रतिभूतियों को आहरित करने और पुनः बैंक में जमा करने की प्रक्रिया से बचने के लिए अब यह निर्णय लिया गया है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां / अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ कागजी रूप में रखी हुई इन प्रतिभूतियों पर नियत तारीखों पर ब्याज के संग्रह और उन्हें पुन: अभिरक्षा में रखने के लिए नामनिर्दिष्ट बैंक/कों को एजेंट/टों के रूप में प्राधिकृत करेंगी ताकि ये बैंक इन प्रतिभूतियों पर नियत तारीखों

[3] 31 जुलाई 2003 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.28/02.02/2002-03 तथा 17 मई 2004 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.37/02.02/2003-04 में ब्योरा दिया गया है।

पर ब्याज संग्रह कर लें। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां / अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ अपने नामनिर्दिष्ट बैंकर से संपर्क करें और नामनिर्दिष्ट बैंक के पक्ष में मुख्तारनामा दें ताकि वे कागजी रूप में रखी प्रतिभूतियों/रखे गारंटीकृत बांडों पर नियम तारीख/खों को ब्याज संग्रहीत कर सकें।

4. [4]बैंक के पास रखी मियादी जमा राशियों को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में गणना नहीं करना

यह स्पष्ट किया जाता है कि रिज़र्व बैंक गैर बैंकिंग वित्तीय कार्यकलाप करने के विशेष उद्देश्य से पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करता है। मियादी जमा में निवेश को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में नहीं माना जा सकता तथा बैंक के पास रखे गए मियादी जमा से प्राप्त होने वाली ब्याज आय को वित्तीय परिसंपत्ति से प्राप्त का आय नहीं माना जा सकता जैसा कि इन कार्यकलापों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45झ(ग) में "वित्तीय संस्थान" की परिभाषा के तहत शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, गैर बैंकिंग वित्तीय कार्यकलाप प्रारंभ करने तक, उक्त मामलों में तथा/ या बैंक के पास जमा रखे गए मुद्रावत का उपयोग केवल निष्क्रिय निधि का अस्थायी पार्किंग के लिए किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त , बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी , पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के छ: माह के भीतर आवश्यक रूप से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार प्रारंभ करें। यदि कंपनी द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से छ: माह के भीतर नहीं किया जाता, तब पंजीकरण प्रमाण पत्र स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। तदोपरांत, पंजीकरण प्रमाण पत्र का नियमन तथा कारोबार प्रारंभ करने के पूर्व गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अपने स्वामित्व में परिवर्तन नहीं कर सकती।

5. [5]हाज़िर वायदा संविदाओं, सरकारी प्रतिभूतियों के लेन-देन के निपटान में ढील/संशोधन तथा प्राथमिक निर्गमोंमें आबंटित प्रतिभूतियों की बिक्री से संबंधित परिचालनीय अनुदेश

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों / अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को अनुदेश दिया जाता है कि वे समय समय पर संशोधित 29 मार्च 2004 के परिपत्र आइडीएमडी.पीडीआरएस.05/10.02.01/2003-04 तथा 11 मई 2005 का आईडीएमडी.पीडीआरएस.4777, 4779 तथा 4783/10.02.01/2004-05 में सरकारी प्रतिभूतियों के लेन-देन के संबंध में दिए गए दिशानिर्देशों का, जहां भी लागू हों, अत्यंत सावधानीपूर्वक पालन करें। इस संबंध में उन्हें यदि कहीं कोई संदेह हो तो वे आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग को लिखें।

6. [6]कार्पोरेट बांड लेनदेनों के लिए निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न(डेरिवेटिव्ज़) संघ(FIMMDA) का रिपोर्टिंग प्लेटफार्म

[4] 15 मार्च 2012 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.259/03.02.59/2011-12 में विस्तृत सूचना दिया गया है।

[5] 11 जून 2004 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.38/02.02/2003-04 तथा 09 जून 2005 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.49/02.02/2004-05 में विस्तृत सूचना दिया गया है।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने कारपोरेट बांड लेन-देनों के लिए निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ को अपना रिपोर्टिंग प्लेटफार्म स्थापित करने की अनुमति दी है। यह भी अधिदेश दिया गया है कि इस प्लेटफार्म पर रिपोर्ट किए गए कारोबार/ ट्रेड का योग किया जाए साथ ही बीएसई तथा एनएसई पर रिपोर्ट किए गए कारोबार को समुचित रूप में प्रभावी बनाकर उन्हें भी रिपोर्ट किया जाए। सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ ओवर दि काउंटर मार्केट - कार्पोरेट बांड- सेकंडरी बाजार में किए गए लेनदेनों को फिमडा के रिपोर्टिंग प्लेटफार्म पर 1 सितंबर 2007 से रिपोर्ट करें। इस विषय पर परिचालन संबंधी विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत फिमडा द्वारा जारी किए जाएंगे। तब तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां नमूना रिपोर्टिंग-अभ्यास के लिए फिमडा से सीधे संपर्क करें।

7. शाखा/कार्यालय बन्द के होने के संबंध में सार्वजनिक नोटिस पहले जारी करना

[7]गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ किसी शाखा/कार्यालय को बंद करने की तारीख से कम से कम 3 माह पूर्व एक अग्रणी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र तथा प्रादेशिक भाषा के एक अग्रणी समाचार पत्र (जिसके प्रसार क्षेत्र में शाखा /कार्यालय आता हो) में इस आशय की नोटिस, जमाकर्ताओं, आदि की सेवा के लिए किए गए प्रबंध सहित देंगी।

8. सार्वजनिक जमाराशियों(निक्षेप) के लिए कवर-जमाराशियाँ स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा चल परिसंपत्तियों पर चल प्रभार का सृजन(क्रिएशन)

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अपने परिचालनों के लिए विभिन्न श्रोतों जैसे जनता से जमाराशियाँ, बैंकों से उधार, अंतर-कंपनी जमाराशियाँ, सुरक्षित/असुरक्षित डिबेंचरों आदि के द्वारा निधियों को जुटाती हैं।

[8]जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अपने द्वारा स्वीकार की गयी जनता की जमाराशियों के लिए हमेशा पूर्ण कवर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस कवर की गणना करते समय सभी (सुरक्षित/असुरक्षित) डिबेंचरों की कीमत तथा सभी वाह्य देयताओं, जो जमाकर्ताओं के प्रति समग्र देयताओं से भिन्न हों, को कुल परिसंपत्तियों में से घटा दिया जाए। इसके अलावा, एतदर्थ परिसंपत्तियों का मूल्य बही मूल्य या वसूलनीय/बाजार मूल्य में से जो भी कम हो पर आंका जाए। संबंधित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की यह जिम्मेदारी होगी कि उपर्युक्तानुसार आकलित परिसंपत्तियाँ यदि जनता की जमाराशियों के प्रति देयताओं को कवर करने से कम हों तो वह रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित करे। जनता की जमाराशियाँ स्वीकार करनेवाली/ जमाराशियों की धारक सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निदेश दिया गया था कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झख के अनुसार निवेशित सांविधिक चल परिसंपत्तियों पर अपने जमाकर्ताओं के पक्ष में चल प्रभार सृजित करें। कंपनी अधिनियम 1956 के आवश्यकताओं के अनुसार ऎसे प्रभार स्पष्ट पंजीकृत होने चाहिए.

---

[6] 31 जुलाई 2007 का गैबैंपवि.नीप्र/कंपरि.सं.105/03.10.001/2007-08 @ वास्तविक परिपत्र गैबैंपवि.नीप्र/कंपरि.सं.96/03.10.001/2007-08 में विस्तृत सूचना दिया गया है।

[7] 15 नवम्बर 1999 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.11/02.01/99-2000 में विस्तृत सूचना दिया गया है।

[8] 07 फरवरी 2005 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं47/02.01/2004-05 में विस्तृत सूचना दिया गया है।

[9]गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा सांविधिक चल परिसंत्तियों पर बहुसंख्यक जमाकर्ताओं के पक्ष में प्रभार सृजित करने में व्यक्त की गई व्यावहारिक कठनाइयों के मद्देनज़र यह निर्णय बाद में लिया गया कि जनता की जमाराशियाँ स्वीकार करनेवाली/जमाराशियों की धारक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झख एवं समय-समय पर इस संबंध में बैंक द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार रखी गई सांविधिक चल परिसंपत्तियों पर "ट्रस्ट विलेख" क्रियाविधि से अपने जमाकर्ताओं के पक्ष में चल प्रभार सृजित करें।

9. अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण- "काल न करें" की राष्ट्रीय सूची(नेशनल डू नॉट कॉल रजिस्ट्री)

[10]दूर संचार माध्यमों का उपयोग करके वाणिज्यिक कारोबार करने या बढ़ाने हेतु एजेंटों/व्यवसाय परिचालनों को बाहर से करवाने (आउटसोर्स बिजनेस आपरेशन्स) का व्यवहार भारत में उभर रहा है। ऐसे में इस बात की जरूरत है कि आम लोगों के निजी (प्राइवेसी) के अधिकार को सुरक्षा प्रदान की जाए और सर्वोत्तम व्यवसाय व्यवहार (के भाग) के रूप में ग्राहकों/ग्राहकेतर लोगों को आने वाले अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण पर, शिकायतों को कम करने के लिए, रोक लगायी जाए । भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण को रोकने के लिए दूर संचार अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण विनियमन ("दि टेलीकाम अनसालिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन्स (यूसीसी) रेगुलेशन,) बनाया है। इसके अलावा, दूर संचार विभाग (DoT) ने 6 जून 2007 को टेलीमार्केटर्स को सबंधित दिशानिर्देश के साथ-साथ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी की है। इन दिशानिर्देशों से टेलीमार्केटर्स को दूर संचार विभाग (DoT) या दूरसंचार विभाग द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी एजेंसी में अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया है तथा यह भी विनिर्दिष्ट किया गया है कि टेलीमार्केटर्स अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण के संबंध में दूर संचार विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा आदेशों/निर्देशों एवं ट्राई द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों/विनियमों का अनुपालन करेंगे। इस संबंध में विस्तृत क्रियाविधि ट्राई की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर भी उपलब्ध है।

इसलिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि:

i) वे ऐसे टेलीमार्केटर्स[11] (डीएसए/डीएमए) की सेवाएं न लें जिसने दूर संचार विभाग, भारत सरकार से टेलीमार्केटर्स का वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र न लिया हो;

ii) वे जिन टेलीमार्केटर्स (डीएसए/डीएमए) की सेवाएं लें, उनकी सूची, टेलीमार्केटर्स द्वारा टेलीमार्केटिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टर्ड टेलीफोन नंबरों के साथ ट्राई को दें; तथा

iii) वे यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा संप्रति जिन एजेंटों की सेवाएं ली जाती हैं, वे दूर संचार विभाग (DOT) के पास अपना रजिस्ट्रेशन टेलीमाकेटर्स के रूप में करवा लें ।

10. **[12]वैकल्पिक निवेश निधि के माध्यम से निवेश - एनबीएफसी का एनओएफ गणना के संबंध में स्पष्टिकरण**

---

[9] 4 जनवरी 2007 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.87/03.02.004/2006-07 में विस्तृत सूचना दिया गया है।

[10] 26 नवम्बर 2007 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.109/03.10.001/2007-08 में विस्तृत सूचना दिया गया है।

[11] 26 जुलाई 2013 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.353/03.10.042/2013-14 द्वारा शामिल किया गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 45झक के अनुसार एनबीएफसी का निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) के कुछ मामलों में यह पाया गया है कि एनओएफ के आंकड़े तक पहुंचते समय एनबीएफसी समूह कंपनी में अपनी निवेश की गणना इस आधार पर नहीं करती है कि एनबीएफसी द्वारा प्रायोजित जोखिम पूंजी निधि (वीसीएफ) द्वारा समूह कंपनी में किया गया निवेश होता है जबकि, वीसीएफ द्वारा धारित निधि में अंशदान पहले स्वंय एनबीएफसी से आता है।

वीसीएफ अथवा ऐसी कोई वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) [13] का अर्थ है निवेशकों द्वारा पूंजी का समूह और ऐसी एआईएफ द्वारा निवेशकों के लिए किया गया निवेश होगा। तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि एनओएफ आंकडों तक पहंच बनाते समय, एनबीएफसी द्वारा अपने समूह की संस्थाओं में किए गए निवेश को निवेश माना जाएगा यद्यपि निवेश सीधा अथवा एआईए/वीसीएफ के माध्यम से किया गया हो तथा जब वीसीएफ में निधि एनबीएफसी से आया हो जो 50% अथवा उससे अधिक हो; या जहां ट्रस्ट के मामले में लाभार्थी एनबीएफसी हो और वहां ट्रस्ट का 50% निधि संबंधित एनबीएफसी से आया हो। इस उद्देश्य के लिए" लाभार्थी स्वामित्व" का अर्थ होगा ट्रस्ट में निर्णय लेने एंव प्रभावित करने की शक्ति एंव क्षमता रखने वाला तथा ट्रस्ट की गतिविधियों के बाहर से उत्पन्न होने वाले लाभ का लाभार्थी होना। अन्य शब्दों में, एनओएफ तक पहुंच बनाने के लिए, आकार से पहले सार होगा। एनबीएफसी को सूचित किया जाता है कि अपने एनओएफ की गणना करते समय इस सिद्धांत को अपने ध्यान में रखे।

11. [14]आय पर कर के लिए लेखांकन-लेखांकन मानक 22-पूंजी की गणना के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं का व्यवहार

चूंकि आस्थगित कर परिसंपत्तियों तथा आस्थगित कर देयताओं के सृजन से कतिपय मुद्दे उभरेंगे जिनका प्रभाव कंपनी के तुलनपत्र पर पड़ेगा, अस्तु यह स्पष्ट किया जाता है कि इन मुद्दों के संबंध में विनियामक व्यवहार इस प्रकार है:

- आस्थगित कर देयता खातेगत शेष, चूंकि पूंजी की मदों में शामिल होने की पात्रता नहीं रखता है, इसलिए वह पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से टियर I तथा टियर II पूंजी में शामिल करने योग्य नहीं होगा।

- आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अगोचर परिसंपत्ति माना जाएगा और उसे टियर I पूंजी से घटा दिया जाएगा।

जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी के अनुपात (CRAR) की गणना सहित सभी विनियामक अपेक्षाओं के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ उल्लिखित स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखें और 31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष से अनुपालन सुनिश्चित करें।

---

[12] 7 अप्रैल 2014 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.373/03.10.01/2013-14 द्वारा शामिल किया गया।

[13] जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012 में वर्णित।

[14] 31 जुलाई 2008 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.124/03.05.002/2008-09 तथा 9 जून 2009 का गैबैंपवि.नीप्र/कंपरि.सं. 142/ 03.05.002/2008-09 में विस्तृत सूचना दी गई है।

इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि-

वर्तमान वर्ष हेतु राजस्व आरक्षित निधियों या लाभ-हानि खाते के प्रारंभिक-शेष को नामे करके सृजित आस्थगित कर देयताओं (DTL) को" अन्य देयताएं तथा प्रावधान" के अंतर्गत "अन्य" मद में शामिल किया जाएगा।

वर्तमान वर्ष हेतु राजस्व आरक्षित निधियों या लाभ-हानि खाते के प्रारंभिक-शेष में जमा करके सृजित आस्थगित कर परिसंपत्तियों (DTA) को "अन्य परिसंपत्ति" के अंतर्गत "अन्य" मद में शामिल किया जाएगा।

वर्तमान अवधि की एवं पिछली अवधि से अग्रानीत अगोचर परिसंपत्तियों तथा हानियों को टियर I पूंजी से घटा दिया जाएगा।

निम्नवत आकलित आस्थगित कर परिसंपत्तियों को टियर I पूंजी से घटा दिया जाएगा:

(i) संचित हानियों से संबंधित आस्थगति कर परिसंपत्तियाँ (DTA); तथा

(ii) आस्थगित कर देयताओं को घटाकर निकाली गई आस्थगित कर परिसंपत्तियां (संचित हानियों से संबंधित आस्थगति कर परिसंपत्तियों को छोड़कर)। जहाँ आस्थगति कर देयताएं आस्थगित कर परिसंपत्तियों (संचित हानियों से संबंधित आस्थगति परिसंपत्तियों को छोड़कर) से अधिक हों, वहाँ ऐसी अधिक राशि को न तो मद सं. (i) के बदले समायोजित किया जाएगा और न ही टियर I पूंजी में जोड़ा जाएगा।

12. [15]ब्याज दर संबंधी भावी सौदों (इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स) का प्रारंभ - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी द्वारा इस बारे में जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अपने अंतर्भूत जोखिमों की हेजिंग के लिए सेबी द्वारा ग्राहक के रूप में मान्यता प्राप्त एवं नामित एक्सचेंजों में ब्याज दर संबंधी भावी सौदे कर सकती हैं।ब्याज दर संबंधी भावी सौदों के लिए एक्सचेंजों में भाग लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ ऐसे आंकड़े छमाही आधार पर संबंधित छमाही की समाप्ति के अनुवर्ती एक माह में गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को संलग्न फार्मेट में प्रस्तुत करें जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित कंपनी का पंजीकृत कार्यालय आता हो।

13. [16]आवास परियोजनाओं के लिए वित्त-शर्तों में यह उपबंध शामिल करना कि पैम्फ्लेटों/ब्रोसरों/विज्ञापनों में यह प्रकट किया जाएगा कि संबंधित संपत्ति गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के पास बंधक है

---

[15] 18 सितम्बर 2009 का गैबैंपकि.नीप्र.कंपरि.सं.161/3.10.01/2009-10 में विस्तृत सूचना दिया गया है।

[16] 6 मई 2010 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.174/03.10.001/2009-10 में विस्तृत सूचना दिया गया है।

आवास/विकास परियोजनाओं के लिए वित्त प्रदान करते समय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ शर्तों में निम्नलिखित को भी विनिर्दिष्ट करें कि:

(i) बिल्डर/डेवलपर/मालिक/कंपनी पैम्फ्लेटों/ब्रोसरों/विज्ञापनों, आदि में यह प्रकट करेंगे कि संबंधित संपत्ति किस संस्था /कंपनी के पास बंधक है।

(ii) बिल्डर/डेवलपर/मालिक/कंपनी पैम्फ्लेटों/ब्रोसरों में यह उल्लेख करेंगे कि फ्लैटों।संपत्ति की बिक्री के लिए यदि अपेक्षित होगा तो वे उस संस्था/कंपनी, जिसके पास संपत्ति बंधक है, से अनापत्ति प्रमाणपत्र/अनुमति प्राप्त करके देंगे।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया था कि वे उल्लिखित विनिर्देशनों का अनुपालन सुनिश्चित करें और निधियाँ तब तक जारी न की जाएं जब तक कि बिल्डर/डेवलपर/मालिक/कंपनी उल्लिखित अपेक्षाएं पूरी न कर दें।

14. [17]गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग /दृष्टिहीन लोगों को ऋण सुविधा प्रदान करना

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा उत्पाद तथा ऋणों सहित सुविधाएं देने में शारीरिक रूप से विकलांग /दृष्टिहीन आवेदकों के साथ शारीरिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव न किया जाए. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अपनी शाखाओं को यह भी सूचित करें कि वे विभिन्न कारोबारी सुविधाओं का लाभ ऎसे लोगों को देने में हर संभव सहायता करें. [18]गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अपने सभी कर्मचारियों के लिए चलाये जाने वाले विभिन्न स्तरीय कार्यक्रमों में , एक उचित माड्यूल्स शामिल करें जिसमें शरीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को कानूनी तथा अंतराष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का अधिकार गारेंटी शामिल हो. इसके अतिरिक्त , गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा स्थापित शिकायत निवारण पद्धति के तहत शारीरिक रूप से विकंलांग व्यक्तियों के शिकायत का निवारण किया जा रहा है.

15. [19]करेंसी फ्यूचर्स में सहभागिता

अवशिष्ट गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को छोड़कर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां केवल अपने अंतर्निहित विदेशी मुद्रा जोखिमों को सुरक्षित (हेज) करने के लिए सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त, पदनामित करेंसी फ्यूचर्स एक्सचेजों में ग्राहक के रूप में भाग ले सकती है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया था कि इस संबंध में किए गए लेनदेनों के बारे में अपने तुलनपत्र में उचित प्रकटीकरण करें।

---

[17] 27 जून 2010 का गैबैंपवि.कंपरि.सं.191/03.10.01/2010-11 द्वारा शामिल किया गया।

[18] 09 अगस्त 2010 का गैबैंपवि (नीप्र)कंपरि.सं.195/03.10.001/2010-11 द्वारा शामिल किया गया।

[19] 09 अगस्त 2010 का गैबैंपवि (नीप्र)कंपरि.सं.195/03.10.001/2010-11 द्वारा शामिल किया गया।

16.[20] साख सूचना कंपनियों को आंकडों का प्रस्तुतिकरण – साख संस्थाओं द्वारा आंकडों की प्रस्तुति के लिए फार्मेट

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 की धारा 45 झ के खंड (च) में यथा परिभाषित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी साख सूचना कंपनियां (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 2 (च) (ii) के अनुसार "साख संस्थाओं" में शामिल किया गया है. इसके अलावा साख सूचना कंपनियां (विनियमन) अधिनियम में अपेक्षा की गई है कि मौजूदा प्रत्येक साख संस्था कम से कम एक क्रेडिट सूचना कंपनी की सदस्य अवश्य बनेगी. तद्नुसार , साख संस्थाएं होने के कारण सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षित है कि वे संविधि के अनुसार कम से कम एक क्रेडिट सूचना कंपनी की सदस्य बनें.

इस संबंध में साख सूचना कंपनियां (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 17 की उपधारा (1) और (2) के अनुसार साख सूचना कंपनी को उक्त अधिनियम के उपबंधों के तहत अपने सदस्यों से, जैसा वह आवश्यक समझे , साख सूचना प्राप्त करने की अपेक्षा होगी और प्रत्येक साख सूचना संस्था को साख सूचना कंपनी को अपेक्षित सूचना देनी होगी. इसके अलावा साख सूचना कंपनियां विनियमावली, 2006 के विनियमन 10 (क) (ii) के अनुसार प्रत्येक साख संस्था:

(ए) साख सूचना अपने पास उपलब्ध रखेगी, उसे मासिक आधार पर या उस कम अंतराल पर अद्यतन रखेगी जैसा कि साख तथा साख सूचना कंपनी के बीच परस्पर सहमति से तय हो; तथा

(बी) ऐसे सभी आवश्यक उपाय करेगी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रस्तुत की गई साख सूचना अद्यतन हो , सही हो और पूर्ण हो.

इसलिए यह सूचित किया जाता है कि जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां किसी नई साख सूचना कंपनी/ साख सूचना कंपनियों की सदस्य बन गई है वे उन्हें मौजूदा फार्मेट में वर्तमान आंकडे उपलब्ध करा दें. ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां उन्हें पुराने आंकडे भी उपलब्ध कराएं ताकि नई साख सूचना कंपनियां अपने साफ़्टवेयरों को मान्य ठहरा सकें और चुस्त- दुरूस्त डाटाबेस विकसित कर सकें. यह सावधानी बरती जाए कि उधार लेने वालों के संबंध में गलत आंकडे / इतिवृत्त साख सूचना कंपनी को नहीं दिए जाएं.

17. [21]सरकार की 'हरियाली हेतु पहल' (ग्रीन इनिशियेटिव) का कार्यान्वयन

सरकार की 'हरियाली हेतु पहल' (ग्रीन इनिशियेटिव) के भाग के रूप में, भारत सरकार ने सुझाव दिया है कि वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं सहित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां द्वारा अपने संसाधनों के बेहतर उपयोग में सहायता के लिए कदम उठाया जाए तथा बेहतर सेवा भी प्रदान करें. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अनुरोध है कि इस संबंध में सक्रिय कदम उठाये और पोस्ट डेटेड चेक का समापन तथा अपने दैनिक कारोबारी विनिमय में क्रमबद्ध तरीके से चेक का समापन करते हुए इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणाली को बढायें. इससे परिणामस्वरूप विनिमय का समायोजन सटिक, कम लागत वाला , तेज तथा प्रभावी होगा.

18. [22]जाली बैंक गारंटियों का उपयोग करके धोखा देने का प्रयास – कार्य – प्रणाली

---

[20] 17 सितम्बर 2010 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.200/03.10.001/2010-11 द्वारा शामिल किया गया।

[21] 28 अक्तूबर 2011 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.248/03.10.01/2011-12 द्वारा शामिल किया गया।

[22] 27 सितम्बर 2011 क गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.245/03.10.42/2011-12 में विस्तृत सूचना दिया गया है।

कुछ बैंक शाखाओं में हस्ताक्षर के द्वारा बैंक गारेंटी में संलिप्त धोखा धड़ी की घटनाओं के रिपोर्ट के आलोक में, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया था कि लाभार्थीयों/लाभार्थीयों के प्रतिनिधि के नाम को नोट तथा बैंक गारेंटी आवेदन के आदेश से संबंधित मामलों पर कार्यवाई करते समय परिपत्र में उल्लिखित फर्म/व्यक्तियों पर उचित सावधानी बरते।

19. [23]ऋण चूक अदला-बदली- उपयोगकर्ता के रूप में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां केवल सीडीएस बाजार में उपयोग कर्ता के रूप में भाग लेगी. उपयोग कर्ता के रूप में, उनको केवल उनके द्वारा धारण किये गये कार्पोरेट बांडो के संबंध में ऋण जोखिम को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऋण सुरक्षा खरीदने की अनुमति दी जायेगी. उनको सुरक्षा की बिक्री करने की अनुमति नहीं होंगी और अर्थात उनको सीडीएस संविदाओं में खरीद से अधिक बिक्री की अनुमति नहीं होगी. तथापि, उन्हें सीडीएस की खरीद की स्थिति से उनके मूल प्रतिपक्षों के साथ खुलकर [अनवाइंड] या पूर्वाधिकार बांडो के खरीददार के पक्ष में अंतरित करके बाहर निकलने की अनुमति है।

उक्त सभी प्रावधानों का अनुपालन के अलावा, उपयोगकर्ता गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा संलग्न दिशानिदेशों सहित उनके द्वारा सीडीएस के लिए परिचालनात्मक आवश्यकाओं को पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए ।

20. [24]प्ररिभूतिकरण लेनदेनों पर जारी दिशानिदेशों में संशोधन

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए 1 फरवरी 2006 के परिपत्र बैंपविवि सं:बीपी.बीसी.60/21.04.048/2005-06 द्वारा मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण पर विस्तृत दिशानिदेश जारी किया गया था।

प्रतिभूतिकरण के आस पास अनुचित व्यवहार, जैसे प्रतिभूतिकरण के मूल उद्देश्य के लिए ऋणों का निर्माण और प्रवर्तक के हितों के साथ निवेशकों को रेखाकिंत करना तथा निवेशको के व्यापक परिदृश्य में ऋण जोखिम का पुन:वितरण की रोकथाम के लिए यह महसूस किया गया कि प्रवर्तक को निर्मित प्रत्येक प्रतिभूतिकरण के एक भाग को रोके रखना चाहिए तथा ऋण के संबंध में अधिक प्रभावी अनुवीक्षण सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अलावा, प्रतिभूतिकरण के पूर्व ऋण की न्यूनतम प्रतिधारण अवधि को भी, प्रवर्तक द्वारा उचित सावधानी बनाकर निवेशकों को राहत देने के लिए अपेक्षित समझी जाए। उक्त उद्देश्यों के आलोक में यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में जारी दिशानिदेशों का विस्तार बैंको और एनबीएफसी तक भी किया जाए(अनुबंध-1)। दिशानिदेशों में अन्य बातों के साथ साथ, आस्तियों का द्विपक्षीय बिक्री, लाभ का लेखांकन और प्रकटीकरण भी शामिल होंगे।

II. **[25]ऋण वर्धन/वृद्धि का पुनर्निर्धारण**

---

[23] 26 दिसम्बर 2011 क गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.253/03.10.01/2011-12 में विस्तृत सूचना दिया गया है।

[24] 21.08.2012 का डीएनबीएस.पीडी.सं.301/03.10.01/2012-13 द्वारा शामिल किया गया।

[25] 24.3.2014 का गैबैंपवि.नीप्र.सं372/03.10.01/2013-14 द्वारा शामिल किया गया।

ए) बैंक द्वारा ऋण वर्धन/वृद्धि का पुनर्निधारण पर 1 जुलाई 2013 का परिपत्र संदर्भ:बैंपविवि सं. बीपी-बीसी-25/21.04.177/2013-14 द्वारा दिशानिदेश जारी किया गया है। इन दिशानिदेश में ऐसे पुनर्निर्धारण हेतु सभी तथ्यों को विस्तार से शामिल किया गया है बशर्ते कि वह इसमें निहित नियमों का पालन करती हो। अत: यह निर्णय लिया गया है कि इन निदेशों के प्रयोजनीयता का विस्तार एनबीएफसी द्वारा की जाने वाली प्रतिभूतिकरण लेनदेन तक किया जाए।

बी) 21 अगस्त 2012 के परिपत्र गैबैंपवि.नीप्र.सं.301/03.10.01/2012-13 के अनुसार जो लेनदेन पहले कर लिए गए हैं, उनका पुनर्निर्धारण बकाया प्रतिभूतियों के सभी निवेशकों की सहमति के अधीन किया जा सकता है। अगस्त 2012 के दिशानिदेशों के पूर्व किए गए लेनदेनों के संबंध में एमआरआर से संबंधित शर्त का पालन इस पुनर्निर्धारण में उल्लिखित ऋण वर्धन/वृद्धि (सीई) के पुनर्निर्धारण की अन्य शर्तों के अतिरिक्त होगा।

21. [26]चेक फॉर्मों में सुरक्षा संबंधी विशेषताओं का मानकीकरण और उनकी वृद्धि –सीटीएस 2010 मानक का कार्यान्वयन

सभी एनबीएफसी को "सीटीएस-2010 मानक" के संबंध में सूचित किया जाता है जो देश भर में बैंकों द्वारा जारी किए गए चेकों के मानकीकरण को प्राप्त करने की दिशा में एक बेंचमार्क है। इसमें न्यूनतम आवश्यक सुरक्षा विशेषताएं जैसे कागज की गुणवत्ता, वाटर मार्क, अदृश्य स्याही में बैंक का लोगो, वायड पेंटोग्राफ आदि तथा चेकों पर फिल्ड प्लेसमेंट का मानकीकरण के प्रावधान को शामिल किया गया है। इन बेंचमार्क प्रावधानों को "सीटीएस-2010 मानक" के रूप में जाना जाता है तथा 31 दिसम्बर 2012 तक इनका कार्यान्वयन किया जाना है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अपने ग्राहको से भविष्य के ईएमआई के लिए उत्तर दिनांकित चेक लिया जाता है तथा इनमें से कुछ लिखतों में सीटीएस-2010 मानक का अनुवर्तन नहीं किया जाता। अत: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि गैर सीटीएस -2010 मानक का अनुवर्तन करने वाले चेकों को 31 दिसम्बर 2012 से पूर्व सीटीएस-2010 मानक का अनुवर्तन करने वाले चेकों से प्रतिस्थापित करना सुनिश्चित करें। तथापि, [27]अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद, यह निर्णय लिया गया कि गैर सीटीएस 2010 मानक चेको का आहरण तथा सीटीएस -2010 मानक का अनुवर्तन करने वाले चेकों से प्रतिस्थापना सुनिश्चित करने हेतु 31 मार्च 2013 तक समय सीमा का विस्तार किया जाए। तथापि यह नोट किया जाए कि अवशिष्ट गैर सीटीएस-2010 मानक का अनुवर्तन करने वाले चेक जो कि विस्तारित सीमा के बाद समाशोधन प्रणाली में प्रस्तुत किए जाते है, उन्हें स्वीकार किया जाएगा किंतु उनको समाशोधित कम निरंतर अंतराल में किया जाएगा।

22. [28]उत्तर दिनांकित चेक (पीडीसी) को अपनाना/ समीकृत मासिक किश्त (ईएमआई) चेक को इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) (डेबिट) के अंतर्गत लाया जाना

भुगतान और निपटाह विभाग द्वारा जारी परिपत्र (16 जुलाई 2013 का परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.सीएचडी.नं. 1332/04.07.05/2012-13) का भी संदर्भ ले जिसमें यह कहा गया है कि

---

[26] 06.11.2012 का डीएनबीएस.पीडी.सं.308/03.10.001/2012-13 द्वारा शामिल किया गया।

[27] 20.12.2012 का डीएनबीएस.पीडी.सं.316/03.10.001/2012-13 द्वारा शामिल किया गया।

[28] 06 नवम्बर 2013 का गैबैंपवि.नीप्र/कंपरि.सं.359/03.10.001/2013-14 द्वारा शामिल किया गया।

सीटीएस-2010 मानक का अनुवर्तन नहीं करने वाले चेकों को 1 जनवरी 2014 से स्वीकार तो किया जाएगा किंतु उनको समाशोधित कम निरंतर अंतराल में किया जाएगा (30 अप्रैल 2014 से सप्ताह में तीन बार तक, 31 अक्तूबर 2014 से सप्ताह में दो बार तक तथा 1 नवम्बर 2014 के बाद से सप्ताह में केवल एक बार तक समाशोधन किया जाएगा)

उक्त के आलोक में तथा गैर-सीटीएस 2010 चेकों के समारोधन में विलम्ब से बचने कए लिए, सभी एनबीएफसी को सूचित किया जाता है कि

ए) केवल सीटीएस-2010 मानकों चेकों की स्वीकृति को अपनाया जाए।

बी) ऐसे स्थानों पर जहां ईसीएस/आरईसी (डेबिट) की सुविधा उपलब्ध है वहां उत्तर दिनांकित चेक(पीडीसी)/ समीकृत मासिक किश्त(ईएमआई) चेक का (नई सीटीएस-2010 अथवा पुराने प्रारूप दोनो स्थिति में) नई /अतिरिक्त चेक स्वीकार नहीं किया जाए। ऐसे स्थानों पर मौजूदा पीडीसी/ईएमआई चेकों को नया ईसीएस (डेबिट) आदेश पत्र लेते हुए ईसीएस/आरईसीएस में परिवर्तित किया जाए। इस कार्य को 31 दिसम्बर 2013 तक पूरा किया जाए। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 25 के अधीन उपलब्ध सुरक्षा को देखा जाए तो आदाता (लाभार्थी) को वही अधिकार और प्रतिकार उपलब्ध कराता है जो पराक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत अपर्याप्त निधि के कारण इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण की अवीकृति के लिए उपलब्ध है, अत: एनबीएफसी को ग्राहकों के ईसीएस(डेबिट) आदेश पत्र के अतिरिक्त, यदि कोई होतो, अतिरिक्त चेक लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे स्थान जहां ईसीएस/ आरईसीएस की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां सीटीएस-2010 मानक को पूरा करने वाला प्रारूप का चेक लिया जाए।

23. [29]प्रमुख सेवा प्रदाताओं का आईपीवी 4 से आईपीवी6 में अंतरण हेतु तत्परता

हालही में अनावरित राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एनटीपी)2012 के अनुसार वर्ष 2015 तक "मांग पर ब्रॉड बैंड" उपलब्ध कराने की सरकार ने परिकल्पना की है, जिसमें देश के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु इंटरनेट की भूमिका को उत्प्रेरक के रूप में होने पर जोर दिया गया है तथा आज की सूचना अर्थव्यवस्था में विभिन्न नागरिक केंद्रीत सेवाएं प्रभावी माध्यम के रूप में काम कर सके। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति -2012 द्वारा आईपीवी6 की भविष्य की भूमिका की पहचान की गई है तथा इसका लक्ष्य देश में आईपीवी6 पर पर्याप्त अंतरण को प्राप्त करना है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दूरसंचार विभाग द्वारा आईपीवी4 से आईपीवी 6 में अंतरण के कार्य को प्रारंभ किया गया है। चुंकि आईपीवी6 पर अंतरण एक संभावी परिघटना है जिसे स्वीकार करना आवश्यक है, अत: सरकार इसे समय सीमा के बाद करने की अपेक्षा योजनाबद्ध तरीके से पूरा करना चाहती है। उनके द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि सभी एनबीएफसी/आरएनबीसी अपने वेबसाइट सहित वरीयत: दिसम्बर 2012 तक आईपीवी6 पर अंतरित हो जाए।

---

[29] 08.11.2012 का डीएनबीएस(सूचना)सीसी.सं.309/24.01.022/2012-13 द्वारा शामिल किया गया।

24. [30]गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए जांच सूची (चेक लिस्ट), गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- माइक्रो फाइनेंस संस्था(एनबीएफसी- एमएफआई), गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- फैक्टरिंग संस्थाएं (एनबीएफसी-फैक्टर) तथा कोर निवेश कंपनी(सीआईसी)

भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के वेबसाइट पर 5 जांच सूचियां (चेक लिस्ट) अपलोड की गई हैं ए) एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण हेतु वांछित दस्तावेज बी) एनबीएफसी- एमएफआई – नई कंपनी के पंजीकरण हेतु वांछित दस्तावेज सी) एनबीएफसी-एमएफआई (मौजूदा एनबीएफसी) के पंजीकरण हेतु वांछित दस्तावेज डी) एनबीएफसी-फैक्टर्स के पंजीकरण हेतु वांछित दस्तावेज ई) सीआईसी-एनडी-एसआई के रूप में पंजीकरण हेतु वांछित दस्तावेज।(अनुबंध 2)

इसके अतिरिक्त सूचित किया जाता है कि चेक लिस्ट में दी गई सूची निर्देशात्मक है व्यापक/परिपूर्ण नहीं। यदि आवश्यकता होने पर , बैंक एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु पात्रता के संबंध में अपनी संतुष्टि के लिए अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकता है। चेक लिस्ट में निहित दस्तावेजों के अलावा बैंक द्वारा यदि अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग की जाती है तो आवेदक कंपनी को एक माह के निर्धारित समयावधि के भीतर अनिवार्य रूप से उत्तर देना होगा, ऐसा नहीं करने पर परिवर्तन हेतु प्रस्तुत अनुरोध /आवेदन पत्र को सभी संबंधित दस्तावेजों सहित कंपनी को वांछित दस्तावेज/सूचना के साथ पुन: प्रस्तुति के लिए वापस कर दिया जाएगा।

25. [31]गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्राइवेट प्लेसमेंट –डिबेंचर आदि के माध्यम से धन राशि जुटाना

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां सार्वजनिक निर्गम या प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से डिबेंचर सहित पूंजी / ऋण प्रतिभूतियां जारी करके धन राशि जुटाती है। ऐसी प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गम के मामलों में संस्था तथा खुदरा निवेशक भाग ले सकते है। दूसरी तरफ प्राइवेट प्लेसमेंट के मामलों में संस्थागत निवेशक शामिल हो सकते है। तथापि यह पाया गया है कि हाल के दिनों में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से विशेषकर डिबेंचर जारी करके बड़े पैमाने पर आम जनता से धन राशि जुटाई गई है।

कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्राइवेट प्लेसमेंट के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में कुछ प्रतिकूल बाते आई है अत: यह निर्णय लिया गया कि प्राथमिक व्यापारी (पीडी) को छोड़कर सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों[32] के अनुपालन हेतु कुछ दिशानिर्देश (अनुबंध 3 में दिए गए है) बनाये जाएं। इन दिशानिर्देशों में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षा की गई है कि ऐसे निर्गमों में अंतर बनाए रखा जाए तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए भी अन्य वित्तीय संस्थाओं के समान जहां तक प्राइवेट प्लेसमेंट का संबंध है, ग्राहकों की संख्या उनचास (49) तक सीमित की जाए (वर्तमान में कंपनी अधिनियम

---

[30] 07.12.2012 का डीएनबीएस.पीडी.सीसी.सं.312/03.10.01/2012-13 द्वारा शामिल किया गया।

[31] 27.06.2013 का डीएनबीएस.पीडी.सीसी.सं.330/03.10.01/2012-13 द्वारा शामिल किया गया।

[32] 02 जुलाई 2013 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.349/03.10.001/2013-14 द्वारा शामिल किया गया।

1956 द्वारा प्राइवेट प्लेसमेंट हेतु निर्धारित निवेशको की अधिकतम संख्या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए लागू नहीं है) । इन दिशानिर्देशों के प्रावधान इस संबंध में जारी अन्य निर्देशों के विपरीत होने की स्थिति में उनका स्थान लेंगे

26. [33]साम्यिक बंधक अभिलेखों को केन्द्रीय रजिस्ट्री के समक्ष फाइल किया जाना

एनबीएफसी को सूचित किया जाता है कि 31 मार्च 2011 तथा उसके बाद से अपने हित में बनाये गए सभी साम्यिक बंधक के अभिलेख को केन्द्रीय रजिस्ट्री के समक्ष फाइल और रजिस्टर करे तथा जब कभी उनके हित में साम्यिक बंधक बनताहै तो उसे वे केन्द्रीय रजिस्ट्री के समक्ष रजिस्टर करे। [34]उक्त के अनुक्रम में सभी एनबीएफसी को इसके अतिरिक्त सूचित किया गया था कि सभी प्रकार के बंधकों को सीईआरएसएआई के साथ पंजीकृत करें।

27. **[35]वित्तीय संकटग्रस्तता की शुरू में ही पहचान, समाधान हेतु तत्काल उपाय और उधारदाताओं हेतु उचित वसूली: अर्थ व्यवस्था में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को पुनर्जाग्रित करने के लिए संरचना**

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 30 जनवरी 2014 को जारी अर्थ व्यवस्था में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को पुनर्जाग्रित करने के लिए संरचना (संरचना) जारी किया गया था। संरचना 1 अप्रैल 2014 से पूर्ण रूप से प्रभावी होगा, तथा संरचना में सुधारात्मक कार्य योजना जो समस्याप्रद खातों का जल्द पहाचान की रूपरेखा, व्यवहार्य खातों का समय पर पुनर्रचना और उधारकर्ताओं द्वारा अव्यवहार्य खातों की ब्रिकी अथवा वसूली हेतु तत्पर्ता से उठाये जाने वाले कदम से संबंधित दिशा निदेश निहित है। उक्त के पृष्ठभूमि में, एनबीएफसी तक इसकी प्रयोज्यता का विस्तार के लिए एनबीएफसी को जारी दिशानिदेश अनुबंध 4 में दिया गया है।

28.[36] **गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लेनदेनों को निकटतम रूपये में पूर्णांकित करना**

एनबीएफसी को सूचित किया जाता है कि जमाराशि पर ब्याज का भुगतान/अग्रिम पर प्रभारित ब्याज आदि सहितसभी लेनदेनों को निकटतम रूपये में पूर्णांकित किया जाए - जैसे 50पैसे का अंश तथा उससे अधिक को रूपये की अगली उच्च राशि में पूर्णांकित किया जाए तथा 50 पैसे से कम के अंश को उपेक्षित कर दिया जाए। तथापि, एनबीएफसी यह सुनिश्चित करें कि ग्राहकों द्वारा जारी चेक/ड्राफ्ट जिसमें रूपये का अंश निहित हो उसे उनके द्वारा अस्वीकार नहीं किया जाए।

---

[33] 12 नवम्बर 2013 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.360/03.10.001/2013-14 द्वारा शामिल किया गया।

[34] 21 मार्च 2014 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.371/03.05.02/2013-14 द्वारा शामिल किया गया।

[35]21 मार्च 2014 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.371/03.05.02/2013-14 द्वारा शामिल किया गया।

[36]27 मई 2014 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.377/03.10.001/2013-14 द्वारा शामिल किया गया

अनुबंध-1

मानक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण के लिए दिशानिर्देश

भाग ए

1. ओरिजिनेटिंग गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा पूरी की जाने वाली अपेक्षाएं

1.1 प्रतिभूतीकरण के लिए पात्र आस्तियां

किसी एकल प्रतिभूतीकरण लेनदेन में अंतर्निहित आस्तियों को बाध्यताधारियों के किसी समरूप समूह की ऋण बाध्यता का प्रतिनिधित्व करना चाहिए । इस शर्त के अधीन निम्नलिखित को छोड़कर तुलन पत्र में शामिल सभी मानक आस्तियां प्रतिभूतीकरण की पात्र होंगी :

(i) चक्रीय ऋण सुविधा (उदाहरण के लिए नकदी ऋण खाते, क्रेडिट कार्ड प्राप्य राशियां आदि)
(ii) अन्य संस्थाओं से खरीदी गयी आस्तियां
(iii) प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर (उदाहरण के लिए बंधक समर्थित/आस्ति-समर्थित प्रतिभूतियां)
(iv) मूलधन और ब्याज दोनो की बुलेट चुकौती वाले ऋण

1.2 न्यूनतम धारण अवधि (एमएचपी)

1.2.1 ओरिजिनेटिंग गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ऋणों का प्रतिभूतीकरण तभी कर सकते हैं जब उनकी बहियों में वे न्यूनतम अवधि तक हों । आस्तियों की न्यूनतम धारण अवधि को निर्धारित करने वाले मानदंड, जिन्हें नीचे वर्णित किया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि -

- परियोजना कार्यान्वयन जोखिम निवेशकों को अंतरित नहीं किया जाता है और ;
- प्रतिभूतीकरण के पहले न्यूनतम सुधार कार्य निष्पादन दर्शाया जाता है ।

1.2.2 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ऋणों का प्रतिभूतीकरण न्यूनतम धारण अवधि के बाद ही कर सकती हैं, जिसकी गिनती किसी गतिविधि/प्रयोजन के लिए दिये गये ऋण के पूर्ण संवितरण की तारीख, उधारकर्ता द्वारा आस्ति (अर्थात् कार, आवासीय भवन आदि) के अभिग्रहण अथवा परियोजना पूर्ण होने की तारीख, जो भी लागू हो, से की जाएगी । न्यूनतम धारण अवधि (एमएचपी) की परिभाषा प्रतिभूतीकरण के पूर्व चुकाये गये किस्तों की संख्या के संदर्भ में की जाएगी । अवधि और चुकौती की बारंबारता के आधार पर विभिन्न ऋणों पर लागू न्यूनतम धारण अवधि (एमएचपी)नीचे सारणी में दी जा रही है

न्यूनतम धारण अवधि

	प्रतिभूतीकरण के पहले अदा किये गये किस्तों की न्यूनतम संख्या			
	चुकौती की बारंबारता - साप्ताहिक	**चुकौती की बारंबारता - पाक्षिक**	**चुकौती की बारंबारता - मासिक**	**चुकौती की बारंबारता - तिमाही**
2 वर्षों तक की मूल परिपक्वता अवधि वाले ऋण	बारह	छह	तीन	दो
2 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष तक की मूल परिपक्वता अवधि वाले ऋण	अठारह	नौ	छह	तीन
5 वर्ष से अधिक मूल परिपक्वता अवधि वाले ऋण	-	-	बारह	चार

1.2.3 प्रतिभूतीकृत ऋणों के समूह में अलग-अलग ऋणों पर न्यूनतम धारण अवधि (एमएचपी)लागू होगी । पैरा 1.1 के फुटनोट 3 में उल्लिखित ऋणों पर न्यूनतम धारण अवधि नहीं लागू होगी ।

1.3 <u>न्यूनतम धारण अपेक्षा (एम आर आर)</u>

1.3.1 एमआरआर की परिकल्पना इसलिए की गयी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ओरिजिनेटिंग गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का प्रतिभूतीकृत आस्तियों के कार्य निष्पादन में निरंतर रुचि बनी रहे ताकि वे प्रतिभूतीकृत किये जाने वाले ऋण के संबंध में समुचित सावधानी बरतें । दीर्घावधिक ऋणों के मामले में एमआरआर में ईक्विटी/अधीनस्थ अंश के अलावा प्रतिकृत पेपर का वर्टिकल अंश भी होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिभूतीकरण प्रक्रिया की पूरी अवधि के दौरान प्रतिभूतीकृत आस्तियों के कार्य निष्पादन में ओरिजिनेटिंग गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की रुचि /हित हो । ओरिजिनेटिंग गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऋण का प्रतिभूतीकरण करते समय नीचे दी गयी सारणी में वर्णित एमआरआर का पालन करना चाहिए । ऋणों का प्रतिभूतीकरण करते समय ओरिनिजेटिंग गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निम्न सारणी में दिए गए ब्योरेवार एमआरआर का पालन करना चाहिए:

प्रतिभूतीकरण के समय न्यूनतम प्रतिधारण आवश्यकताएं

ऋण का प्रकार	**एमआरआर**	**एमआरआर का ब्योरा**		
24 माह या कम अवधि की मूल परिपक्वता के लिए ऋण	प्रतिभूतीकृत किये जाने वाले ऋणों के बही मूल्य का 5%	i)	जहाँ प्रवर्तक द्वारा प्रतिभूतीकरण में न ऋण ट्रेंचिंग शामिल है और न ही प्रथम हानि	प्रतिभूतीकरण किए जाने वाले ऋणों के बही मूल्य के 5% के बराबर विशेष प्रयोजन

			साख संवर्धन ।	साधन (एसवीपी) प्रतिभूतियों में निवेश द्वारा जारी ।
		ii)	जहां प्रतिभूतीकरण में कोई ऋण श्रृंखला शामिल नहीं है, किंतु ओरिजिनेटर ने प्रथम हानि साख संवर्धन उपलब्ध कराया है जैसे तुलनपत्र से इतर समर्थन, नकदी संपार्श्विक, अतिसंपार्श्विकीकरण आदि.	आवश्यक साख संवर्धन प्रवर्तक उपलब्ध करेगा। यदि प्रथम ऋण साख संवर्धन 5% से कम आवश्यक है तो शेष एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों में होगा।
		iii)	जहाँ प्रतिभूतीकरण में ऋण श्रृंखला शामिल है किंतु प्रवर्तक से प्रथम हानि साख संवर्धन नहीं हैं।	शेयर श्रृंखला में 5% यदि शेयर श्रृंखला में 5% से कम है तो शेष अन्य श्रृंखला में सममात्रा पर होगी।
		iv)	जहाँ प्रतिभूतीकरण में ऋण श्रृंखला शामिल है और प्रवर्तक द्वारा प्रथम हानि साख संवर्धन (तुलनपत्रेतर समर्थन, नकदी संपार्श्विक, अतिसंपार्श्विकीकरण आदि) शामिल है ।	यदि प्रथम हानि साख संवर्धन 5% से कम हो तो शेष शेयर श्रृंखला में । यदि प्रथम हानि साख संवर्धन और शेयर श्रंत्रखला में 5% से कम हो, तो शेष अन्य श्रृंखला में सममात्रा पर ।
24 माह से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि वाले ऋण	प्रतिभूतीकरण किए जाने वाले ऋणों के बही मूल्य का 10%	i)	जहाँ प्रतिभूतीकरण में न ऋण श्रृंखला शामिल न कोई प्रथम हानि साख संवर्धन ।	प्रतिभूतीकरण किए जाने वाले ऋणों के बही मूल्य के 10% के बराबर एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों

				में निवेश	
		ii)	जहाँ प्रतिभूतीकरण में ऋण श्रृंखला शामिल नहीं है, किंतु प्रवर्तक से प्रथम हानि साख संवर्धन शामिल है उदा. तुलनपत्र से इतर समर्थन, नकदी संपार्श्विक, अतिसंपार्श्विकीकरण आदि.	आवश्यक साख संवर्धन प्रवर्तक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा । यदि वह 10% से कम हो तो, शेष एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों में।	
		iii)	जहाँ प्रतिभूतीकरण में ऋण श्रृंखला शामिल है किंतु प्रवर्तक से प्रथम हानि साख संवर्धन शामिल नहीं हैं।	5% शेयर श्रृंखला में या कम यदि शेयर श्रृंखला 5% से कम हो। शेष (10% में से शेयर श्रृंखला में निवेश घटाकर) एसपीवी द्वारा जारी अन्य श्रृंखला के सममात्रा में ।	
		iv)	जहाँ प्रतिभूतीकरण में ऋण श्रृंखला शामिल है और साथ साथ प्रवर्तक द्वारा प्रथम हानि साख संवर्धन (तुलनपत्र से इतर समर्थन, नकदी संपार्श्विक, अतिसंपार्श्विकीकरण आदि.) शामिल है ।	i)	यदि प्रथम हानि साख संवर्धन 5% से अधिक हो किंतु 10% से कम हो तब शेष, एसपीवी द्वारा जारी शेयर श्रृंखला सहित प्रतिभूतियों में सममात्रा पर ।
				ii)	यदि प्रथम हानि साख संवर्धन 5% से कम हो तब शेयर श्रृंखला में ताकि प्रथम हानि

					और शेयर श्रृंखला 5% के बराबर होगी। एसपीवी द्वारा जारी अन्य श्रृंखलाओं में शेष प्रतिधारण सममात्रा में होगा (शेयर श्रृंखला छोडकर) ताकि कुल प्रतिधारण 10% हो।
पैरा 1.1 की पाद टिपण्णी 3 में उल्लेख किए गए एक बारगी चुकौती ऋण/ प्राप्य	प्रतिभूतीकरण किए जाने वाले ऋणों के बही मूल्य का 10%.	i)	जहाँ प्रतिभूतीकरण में न ऋण श्रृंखला शामिल न प्रवर्तक द्वारा कोई प्रथम हानि साख संवर्धन शामिल हो ।		प्रतिभूतीकरण किए जाने वाले ऋणों के बही मूल्य का 10% के बराबर. एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश ।
		ii)	प्रतिभूतीकरण में ऋण श्रृंखला शामिल नहीं है, किंतु प्रवर्तक द्वारा उपलब्ध होने वाला प्रथम हानि साख संवर्धन उदा. तुलनपत्र से इतर समर्थन, नकदी संपार्श्विक, अतिसंपार्श्विकीकरण आदि शामिल हैं ।		प्रवर्तक द्वारा आवश्यक साख संवर्धन उपलब्ध कराई जाए । यदि प्रथम हानि साख संवर्धन की आवश्यकता 10% से कम हो तब शेष, एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों में होगा ।
		iii)	जहाँ प्रतिभूतीकरण में ऋण श्रृंखला शामिल हो किंतु प्रवर्तक द्वारा प्रथम हानि साख संवर्धन शामिल न हो		10% शेयर श्रृंखला में । यदि शेयर श्रृंखला 10% से कम हो, तब शेष बची हुई श्रृंखला में सममात्रा में होगा

			।	।
		iv)	जहाँ प्रतिभूतीकरण में ऋण श्रृंखला और प्रवर्तक द्वारा प्रथम हानि साख संवर्धन (तुलनपत्र से इतर आधार, नकदी संपार्श्विक, अतिसंपार्श्विकीकरण आदि) शामिल हैं ।	यदि प्रथम हानि साख संवर्धन 10% से कम है, तब शेष शेयर श्रृंखला में। यदि शेष शेयर श्रृंखला से बडा है, तब अन्य श्रृंखलाओं में बचा हुआ सममात्रा पर होगा ।

1.3.2 ऋण का प्रतिभूतीकरण करने वाली संस्था को एमआरआर बनाए रखना होगा। दूसरे शब्दों में, मानक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण पर दिशानिर्देशों वाले 01 फरवरी 2006 के परिपत्र के पैरा 5(vi) के अनुसार अन्य संस्थाएं जिन्हें 'प्रवर्तक' माना गया है उनके द्वारा नहीं रखा जा सकता।

1.3.3 एमआरआर को प्रमुख नकदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। अतः अतिरिक्त ब्याज स्प्रेड/फ्युचर भावी आय का प्रतिनिधित्व करने वाले 'इंटरेस्ट ओनली स्ट्रिप' में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का निवेश, वह अधीनस्थ हो या नहीं, एमआरआर के लिए गिना नहीं जाएगा।

1.3.4 प्रवर्तक द्वारा प्रतिबद्धता का स्तर अर्थात् , एमआरआर ऋण जोखिम की बचाव व्यवस्था या प्रतिधारित ब्याज की बिक्री के कारण घटना नहीं चाहिए। हानि आत्मसात् करने के माध्यम से या अनुपाती चुकौती के कारण प्रतिधारित एक्सपोज़र घटने के मामलों को छोडकर अपरिशोधित मूल धन के प्रतिशत के रूप में एमआरआर अविरत आधार पर बनाए रखा जाना चाहिए। प्रतिभूतीकरण की सक्रियता के दौरान एमआरआर के रूप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

1.3.5 इन दिशानिर्देशों के तहत एमआरआर के अनुपालन के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून के अनुसार समुचित कागज़ात तैयार किये गये हैं।

1.4 कुल प्रतिधारित एक्सपोजर की सीमा

1.4.1 वर्तमान में, हामीदारी के माध्यम से या अन्य प्रवर्तक द्वारा एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश माध्यमों से कुल निवेश की सीमा कुल प्रतिभूतीकृत जारी लिखतों का 20% हैं । यह निर्णय लिया गया है कि निम्न प्रकार के प्रतिभूतीकृत ऋणों में बाक का कुल एक्सपोजर कुल प्रतिभूतिकृत लिखतों से 20% से अधिक नहीं होना चाहिए।

- एसपीवी द्वारा जारी शेयर /प्रतिभूतियों की अधीनस्थ /वरिष्ठ श्रृंखला में हामीदारी प्रतिबद्धता के माध्यम सहित निवेश।
- नकदी और अन्य प्रकार की संपार्श्विक, अतिसंपार्श्विकीकरण सहित, साख संवर्धन, किंतु साख संवर्धन करने वाले इंटरेस्ट ओनली स्ट्रिप को छोड़कर।
- चलनिधि समर्थन।

1.4.2 यदि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी उल्लिखित सीमा का उल्लंघन करती है, तो अतिरिक्त राशि पर 667% जोखिम भारित होगा।

1.4.3 यदि जारी किए गए प्रतिभूतीकरण लिखतों के ऋण परिशोधन के कारण सीमा का उल्लंघन होता है तो एक्सपोज़र पर 20% की सीमा का उल्लंधन नहीं माना जाएगा।

1.5 प्रारंभिक लाभ बुक करना

1.5.1 01 फरवरी 2006 के हमारे परिपत्र सं.बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.60/21.04.048/2005-06 के पैरा 20.1 के अनुसार, एसपीवी द्वारा जारी की गई या की जाने वाली प्रतिभूतियों पर ऋणों के प्रतिभूतीकरण के कारण कोई लाभ /प्रीमियम का उदय होता है तो उसे एसपीवी द्वारा जारी की जानेवाली या जारी की गई प्रतिभूतियों के जीवन काल पर परिशोधित किया जाना चाहिए। यह दिशानेर्देश, अन्य बातों के साथ, 'ओरिजनेट टू डिस्ट्रीब्यूट' मोडेल को रोकने के उद्देश्य से किए गए थे। अब कुछ हद तक इन चिंताओं का निवारण इन दिशानिदेशों में प्रस्तावित एमआरआर, एमएचपी और अन्य उपायों द्वारा किये जाने की अपेक्षा है । अतः, यह निर्णय लिया गया है कि मूल धन के परिशोधन और घटित हानि के साथ साथ प्रतिभूतीकरण एक्सपोजरर्स पर आवश्यक विशिष्ट प्रावधान के आधार पर वर्ष के दौरान उच्चतर नकदी लाभ की अनुमति दी जाय।
नकद में प्राप्त लाभ की राशि "लंबित पहचान वाले ऋण अंतरण सौदो में नकदी लाभ" के लेखा खातों में धारण की जा सकती है ।प्रतिभूतीकरण सौदों के कारण उत्पन्न होने वाले नकदी लाभ का परिशोधन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाएगा और निम्नानुसार उसकी गणना होगीः
परिशोधन किया जाने वाला लाभ = मैक्स {एल, [(एक्स*(वाई/जेड))], [(एक्स/एन)]}
एक्स= वर्ष के प्रारंभ में "लंबित पहचान वाले ऋण अंतरण सौदो में नकदी लाभ" खाते में शेष अपरिशोधित नकदी लाभ की राशि
वाई = वर्ष के दौरान परिशोधित मूल धन की राशि
ज़ेड = वर्ष के प्रारंभ में अपरिशोधित मूल धन
एल = हानि (मार्क टू मार्केट मूल्य में अंकित करके निवेश खाते पर हुई हानि + विशिष्ट प्रतिभूतीकरण लेन देन के एक्सपोजर के लिए किया गया, विशिष्ट प्रावधान, यदि कोई हो + सीधे बट्टे खाते डाले गए) साख संवर्धक 'इंटरेस्ट ओनली स्ट्रिप' पर हुई हानि को छोडकर।

एन = प्रतिभूतीकरण लेन देन की अवशिष्ट परिपक्वता

1.5.2 उपर्युक्त लाभ की परिशोधन पद्धति बकाया प्रतिभूतीकरण लेनदेनों पर भी लागू की जा सकती है। तथापि, इस परिपत्र को जारी करने की तारीख को केवल अपरिशोधित बकाया मूल धन और बकाया परिशोधन योग्य लाभ के संबंध में ही यह पद्धति लागू की जा सकती है।

1.5.3 कभी-कभी, प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अंतरित आस्तियों पर प्राप्य ब्याज की कुछ राशि प्राप्त करने के लिए संविदागत अधिकार रख लेती हैं । यह प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा प्राप्य ब्याज एसपीवी की देनदारी हैं और उसके वर्तमान मूल्य का पूंजीकरण प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा इंटरेस्ट ओनली स्ट्रिप (आई/ओ स्ट्रिप) के रूप में किया जाता है, जो तुलन पत्र की आस्ति हैं। सामान्यतः गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अप्राप्त लाभ को अपने लाभ हानि खाते में भविष्य में प्राप्य ब्याज के पूंजीकरण के रूप में आई/ओ स्ट्रिप के माध्यम से निर्धारित

करती हैं। तथापि, उपर्युक्त 01 फरवरी 2006 के परिपत्र में निहित निदेशों के संदर्भ में, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को लाभ हानि खाते में अप्राप्य लाभों को स्थान नहीं देना चाहिए, उसके बदले उन्हें अप्राप्य लाभ को ऋण अंतरण लेनदेनों के अप्राप्य लाभ" लेखा शीर्ष के तहत धारण करना चाहिए। इस खाते के शेष को प्रतिभूतीकरण लेनदेनों के लिए साख संवर्धन के रूप में प्रयुक्त होने के कारण आई/ओ स्ट्रिप पर होने वाली संभावित हानि के लिए प्रावधान के रूप में माना जाएगा। जब इंटरेस्ट ओनली स्ट्रिप को नकद में पुनःप्राप्त किया जाएगा तब ही लाभ को लाभ और हानि खाते में लिया जाएगा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आई/ओ स्ट्रिप के रूप में होने वाली बिक्री पर लाभ को सुरक्षित (बुक) नहीं करेंगी, उससे टीयर -। पूंजी से घटाने की भी आवश्यकता नहीं है । इंटरेस्ट ओनली स्ट्रिप लेखा पद्धति प्रतिभूतीकरण के बकाया लेनदेनों पर भी लागू की जा सकती है ।

1.6 प्रवर्तक एनबीएफसी द्वारा प्रकटीकरण

16.1 संगठन/निवेशक/ट्रस्टी रिपोर्ट द्वारा किया जाने वाला प्रकटीकरण

प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा निवेशकों को प्रतिभूतिकृत आस्तियों की भारित औसतन धारिता अवधि और प्रतिभूतिकरण में उनके एमआरआर के स्तर के संबंध में प्रकटीकरण करना चाहिए। प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संभावित निवेशकों को ऋण श्रेणी और निजी अंतर्निहित जोखिम, नकदी प्रवाह और प्रतिभूतिकरण जोखिम का संपाश्विक आधार के साथ साथ ऐसी जानकारी जो व्यापक और नकदी प्रवाह पर दबाव परख की पूरी जानकारी और संपाश्विक मूल्य जो अंतर्निहित जोखिम को आधार देती हैं। प्रवर्तक द्वारा एमएचपी और एमआरआर के प्रति पूर्ण संतुष्टि के संबंध में प्रकटीकरण जनता को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना चाहिए और उचित रूप से दस्तावेज बनाना चाहिए; जैसे विवरण-पत्र में प्रतिभूतिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिधारण प्रतिबद्धताओं के संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारी को उचित समझा जाएगा। प्रकटीकरण व्यवहार के शुरुआत में होना चाहिए, और उसकी कम से कम अर्धवार्षिक आधार पर पुष्टि होनी चाहिए (सितंबर और मार्च – समाप्ति पर), और किसी भी समय जहाँ आवश्यकता का भंग किया गया हैं। उल्लिखित आवधिक प्रकटीकरण हर प्रतिभूतिकरण व्यवहार के लिए अलग से करना होगा, उसकी सक्रियता के दौरान, संस्था के रिपोर्ट में, निवेशक रिपोर्ट, न्यास रिपोर्ट या अन्य तत्सम प्रकाशित कागज़ात में। उल्लिखित प्रकटीकरण परिशिष्ट 1 में दिए गए फार्मेट में भी कर सकते हैं।

16.2 वार्षिक लेखा में किया जाने वाला प्रकटीकरण

प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की वार्षिक लेखा की टिपण्णी में एसपीवी बहीयों के आधार पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा प्रायोजित प्रतिभूतिकृत आस्तियों की बकाया राशि का और एमआरआर के अनुपालन के लिए तुलनपत्र की तारीख को एनबीएफसी द्वारा प्रतिधारित जोखिम की कुल राशि का उल्लेख होना चाहिए। यह आंकडें एसपीवी से प्रवर्तक एनबीएफसी द्वारा प्राप्त किए गए हो और एसपीवी के लेखा परीक्षको द्वारा उचित रूप से

प्रमाणित जानकारी पर आधारित होने चाहिए। यह प्रकटीकरण परिशिष्ट 2 में दिए गए फार्मेट में किया जाना चाहिए।

1.7 ऋण उत्पत्ति मानक

प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को प्रतिभूतिकृत किये जाने वाले एक्स्पोजर की ऋण हामीदारी पर उसी प्रकार की ठोस और स्पष्ट परिभाषित मानदण्डों को लागू करना चाहिए जैसा कि वे अपनी बहियों में धारण किये जाने वाली एक्सपोज़रों पर करते हैं । इस उद्देश्य के लिए प्रवर्तकों द्वारा ऋणों के अनुमोदन की तथा जहां लागू हो वहां संशोधन, समीक्षा और निगरानी की वही प्रक्रिया लागू की जानी जाहिए।

1.8 ऊपर निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा न करने वाली प्रतिभूतीकृत आस्तियों के संबंध में ट्रीटमेंट

जब तक कि अन्यथा स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया हो इस पैरा में निहित सभी दिशानिर्देश केवल नए लेन देन पर लागू होंगे। यदि प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ऊपर उल्लिखित पैरा 1.1 से 1.7 में दी गई अपेक्षाओं को पूरा करने में चूक करती हैं, तो प्रतिभूतिकृत आस्तियों को प्रतिभूतिकृत किया ही नहीं था यह मानकर उनके लिए पूंजी बनाई रखनी होगी। यह पूंजी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा अपने अन्य प्रतिभूतीकरण लेनदेन के प्रति वर्तमान एक्सपोज़र के लिए आवश्यक पूंजी के अतिरिक्त होगी ।

2. प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र वाली प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को छोड़कर अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा पूरी की जाने वाली अपेक्षाएं

2.1 पर्याप्त सावधानी के लिए मानक

2.1.1 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां केवल उस स्थिति में किसी प्रतिभूतीकरण स्थिति में निवेश कर सकती है या एक्सपोजर ले सकती है जब प्रवर्तक (अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी /एफआए/एनबीएफसी) ने स्पष्टतया ऋण देने वाली संस्थाओं को प्रकटीकरण किया हो कि उसने इन दिशानिर्देशों में निहित एमआरआर और एमएचपी का पालन और अविरत आधार पर एमआरआर दिशानिदेशों का पालन करते रहेगा ।

2.1.2 निवेश करने के पूर्व और उसके बाद गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपने प्रत्येक प्रतिभूतीकरण स्थिति के लिए यह सिद्ध करने में समर्थ होना चाहिए कि प्रतिभूतीकृत स्थितियों में उनके प्रस्तावित/मौजूदा निवेशों की उन्हें पूरी समझ है । गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह भी सिद्ध करना होगा कि इस प्रकार का मूल्यांकन करने के लिए उन्होंने निम्नलिखित का विश्लेषण और अभिलेखबद्ध करने के लिए आधिकारिक नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू किया है :

ए) प्रवर्तकों द्वारा प्रतिभूतीकरण के एमआरआर के संबंध में प्रकट की गयी सूचना, कम-से-कम अर्धवार्षिक आधार पर ।

बी) निवेशकर्ता गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की प्रतिभूतीकरण स्थिति के कार्य निष्पादन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली, अलग-अलग प्रतिभूतीकरण स्थिति की जोखिम संबंधी विशेषताएं जिनमें प्रतिभूतीकरण की समस्त संरचनात्मक विशेषताएं शामिल हैं (अर्थात् श्रृंखला की वरिष्ठता,

अधीनस्थ श्रृंखलाओं का परिमाण, समय पूर्व भुगतान जोखिम और साख संवर्धन पुनर्निर्धारण के प्रति उसकी संवेदनशीलता, चुकौती 'वाटर-फाल' की संरचना, 'वाटर-फाल' संबंधी प्रेरक तत्व, श्रृंखलाओं की समयबद्ध चुकौती में श्रृंखला की स्थिति (समय-श्रृंखला), चलनिधि संवर्धन, चलनिधि सुविधाओं के मामले में साख संवर्धन की उपलब्धता, चूक की डी-स्पेसिफिक परिभाषा, आदि) ।

सी) प्रतिभूतीकरण पोजीशन में अंतर्निहित एक्सपोजर की जोखिम विशेषताएं (अर्थात् ऋण की गुणवत्ता, ऋण समूह में विविधीकरण और एकरूपता का स्तर, अलग-अलग उधारकर्ताओं के चुकौती व्यवहार की उनकी आय के स्रोत के अलावा अन्य घटकों के प्रति संवेदनशीलता, ऋण का समर्थन करने वाले संपार्श्विकों के बाजार मूल्य की अस्थिरता, अंतर्निहित उधारकर्ता जिन आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए हैं उनकी चक्रीयता आदि ।)

डी) ऋण मूल्यांकन और ऋण निगरानी मानक, पूर्व के प्रतिभूतीकरण में एमआरआर और एमएचपी मानकों का अनुपालन तथा प्रतिभूतीकरण के लिए एक्सपोज़र के चुनाव में औचित्य के संबंध में प्रवर्तकों की प्रतिष्ठा ।

ई) प्रतिभूतीकरण पोजीशन में अन्तर्निहित एक्सपोजर श्रेणी में प्रवर्तकों का पूर्व प्रतिभूतीकरण में हानि का अनुभव, अन्तर्निहित उधारकर्ताओं द्वारा की गयी धोखाधड़ी घटना, प्रवर्तकों के कथन और वारंटी की सच्चाई ;

एफ) प्रतिभूतीकृत एक्सपोजर तथा जहां लागू हो प्रतिभूतीकृत एक्सपोजर का समर्थन करने वाले संपार्श्विक के संबंध में बरती गयी समुचित सावधानी के संबंध में प्रवर्तक अथवा उनके एजेंट या परामर्शदाताओं के वक्तव्य और प्रकटीकरण;

जी) प्रतिभूतीकृत एक्सपोजर का समर्थन करने वाले संपार्श्विक के मूल्यांकन में प्रयुक्त क्रियाविधि और अवधारणाएं तथा मूल्यांकनकर्ता की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तक द्वारा अपनायी गयी नीति;

2.1.3 जब बाद में प्रतिभूतीकृत लिखत द्वितीयक बाजार में किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा खरीद ली जाती हैं तो उस समय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रवर्तक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह ऐसी स्थिति रखेंगी जिससे एमआरआर की पूर्ति होगी।

2.2 दबाव परीक्षण

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपने प्रतिभूतीकरण पोजीशन के अनुकूल नियमित रूप से दबाव परीक्षण करनी चाहिए । इस प्रयोजन के लिए विभिन्न घटकों पर विचार किया जा सकता है, जैसे आर्थिक मंदी की स्थिति में अंतर्निहित पोर्टफोलियो की चूक दरों में वृद्धि, ब्याज दरों में गिरावट के कारण अवधि पूर्व चुकौती की दरों में वृद्धि अथवा उधारकर्ताओं के आम स्तर में वृद्धि के कारण एक्सपोजर का समयपूर्व भुगतान, साख संवर्धकों की रेटिंग में गिरावट के कारण प्रतिभूतियों (आस्ति समर्थित/बंधक समर्थित प्रतिभूति) के बाजार मूल्य में गिरावट तथा प्रतिभूतियों की तरलता के अभाव के कारण उच्चतर विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन ।

2.3 ऋण निगरानी

यह आवश्यक है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अपनी प्रतिभूतीकरण स्थिति में अंतर्निहित एक्सपोजर के कार्य निष्पादन संबंधी सूचना पर निरंतर आधार पर नजर रखें और यदि जरूरी हो तो समुचित कार्रवाई करें । इस कार्रवाई में प्रतिभूतीकरण लेनदेन के अंतर्निहित आस्ति श्रेणी के किसी प्रकार के प्रति एक्सपोजर सीमा में परिरवर्तन, प्रवर्तकों पर लागू सीमा में परिवर्तन आदि शामिल हो सकता है । इस प्रयोजन के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को प्रक्रिया स्थापित करनी चाहिए, जो पैरा 2.1.2 में निर्दिष्ट प्रतिभूतीकृत पोजीशन में उनके एक्सपोजर की जोखिम प्रोफाइल के अनुकूल हो । जहां प्रासंगिक हो, वहां इसमें निम्नलिखित शामिल होना चाहिए - एक्सपोजर का प्रकार, 30, 60 और 90 दिवस से अधिक विगत देय होने वाले ऋणों का प्रतिशत, फोरक्लोजर में ऋण, ऋण स्कोर का बारंबारता वितरण, संपार्श्विक प्रकार और कब्जा तथा अंतर्निहित एक्सपोजरों की ऋण पात्रता के अन्य माप, औद्योगिक और भौगोलिक विविधता, मूल्य अनुपात के अनुरूप ऋण का बारंबारता वितरण जिसमें इतना बैंडविड्थ हो कि पर्याप्त संवेदनशीलता विश्लेषण हो सके । गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अन्य बातों के साथ-साथ अनुबंध I में प्रवर्तक द्वारा किये गये प्रकटीकरण का प्रयोग प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर की निगरानी के लिए कर सकती हैं ।

2.4 ऊपर निर्दिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करने वाले एक्सपोजर का ट्रीटमेंट

ऊपर पैरा 2.1 से 2.3 तक दी गयी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करने वाले प्रतिभूतीकरण एक्सपोजरों को निवेशक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी 667% का जोखिम भार देंगे । गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को पैरा 2.1 से2.3 तक निहित दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए गहन प्रयास करना चाहिए । 667% का उच्चतर जोखिम् भार 1 अक्तूबर 2012 से लागू होगा । गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को 30 सितंबर 2012 से पहले पैरा 2.1 से 2.3 की अपेक्षाओं को लागू करने के लिए आवश्यक प्रणाली और प्रक्रियाएं स्थापित करनी चाहिए ।

भाग - बी

सीधे सौंपे गये नकदी प्रवाह और अंतर्निहित प्रतिभूतियों के माध्यम से आस्तियों के अंतरण वाले लेनदेन पर दिशानिर्देश

1. प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा पूरी की जाने वाली अपेक्षाएं

1.1 अंतरण के लिए पात्र आस्तियां

1.1.1 इन दिशानिर्देशों के तहत, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एकल मानक आस्तियों का या ऐसी आस्तियों के भाग का या ऐसी आस्तियों के पोर्टफोलियो का वित्तीय संस्थाओं को, निम्न अपवादों के साथ समुदेशन (असाइनमेंट) विलेख के माध्यम से, अंतरण कर सकती है ।

i) परिक्रामी उधार सुविधाएं (अर्थात् क्रेडिट कार्ड प्राप्य राशियां आदि)
ii) अन्य सस्थाओं से खरीदी गई आस्तियां
iii) मूलधन और ब्याज की एकबारगी चुकौती वाली आस्तियां

1.1.2 तथापि, यह दिशानिर्देश इन पर लागू नहीं होंगे :

i) उधारकर्ता के ऋण खातों को उधारकर्ता के अनुरोध/पहल पर किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी तथा अन्य बैंक/एफआई/ एनबीएफसी के बीच अंतरण
ii) बांड में लेनदेन
iii) पोर्टफालियो की बिक्री व्यवसाय से पूरी तरह बाहर निकालने के निर्णय के फलस्वरूप ऐसे निर्णय को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के निदेशक मंडल की अनुमति होनी चाहिए ।
iv) सहायता संघ और समूहन व्यवस्थाएं
v) अन्य कोई व्यवस्था/लेनदेन, विशेषकर जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा छूट प्रदान की हो ।

1.2 न्यूनतम धारण अवधि (एमएचपी)

खंड ए के पैरा 1.2 की तरह

1.3 न्यूनतम प्रतिधारण अपेक्षा (एमआरआर)

भाग ए के पैरा 1.2 के अनुसार 1.3.1 प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अन्य वित्तीय संस्थाओं की आस्तियों का अंतरण करते समय निम्न सारणी में दिए गए एमआरआर का पालन करना चाहिए:

आस्ति का प्रकार	**एमआरआर**
24 माह से या उससे कम की मूल परिपक्वता अवधि वाली आस्तियां	सममात्रा आधार पर अंतरित आस्तियों से नकदी प्रवाह से 5% प्राप्त करने के अधिकार का प्रतिधारण ।

i)	24 माह से अधिक मूल परिपक्वता अवधि वाली आस्तियां; और	सममात्रा आधार पर अंतरित आस्तियों से नकदी प्रवाह से 10% प्राप्त करने के अधिकार का प्रतिधारण ।
ii)	भाग ख के पैरा 1.1 की पाद टिपण्णी 11 में उल्लिखित ऋण ।	

1.3.2 आस्तियों की आंशिक बिक्री के मामले में, यदि उपर्युक्त पैरा 1.3.1 के अनुसार अपेक्षित एमआरआर से अधिक हिस्सा बिक्रेता ने प्रतिधारित किया हो, तब बिक्रेता द्वारा धारित हिस्से से, बेचे गए हिस्से के 5% समान हिस्सा या बेचे गए हिस्से के 10% हिस्सा, जो भी मामला हो, एमआरआर माना जाएगा । तथापि, बिक्रेता गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा एमआरआर सहित धारित सभी एक्सपोजर बेची गई आस्तियों के हिस्से के समानस्थ होना चाहिए।

1.3.3 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऋण अंतरण के मामले में किसी भी प्रकार का साख संवर्धन का प्रस्ताव नहीं देनी चाहिए और नकद प्रवाह के सीधे समनुदेशन द्वारा चलनिधि सुविधाएं नहीं देनी चाहिए क्योंकि, ऐसे मामलों में निवेशक सामान्यतः संस्थागत निवेशक होते है जो आवश्यक पर्याप्त सावधानी के बाद एक्सपोजर को समझने और उसे धारण करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता रखते है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को आई/ओस्टिप में निवेश के माध्यम से भी कोई एक्सपोजर नहीं रखनी चाहिए जो ऋण स्थानांतरण से एक्सेस इंटरेस्ट स्प्रेड/फ्युचर मार्जिन आय का प्रतिनिधित्व करती है । तथापि, प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऊपर उल्लिखित पैरा 1.3.1 में निहित एमआरआर आवश्यकताओं को पूरा करना ही होगा । पैरा 1.3.1 में उल्लेख किए गए एमआरआर के अनुपालन के लिए अंतरित ऋण में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा आंशिक ब्याज के प्रतिधारण को विधिक रूप से वैध कागजातों का समर्थन होना चाहिए। कम से कम, प्रवर्तक द्वारा निम्न के संबंध में कानूनी मत अभिलेख में रखनी होगीः

ए) प्रवर्तक द्वारा धारित ब्याज राशि की विधिक वैधता

बी) ऐसी व्यवस्था जो समनुदेशित के अधिकारों और प्रतिफल में उस सीमा तक हस्तक्षेप नहीं करती हैं जिस सीमा तक उसे अंतरित किया गया है ;

सी) समनुदेशिती को अंतरित ऋणों की सीमा तक ऋण से संबद्ध पुरस्कार या कोई जोखिम न रखने वाला प्रवर्तक

1.3.4 ऋण बेचने वाली संस्था को एमआरआर बनाए रखना होगा । दूसरे शब्दों में, मानक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण पर निहित दिशानिर्देशों वाले 01 फरवरी 2006 के परिपत्र के पैरा 5(vi) के अनुसार अन्य संस्थाएं जिन्हें 'प्रवर्तक' माना गया है उनके द्वारा एमआर्र नहीं रखा जा सकता।

1.3.5 प्रवर्तक द्वारा प्रतिबद्धता का स्तर अर्थात् , एमआरआर ऋण जोखिम की बचाव व्यवस्था या प्रतिधारित ब्याज की बिक्री के कारण घटना नहीं चाहिए। हानि आत्मसात् करने के माध्यम से या अनुपाती चुकौती के कारण प्रतिधारित एक्सपोज़र घटने के मामलों को छोडकर अपरिशोधित मूल

धन के प्रतिशत के रूप में एमआरआर अविरत आधार पर बनाए रखा जाना चाहिए। प्रतिभूतीकरण की सक्रियता के दौरान एमआरआर के रूप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

1.3.6 इन दिशानिर्देशों के तहत एमआरआर के अनुपालन के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून के अनुसार समुचित कागज़ात तैयार किये गये हैं।

1.4 प्रारंभिक लाभ बुक करना

1.4.1 नकद में प्राप्त लाभ की राशि "लंबित पहचान के ऋण अंतरण सौदो में नकदी लाभ" के लेखा खातों में धारण की जा सकती है । प्रतिभूतीकरण सौदों के कारण उत्पन्न होने वाले नकदी लाभ का परिशोधन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाएगा और निम्नानुसार उसकी गणना होगीः

परिशोधन किया जाने वाला लाभ = मैक्स {एल, [(एक्स*(वाई/जेड))], [(एक्स/एन)]}

एक्स= वर्ष के प्रारंभ में "लंबित पहचान वाले ऋण अंतरण सौदो में नकदी लाभ" खाते में शेष अपरिशोधित नकदी लाभ की राशि

वाई = वर्ष के दौरान परिशोधित मूल धन की राशि

ज़ेड = वर्ष के प्रारंभ में अपरिशोधित मूल धन

एल = पोर्टफोलियो पर हुई हानि (ऋण हानि के लिए प्रतिधारित एक्सपोज़र के लिए विशिष्ट प्रावधान + सीधे बट्टे खाते डाले गए+ यदि कोई और हानि हो, तो) ।

एन = प्रतिभूतीकरण लेनदेन की अवशिष्ट परिपक्वता

1.4.2 लेखाकंन , आस्तियों का वर्गीकरण और एमआरआर के लिए प्रावधान हेतु नियम

एमआरआर का प्रतिनिधित्व करने वाले एक्सपोजरों की आस्तियों का वर्गीकरण और प्रावधानीकरण नियम निम्नानुसार होंगेः

ए) यदि अंतरित ऋण खुदरा ऋण है तो एमआरआर का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि का समेकित खाता प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा रखी जाएगी। ऐसे मामलों में, एमआरआर के परिशोधन में प्राप्य समेकित राशि और उसकी आवधिकता स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होनी चाहिए और एमआरआर की अतिदेयता की स्थिति ऐसी राशि के पुनर्भुगतान के संदर्भ में निश्चित होनी चाहिए। वैकल्पिक रूप से, प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी उन खातों के लिए धारित अनुपातिक राशियों के लिए उधारकर्तावार खाता रखना जारी रख सकती है। ऐसे मामले में, वैयक्तिक ऋण खातों की अतिदेय स्थिति हर एक खाते में प्राप्त पुनर्भुगतान के संदर्भ में निश्चित की जानी चाहिए।

ख) खुदरा ऋणों को छोड़कर अन्य ऋण समूह के अंतरण के मामले में, प्रवर्तक को प्रत्येक ऋण के संबंध में प्रतिधारित आनुपातिक राशियों के लिए उधारकर्तावार खातों को बनाए रखना चाहिए। ऐसे मामले में, निजी ऋण खातों की अतिदेय स्थिति प्रत्येक खाते से प्राप्त चुकौती के संदर्भ में निश्चित करनी चाहिए।

ग) यदि प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अंतरित ऋण के लिए समनुदेशीत बैंक /गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के सर्विसिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है, तो वह अंतरित

ऋणों के अतिदेय स्थिति से अवगत होगा, जो प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की बहियों में पूरे एमआरआर/एनपीए के रूप में एमआरआर का प्रतिनिधित्व करने वाले अलग-अलग ऋणों के वर्गीकरण का आधार होगा और जो ऊपर उल्लिखित पैरा (ए) और (बी) में स्पष्ट की गई लेखा पद्धति पर निर्भर होगा ।

1.5 ऋण प्रवर्तक मानक

भाग ए में दिये गए पैरा 1.6 के समान

1.6 ऋण ओरिजिनेशन मानक

भाग ए में दिये गए पैरा 1.7 के समान

1.7 ऊपर उल्लिखित अपेक्षाओं को पूरा न करने वाली बेची गई आस्तियों का ट्रीटमेंट

इस पैरा में निहित सभी अनुदेश, पैरा 1.4.2 को छोड़कर , इस परिपत्र की तारीख को या उसके बाद प्रारंभ किए गए लेन देन पर लागू होंगे। पैरा 1.4.2 में निहित अनुदेश वर्तमान और नई लेन देन दोनों पर लागू होंगे। यदि प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ऊपर उल्लिखित पैरा 1.1 से 1.6 में निहित अपेक्षाओं के पालन में चूक करती है, तो उसे बेची गई आस्तियों के लिए इस प्रकार पूंजी बनाए रखनी होगी माने वे अभी भी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी) की बहियों में हैं।

2. खरीदार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा पूरी की जाने वाली अपेक्षाएं

2.1 ऋण की खरीद पर प्रतिबंध

यदि विक्रेता ने खरीद करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को पैरा 1.3 में विनिर्दिष्ट एमआरआर का निरंतर आधार पर अनुपालन करने का स्पष्ट रूप से प्रकटीकरण किया है, तो ही गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अन्य बैंक/एफआई/एनबीएफसी से भारत में ऋण खरीद सकते हैं । इसके अतिरिक्त, घरेलू लेनदेनों के लिए, खरीदार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रवर्तक संस्था ने उनके द्वारा खरीदे गए ऋणों के संबंध में एमएचपी मानदण्डों के लिए निर्धारित किए गए दिशानिर्देशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया है ।

2.2 पर्याप्त सावधानी के लिए मानक

2.2.1 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास ऋण/ऋण के पोर्टफोलियो की खरीद के पहले उनके लिए पर्याप्त सावधानी हेतु कुशल कर्मचारियों के रूप में आवश्यक संसाधन और विशेषज्ञता और प्रणाली होनी चाहिए। इस संबंध में खरीदार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को निम्न दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए:

ए) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपने निदेशक मंडल की अनुमति से, समुचित सावधानी की क्रियाविधि के संबंध में नीतियां तैयार करनी चाहिए और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के अपने अधिकारियों द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) के संबंध में अपेक्षाओं और अंतर्निहित आस्तियों के ऋण गुणवत्ता के संबंध में लागू करना चाहिए। अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी नीतियों को अंतर्निहित ऋण गुणवत्ता के मूल्यांकन की पद्धति भी निर्धारित करनी चाहिए।

बी) खरीदे गए ऋणों के संबंध में समुचित सावधानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बाह्य स्रोत से नहीं की जा सकती और उसे अपने अधिकारियों द्वारा उसी कड़ाई से पूरी की जानी चाहिए जैसा कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा नये ऋण मंजूर करते समय की जाती है ।

सी) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यदि अपने कुछ गतिविधियों जैसे जानकारी और कागज़ात जुटाना आदि, बाह्य स्रोत से करना चाहता है तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को खरीदे जाने वाले ऋण के चयन और अपने ग्राहक को जानिए की आवश्यकताओं के संबंध में पूरी जिम्मेदारी लेना जारी रखना होगा।

2.2.2 अलग-अलग ऋण या ऋण पोर्टफोलियो खरीदने के पूर्व , और उसके पश्चात जैसा उचित हो, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यह सिद्ध करने में सक्षम होनी चाहिए कि खरीदे गए ऋण के जोखिम के प्रोफाइल के अनुरूप व्यापक और संपूर्ण समझ है और उससे संबंधित औपचारिक नीतियां और पूर्ण पद्धतियां भी लागू की है। उसे निम्नलिखित का विश्लेषण और अभिलेखबद्ध करना चाहिए :

ए) एमआरआर के संबंध में प्रवर्तक द्वारा किया गया प्रकटीकरण, निरंतर आधार पर ;

बी) खरीदे गये पोर्टफोलियो के एक्सपोजर की जोखिम विशेषताएं (अर्थात् ऋण की गुणवत्ता, ऋण समूह में विविधीकरण और एकरूपता का स्तर, अलग-अलग उधारकर्ताओं के चुकौती व्यवहार की उनकी आय के स्रोत के अलावा अन्य घटकों के प्रति संवेदनशीलता, ऋण का समर्थन करने वाले संपार्श्विकों के बाजार मूल्य की अस्थिरता, अंतर्निहित उधारकर्ता जिन आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए हैं उनकी चक्रीयता आदि ।)

सी) ऋण मूल्यांकन और ऋण निगरानी मानक, पूर्व के पोर्टफोलियो अन्तरण में एमआरआर और एमएचपी मानकों का अनुपालन तथा अन्तरण के लिए एक्सपोज़र के चुनाव में औचित्य के संबंध में प्रवर्तकों की प्रतिष्ठा ।

डी) संबंधित अन्तर्निहित एक्सपोजर श्रेणी में ऋणों/पोर्टफोलियो के पूर्व अन्तरण में प्रवर्तकों का हानि संबंधी अनुभव, अन्तर्निहित उधारकर्ताओं द्वारा की गयी धोखाधड़ी घटना, प्रवर्तकों के कथन और वारंटी की सच्चाई ;

ई) अन्तरित एक्सपोजर तथा जहां लागू हो अन्तरित ऋणों का समर्थन करने वाले संपार्श्विक के संबंध में बरती गयी समुचित सावधानी के संबंध में प्रवर्तक अथवा उनके एजेंट या परामर्शदाताओं के वक्तव्य और प्रकटीकरण;

एफ) अन्तरित ऋणों के मूल्यांकन में प्रयुक्त क्रियाविधि और अवधारणाएं तथा मूल्यांकनकर्ता की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तक द्वारा अपनायी गयी नीति;

2.3 दबाव परीक्षण

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपने खरीदे गये ऋण पोर्टफोलियो के अनुकूल नियमित रूप से दबाव परीक्षण करनी चाहिए । इस प्रयोजन के लिए विभिन्न घटकों पर विचार किया जा सकता है, जैसे आर्थिक मंदी की स्थिति में अंतर्निहित पोर्टफोलियो की चूक दरों में वृद्धि, ब्याज दरों में

गिरावट के कारण अवधि पूर्व चुकौती की दरों में वृद्धि अथवा उधारकर्ताओं के आय स्तर में वृद्धि के कारण एक्सपोजर का समय पूर्व भुगतान ।

2.4 ऋण निगरानी

2.4.1 यह आवश्यक है कि क्रेता गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां खरीदे गये ऋण की कार्य निष्पादन संबंधी सूचना पर निरंतर आधार पर नजर रखें और यदि जरूरी हो तो समुचित कार्रवाई करें । इस कार्रवाई में अंतर्निहित आस्ति श्रेणी के किसी प्रकार के प्रति एक्सपोजर सीमा में परिवर्तन, प्रवर्तकों पर लागू सीमा में परिवर्तन आदि शामिल हो सकता है । इस प्रयोजन के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को खरीदे गये ऋण की जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप आधिकारिक प्रक्रिया स्थापित करनी चाहिए । यह प्रक्रिया उतनी ही कड़ी होनी चाहिए जितनी उन ऋणों के पोर्टफोलियो के संबंध में होती है जिन्हें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने सीधे ओरिजिनेट किया हो। विशेष रूप से ऐसी प्रक्रियाओं से अलग-अलग खातों में समय पर कमजोरी के लक्षण पकड़ने तथा देय होने के बाद 180 दिन बीतते ही भारतीय रिज़र्व गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के दिशा निर्देशों के अनुसार अनर्जक उधारकर्ताओं की पहचान करने में आसानी होनी चाहिए। एकत्रित सूचना में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए - एक्सपोजर का प्रकार, 30, 60 और 90 दिवस से अधिक विगत देय होने वाले ऋणों का प्रतिशत,चूक दरें, अवधिपूर्व भुगतान दरें, फोरक्लोजर में ऋण, ऋण स्कोर का बारंबारता वितरण, संपार्श्विक प्रकार और कब्जा तथा अंतर्निहित एक्सपोजरों की ऋण पात्रता के अन्य माप, औद्योगिक और भौगोलिक विविधता, मूल्य अनुपात के अनुरूप ऋण का बारंबारता वितरण जिसमें इतना बैंडविड्थ हो कि पर्याप्त संवेदनशीलता विश्लेषण हो सके। यदि इस प्रकार की सूचना सीधे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से नहीं ली जाती है और सर्विस एजेंट से ली जाती है, तो वह सर्विसिंग एजेंट के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अन्य बातों के साथ-साथ **परिशिष्ट I** में प्रवर्तक द्वारा किये गये प्रकटीकरण का प्रयोग एक्सपोजर की निगरानी के लिए कर सकते हैं ।

2.4.2 ऋण निगरानी पद्धतियां जिसमें बैंक/ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के समवर्ती और आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी का सत्यापन शामिल होगा, जो पोर्टफोलियो के आकार पर निर्भर होगा। खरीद करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लेखा परीक्षकों द्वारा ऐसे सत्यापनों का सर्विसिंग करार में प्रावधान होना चाहिए। सभी संबंधित जानकारी और लेखा रिपोर्ट खरीदार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के दौरान भारिबैं के अधिकारियों को सत्यापन के लिए उपलब्ध होना चाहिए।

2.5 सच्ची बिक्री मानदण्ड

2.5.1 बिक्री (इस शब्द में इसके आगे आस्ति की सीधी बिक्री, समनुदेशन और अंतरण का अन्य कोई प्रकार शामिल होगा, किंतु ऋण खातों का उधारकर्ता के प्रस्ताव पर अन्य वित्तीय संस्थाओं को एकमुश्त अंतरण और बांडों की बिक्री जो अग्रिम के स्वरूप के नहीं हैं शामिल नहीं होंगे।) के फलस्वरूप 'बिक्री करने वाला बैंक' (इसके आगे इस शब्द में सीधी बिक्री करने वाला बैंक, समनुदेशन करने वाला गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी और अन्य प्रणाली के माध्यम से अंतरण करने वाला गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी शामिल होगा) का बेची गई आस्तियों से तत्काल कानूनी

अलगाव होना चाहिए। खरीदार को अंतरित करने के बाद बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से आस्तियां पूर्ण रूप से अलग होनी चाहिए अर्थात्, बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी और साथ साथ उसके ऋणदाता की पहुंच से बाहरहोनी चाहिए, यहाँ तक कि बिक्री करने वाले/ समनुदेशित करनेवाले/ अंतरित करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के दिवालियापन की स्थिति में भी ।

2.5.2 बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को असरदार तरिके से आस्तियों से संबंधित सभी जोखिम/प्रतिफल और अधिकार/दायित्वों का अंतरण करना चाहिए और इन दिशानिर्देशों के तहत जिन्हें विशेष अनुमति दी गई है, उन्हें छोडकर, बिक्री के बाद आस्तियों में किसी प्रकार के लाभप्रद हितों को धारण नहीं करना चाहिए। खरीदार को गिरवी रखने, बिक्री, अंतरण या अदला बदली या अवरुद्ध करने वाली शर्तों से मुक्त अन्य माध्यमों से आस्तियों का निपटारा करने का निरंकुश अधिकार होना चाहिए। बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को बिक्री के बाद आस्तियों में कोई आर्थिक हित नहीं रखना चाहिए और खरीदार को, इन दिशानिर्देशों के तहत विशेष रूप से अनुमति प्रदत्त कारणों को छोडकर, बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से व्यय या हानि की पूर्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए।

2.5.3 बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर किसी भी समय आस्तियों या उसके किसी अंश या खरीदार द्वारा धारण की हुई स्थानापन्न आस्तियों की पुनः खरीद या निधीयन या अतिरिक्त आस्तियां उपलब्ध कराने का कोई दायित्व नहीं होगी, केवल उन स्थितियों को छोड़कर जो आश्वासनों के भंग होने के कारण या बिक्री के समय किए गए अभिवेदनों के कारण उत्पन्न हुई हों। बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को यह सिद्ध करने में समर्थ होना चाहिए कि खरीदार को इस आशय की नोटिस दी गई थी और खरीदार ने ऐसे दायित्वों की अनुपस्थिति की प्राप्ति सूचना दी थी।

2.5.4 बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने खरीदार को हुई हानि की भरपाई करने के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं ली और न ही वह बाध्य है । यह सुनिश्चित करने के लिए उसने सभी तर्कसंगत सावधानियां ली थीं, उसे यह सिद्ध करने में समर्थ होना चाहिए।

2.5.5 केवल नकदी के आधार पर ही बिक्री होगी और प्रतिफल आस्तियों के अंतरण के समय तक प्राप्त होना चाहिए। बिक्री प्रतिफल बाजार-आधारित होना चाहिए और मूल्यांकन समुचित दूरी के आधार पर पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए।

2.5.6 ऋण बिक्रेता यदि ऋण की सर्विसिंग करने वाले एजेंट की तरह काम करता है, तो इससे लेनदेन की 'सच्ची बिक्री' का स्वरूप समाप्त नहीं होता , बशर्ते ऐसी सेवा प्रतिबद्धताओं के कारण बिक्री की गई आस्तियों पर अवशिष्ट ऋण जोखिम या ऐसी सेवाओं के संबंध में संविदात्मक कार्य-निष्पादन जिम्मेदारियों के अलावा कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं आती ।

2.5.7 बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के कानूनी परामर्शदाता से राय लेकर अभिलेख में रखना चाहिए जिसमें यह कहा गया हो कि (i) आस्तियों में सभी अधिकार, स्वामित्व, हित और लाभ खरीदार को अंतरित किए गए हैं। (ii) बिक्री करने वाला गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी

खरीदार के प्रति ऊपर उल्लिखित पैरा 2.5.6 में दिए गए अनुसार इन आस्तियों के संबंध में सर्विसिंग जिम्मेदारियों के अलावा किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है (iii) बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के ऋणदाताओं को इन आस्तियों के संबंध में, यहाँ तक कि बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के दिवालियापन की स्थिति में भी, कोई अधिकार नहीं होगा ।

2.5.8 खरीदार को आस्तियाँ अंतरण करने के बाद अंतर्निहित संविदा/संविदाओं की शर्तों पर कोई पुनर्निर्धारण, पुनर्रचना या पुन; समझौता हुआ हो तो वह खरीदार पर बाध्यकारी होगा और एमआरआर की सीमा को छोडकर , बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर बाध्यकारी नहीं होगा ।

2.5.9 बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से आस्तियों के अंतरण के कारण अंतर्निहित संविदा का संचालन करने वाले किसी नियम और शर्तों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और सभी आवश्यक अनुमतियां बाध्यताधारी से (तृतीय पक्ष सहित, जहाँ आवश्यक हो) प्राप्त करनी चाहिए।

2.5.10 यदि बिक्री करने वाला गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बिक्री के बाद अलग सेवा संविदा के तहत शुल्क लेकर सेवाएं उपल्ब्ध कराता है, और उधारकर्ता के भुगतान/ चुकौतियां उसके माध्यम से कराए गए हैं, तो उधारकर्ता से जबतक ये भुगतान प्राप्त न हों तब तक खरीदार को निधि के प्रेषण के लिए बिक्री करने वाला जिम्मेदार नहीं है।

2.6 वारंटी और अभिवेदन

अन्य वित्तीय संस्थाओं को, आस्तियां बिक्री करने वाले प्रवर्तक उन आस्तियों के संबंध में अभिवेदन और वारंटी दे सकता है । जहाँ निम्न शर्तों को पूरा किया गया हो वहां विक्रेता को ऐसे अभिवेदन और आश्वासनों के लिए पूंजी धारण करने की आवश्यकता नहीं है ।

ए) कोई भी अभिवेदन या वारंटी केवल औपचारिक लिखित करार के तहत दिया जाता है ।

बी) विक्रेता कोई भी अभिवेदन या वारंटी देने के या लेने के पहले पर्याप्त उचित सावधानी बरतता है ।

सी) अभिवेदन या वारंटी का संबंध वर्तमान परिस्थिति से है, जिसका आस्तियों की बिक्री के समय विक्रेता द्वारा सत्यापन किया जा सकता है।

डी) अभिवेदन या वारंटी निरंतर स्वरूप की नहीं हो सकती और, खासकर, ऋण/अंतर्निहित उधारकर्ता के भावी साख से संबद्ध नहीं है।

ई) अभिवेदन और वारंटी का प्रयोग, जिसमें प्रवर्तक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बिक्री की गई आस्तियों के बदले में (या उसके किसी भाग के लिए) अभिवेदन और आश्वासन में दिए गए आधार पर दूसरी आस्ति रखे, निम्नानुसार किया जाना चाहिए :

* आस्तियों के अंतरण से 120 दिनों के भीतर : और
* मूल बिक्री के नियमों और शर्तों पर ही संचालित ।

एफ) जिस विक्रेता को अभिवेदन और वारंटी के भंग के लिए क्षतिपूर्ति देना आवश्यक है वह ऐसा तभी करेगा जब क्षतिपूर्ति देने की संविदा निम्न शर्तों को पूरा करती है :

*अभिवेदन और वारंटी का भंग होना सिद्ध करने की जिम्मेदारी हर समय आरोप लगाने वाले पक्ष पर है

*विक्रेता पर भंग का आरोप करनेवाले पक्ष ने लिखित नोटिस जारी किया हो, जिसमें दावे के आधारों को स्पष्ट किया गया हो; और

*भंग के फलस्वरूप हुई सीधी हानि तक ही क्षतिपूर्ति सीमित होती है।

जी) विक्रेता को किसी अन्य वित्तीय संस्था को बेची गई आस्तियों के बदले में आस्ति देने की या अभिवेदन और वारंटी के भंग के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति का भुगतान करने की घटनाओं के संबंध में भारिबैं (गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग) को सूचित करना चाहिए।

2.7 आस्तियों की पुनःखरीद

सीधे समनुदेशन लेनदेन में बिक्रेता द्वारा अंतरित आस्तियों पर प्रभावी नियंत्रण को सीमित करने के उद्देश्य से, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास अंतरित आस्तियों पर "क्लिन अप-कॉल" के माध्यम सहित कोई पुनःखरीद की संविदा नहीं होनी चाहिए।

2.8 पूंजी पर्याप्तता और अन्य विवेक पूर्ण मानदण्ड की प्रयोज्यता

2.8.1 कार्पोरेट ऋणों की सीधी खरीद के लिए पूंजी पर्याप्तता ट्रीटमेंट गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा सीधे प्रवर्तित किए गए ऋणों पर जिस तरह से लागू होता है उसी तरह लागू होगा । प्रतिभूतिकरण के के श्रृंख्ला में निवेश के पूंजी पर्यापता तथा प्रतिभूतिकरण लेनेदेन के लिए अन्य विवेकपूर्ण मानदण्ड को प्रभावित करेगी। बैंक, यदि चाहे तो, खरीदने के पहले ऋणों के समूह की रेटिंग करा सकता है ताकि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अपनी समुचित सावधानी के अलावा ऋण समूह की गुणवत्ता के संबंध में तृतीय पक्ष के दृष्टीकोण को समझ सके। तथापि, इस प्रकार की रेटिंग समुचित सावधानी का विकल्प नहीं बन सकती जिसे खरीदार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को इस खंड के पैरा 2.2 की शर्तों के तहत पालन करना आवश्यक है ।

2.8.2 खरीदार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए खुदरा और गैर-खुदरा ऋणों के समूह की खरीद में, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और एक्सपोजर मानदण्ड अलग-अलग बाध्यताधारी के आधार पर लागू होंगें और पोर्टफोलियो के आधार पर नहीं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को आस्तियों के वर्गीकरण, आय पहचान और प्रावधानीकरण मानदण्डों को पोर्टफोलियो स्तर पर लागू नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ट्रीटमेंट समय बद्ध तरीके से अलग-अलग खातों में कमजोरी पता लगाने और उन्हें दूर करने की क्षमता न रखने के कारण ऋण पर्यवेक्षण को कमजोर करने की संभावना रखती है। यदि खरीदार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी खरीदे गए ऋण के पोर्टफोलियो में अलग-अलग बाध्यताधारी वार खातों को नहीं रख रहे हैं, तो उनके पास अलग-अलग बाध्यताधारी आधार पर विवेक पूर्ण मानदण्ड लागू करने की वैकल्पिक प्रणाली होनी चाहिए, विशेष रूप से बाध्यताधारियों की उन राशियों का वर्गीकरण किया जाना चाहिए, जिन्हें वर्तमान

विवेक पूर्ण मानदण्ड के अनुसार एनपीए समझा जाना आवश्यक है । ऐसी प्रणाली सर्विसिंग एजेंटों से खातावार ब्योरा प्राप्त करने की हो सकती है, जो पोर्टफोलियो को विभिन्न आस्ति श्रेणियों में वर्गीकरण करने के लिए सहायक सिद्ध होती है। ऐसे विवरण सेवा एजेंट के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित किये जाने चाहिए। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के समवर्ती लेखापरीक्षक, आंतरिक लेखापरीक्षक और सांविधिक लेखा परीक्षक को सर्विसिंग एजंटो द्वारा रखे गए रिकार्ड के आधार पर इन पार्टफोलियो की जांच करनी चाहिए। सर्विसिंग संविदा में खरीदार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लेखापरीक्षकों द्वारा इस प्रकार की जांच का प्रावधान होना चाहिए। सभी संबद्ध जानकारी और लेखापरीक्षा रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के निरीक्षण अधिकारियों को खरीदार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध किए जाने चाहिए।

2.8.3 खरीदे गए ऋण अधिग्रहण लागत पर माने जाएंगे बशर्ते वे अंकित मूल्य से अधिक नहीं हों। अंकित मूल्य से अधिक होने पर भुगतान किया गया प्रीमियम सीधी रेखा पद्धति से या प्रभावी ब्याज दर पद्धति से, जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा उचित समझा जाए, परिशोधित होना चाहिए । बकाया/अपरिशोधित प्रीमियम को पूंजी से घटाने की आवश्यता नहीं है। खरीदे गए ऋणों पर छूट /प्रीमियम को पोर्टफोलियो के आधार पर हिसाब में लेना चाहिए या अनुपातिक दर पर वैयक्तिक एक्सपोजरों में विभाजित करना चाहिए।

2.9 उक्त निर्धारित अपेक्षाओं का पालन न करने वाले एक्सपोजरों का ट्रीटमेंट

ऊपर उल्लिखित पैरा 2.1 से 2.8 में निहित अपेक्षाओं को जहाँ पूरा नहीं किया गया है वहां निवेशकर्ता गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी 667% का जोखिम भार असाइनमेंट एक्सपोजर पर लगायेगा । यद्यपि, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को गंभीरता से पैरा 2.1 से 2.4 में निहित दिशानिर्देशों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए, इन पैराग्राफों के अनुपालन न करने की स्थिति में 667% का उच्च जोखिम भार 1 अक्तूबर 2012 से लागू हो जाएगा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को 31 अक्तूबर 2012 के पहले पैरा 2.1 से 2.4 में निहित अपेक्षाओं को लागू करने के लिए आवश्यक प्रणाली और पद्धतियां लागू करनी चाहिए।

भाग सी

प्रतिभूतीकरण गतिविधियां/ एक्सपोजर जिनकी अनुमति नहीं दी गयी है

1. वर्तमान में, भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निम्नलिखित प्रतिभूतीकरण गतिविधियां या प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर्स करने की अनुमति नहीं है ।

1.1 आस्तियों का पुनर्प्रतिभूतिकरण

पुनर्प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र एक ऐसा प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर है जिसमें अंतर्निहित एक्सपोजर समूह से संबद्ध जोखिम श्रृंखलाबद्ध है और कम से कम एक अंतर्निहित एक्सपोजर प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर है । इसके अलावा, एक या अधिक पुनर्प्रतिभूतीकरण एक्सपोजरों के प्रति एक्सपोजर पुनर्प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर है । पुनर्प्रतिभूतीकरण एक्सपोजरों की यह परिभाषा आस्ति समर्थित प्रतिभूतियों के संपार्श्विकृत ऋण दायित्वों (सीडीओ) पर लागू होगी, उदाहरण के लिए आवासीय बंधक समर्थित प्रतिभूतियों द्वारा समर्थित सीडीओ (आरएमबीएस) ।

1.2 संश्लिष्ट प्रतिभूतीकरण

संश्लिष्ट प्रतिभूतीकरण ऐसी संरचना है जिसके साथ जोखिम के कम से कम दो भिन्न स्तरीय पोजीशन होते हैं या ऐसी श्रृंखलाएं होती हैं जो ऋण जोखिम की भिन्न दशाएं प्रतिबिंबित करती हैं, जहाँ अंतर्निहित एक्सपोजर का समूह पूर्ण या अंशतः, (अर्थात् क्रेडिट-लिंक्ड नोटस्) या अनिधिक (अर्थात् ऋण चूक स्वैप) क्रेडिट डेरिवेटिव या गारंटियों के माध्यम से अंतरित की जाती हैं जो पोर्टफोलियो के ऋण जोखिम के बचाव का कार्य करती है । तदनुसार, निवेशकों की संभावित हानि अंतर्निहित समूह के कार्यनिष्पादन पर निर्भर है।

1.3 परिक्रामी संरचना के साथ प्रतिभूतीकरण (प्रारंभिक परिशोधन विशेषताओं सहित या उसके अतिरिक्त)

इनमें ऐसे एक्सपोजर आते हैं जहाँ उधारकर्ता किसी ऋण व्यवस्था (अर्थात् क्रेडिट कार्ड प्राप्य राशि और नकदी ऋण सुविधाएं) के अंतर्गत तयशुदा समय सीमा के भीतर आहरित राशि और चुकौती राशि में घट-बढ़ कर सकते हैं । विशिष्ट रूप से रिवाल्विंग संरचना में परिशोधित आस्तियां होंगी जैसे क्रेडिट कार्ड प्राप्य राशि, व्यापार में प्राप्य राशि, बिक्रेता फ्लोअरप्लान ऋण और कुछ पट्टे जो अपरिशोधन संरचना को समर्थन देती हैं, बशर्ते उनको समयपूर्व परिशोधन विशेषताओं के साथ न बनाया गया हो । समयपूर्व परिशोधन का अर्थ प्रतिभूतियों की उनकी सामान्य संविदात्मक परिपक्वता के पहले चुकौती है। समयपूर्व परिशोधन के समय तीन संभावित परिशोधन प्रक्रियाएं हैं ; (i) सीमित परिशोधन (ii) तीव्र या अनियंत्रित परिशोधन (iii) नियंत्रित परिशोधन के बाद अनियंत्रित परिशोधन (नियंत्रित अवधि समाप्त होने के पश्चात)

2. ऊपर उल्लिखित दिशानिर्देशों में प्रतिबंधित लेनदेनों की उपयुक्तता और औचित्य की यथा समय पुनः समीक्षा की जाएगी।

परिशिष्ट-1

प्रकटीकरण के फार्मेट प्रस्ताव दस्तावेजों की आवश्यकता, सेवा रिपोर्ट, निवेश रिपोर्ट आदि.

प्रतिभूतिकरण लेन देन का नाम /पहचान सं.

	प्रकटी करण का स्वरूप	**विवरण**			**राशि/प्रतिशत/वर्ष**
1.	अंतर्निहित आस्तियों की परिपक्वता विशेषताएं(प्रकटीकरण की तारीख को)/	i)	अंतर्निहित आस्तियों के भारित औसत परिपक्वता अवधि (वर्षों में)		
		ii)	अंतर्निहित आस्तियों का परिपक्वता-वार वितरण/		
			ए)	एक वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाली आस्तियों का प्रतिशत	
			बी)	एक से तीन वर्षों के भीतर परिपक्व होने वाली आस्तियों का प्रतिशत	
			सी)	तीन से पांच वर्षों के भीतर परिपक्व होने वाली आस्तियों का प्रतिशत	
			डी)	पांच वर्षों के बाद परिपक्व होने वाली आस्तियों का प्रतिशत	
2	प्रतिभूतिकृत आस्तियों का न्यूनतम धारिता अवधि (एमएचपी)	i)	आरबीआई दिशानिदेशों के तहत आवश्यक एमएचपी (वर्ष / महिने)		
		ii)	ए)	प्रतिभूतिकरण के समय प्रतिभूतिकृत आस्तियों की भारित औसतन धारिता अवधि(वर्ष / महिने)	
			बी)	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए न्यूनतम और अधिकतम धारिता अवधि	
3	प्रकटीकरण की तारीख को न्यूनतम धारिता आवश्यकता (एमआरआर)	i)	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के बही मूल्य का आरबीआई दिशानिदेशों के तहत एमआरआर का प्रतिशत और प्रकटीकरण की तारीख को बकाया।		
		ii)	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के बही मूल्य का वास्तविक प्रतिधारण और प्रकटीकरण की तारीख को बकाया		
		iii)	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के बही मूल्य में		

				एमआरआर का गठन करने वाली धारित जोखिमों के प्रकार (प्रतिभूतिकृत आस्तियों के बही मूल्य का प्रतिशत और प्रकटीकरण की तारीख को बकाया)	
			ए)	ऋण वृद्धि (अर्थात क्या शेयरों में निवेश/गौण श्रृंखला , प्रथम/दूसरी हानी गारंटी, नकदी संपार्श्विक, अतिसंपार्श्विकीकरण में निवेश हैं।)	
			बी)	वरिष्ठ श्रृंखला में निवेश	
			सी)	चलनिधि आधार	
			डी)	अन्य कोई (कृपय उल्लेख करें	
		iv)		भंग, कोई हो तो, और उसके कारण	
4	अंतर्निहित ऋणों की ऋण गुणवत्ता	i)		अतिदेय ऋणों का वितरण	
			ए)	30 दिनों तक अतिदेय ऋणों का प्रतिशत	
			बी)	31 से 60 दिनों तक अतिदेय ऋणों का प्रतिशत	
			सी)	61 से 90 दिनों तक अतिदेय ऋणों का प्रतिशत	
			डी)	90 और 120 दिनों के बीच अतिदेय ऋणों का प्रतिशत	
			ई)	120 और 180 दिनों के बीच अतिदेय ऋणों का प्रतिशत	
			ऊ)	180 दिनों से अधिक अतिदेय ऋणों का प्रतिशत	
		ii)		अंतर्निहित ऋणॉ के निवेश खाते के लिए उपलब्ध मूर्त जमानत का विवरण (वाहन, बंधक आदि.)	
			ए)	प्रतिभूति 1(नाम देने का) (% रक्षित ऋण)	
			बी)	प्रतिभूति 2	
			सी)	प्रतिभूति 'एन'	

		iii)	अंतर्निहित ऋणो के लिए उपलब्ध सुरक्षा कवच की व्याप्ति		
			ए)	समूह में शामिल पूरीतरह से जमानती ऋणों का प्रतिशत	
			बी)	समूह में शामिल अंशत: जमानती ऋणों का प्रतिशत	
			सी)	समूह में शामिल पूरीतरह से गैरजमानती ऋणों का प्रतिशत	
		iv)	रेटिंग वार अंतर्निहित ऋणॉ का वितरण (यदि यह ऋण रेटेड हैं)		
			ए)	एनबीएफसी की आंतरिक श्रेणी/ बाह्य श्रेणी (आंतरिक ग्रेड का सर्वोच्च श्रेणी का 1 के रूप में उल्लेख कर सकते हैं)	
				1/एएए या समकक्ष	
				2	
				3	
				4.....	
				एन	
			बी)	समूह की भारित औसतन रेटिंग/	
		v)	अतीत में देखा गया समान निवेश खातों में चूक का दर		
			ए)	पिछले पांच वर्षों के दौरान औसतन वार्षिक चूक का दर	
			बी)	पिछले वर्ष के दौरान औसतन वार्षिक चूक का दर	
		vi)	समरूप पोर्ट फोलियों वालों का अपग्रेडेशन /वसूली/ हानी दर		
			ए)	उन्नत एनपीए का प्रतिशत(पिछले पांच वर्षों का औसत)	
			बी)	वर्ष के प्रारंभ में एनपीए की बट्टेखाते डाली गई राशि का प्रतिशत(पिछले पांच वर्षों का औसत)	
			सी)	वर्ष के दौरान वृद्धिशील एनपीए की	

				वसूली गई राशि(पिछले पांच वर्षों का औसत)	
		vii)	एलटीवी अनुपात के वितरण की आवृति , आवसीय ऋण के मामले में और वाणिज्यिक स्थावर संपदा ऋण)		
			ए)	एलटीवी अनुपात से 60% से कम ऋण का प्रतिशत	
			बी)	एलटीवी अनुपात से 60 से 70% के बीच ऋण का प्रतिशत	
			सी)	एलटीवी अनुपात से 75% से अधिक ऋण का प्रतिशत	
			डी)	अंतर्निहित ऋणॉ के एलटीवी अनुपात का भारित औसत(%)	
5	ऋण समूह की अन्य विशेषताएं	i)	मिश्र समुहों के मामलों में ऋणों का उद्योगवार अलग अलग विवरण(%)		
			उद्योग 1		
			उद्योग 2		
			उद्योग 3....		
			उद्योग एन		
		ii)	ऋण समुहों का भौगोलिक वितरण (राज्यवार) (%)		
			राज्य 1		
			राज्य 2		
			राज्य 3		
			राज्य 4		

परिशिष्ट- 2

एनबीएफसी लेखा नोट टिप्पणियों में की जाने वाली घोषणा

क्रम सं.	**विवरण**	**सं. /राशि करोड रूपयों में**
1.	प्रतिभूतिकरण व्यवहारों के लिए एनबीएफसी द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या[19]	
2.	एनबीएफसी द्वारा प्रायोजित, एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि	
3.	तुलनपत्र की तारीख को एमआरआर के साथ अनुपालन के लिए एनबीएफसी द्वारा एक्सपोजर की प्रतिधारित कुल राशि	
	ए) तुलनपत्रेतर एक्सपोजर्स	
	* प्रथम घाटा	
	* अन्य	
	बी) तुलनपत्र एक्सपोजर्स	
	* प्रथम घाटा	
	* अन्य	
4	एमआरआर के इतर प्रतिभूतिकरण व्यवहारों में एक्सपोजर की राशि	
	ए) तुलनपत्रेतर एक्सपोजर्स	
	i) स्वयं की प्रतिभूतियों की एक्सपोजर्स ।	
	* प्रथम घाटा	
	* प्रथम घाटा	
	ii) तृतीय पक्ष प्रतिभूतिकरण की एक्सपोजर	
	* प्रथम घाटा	
	* अन्य / Others	
	बी) तुलनपत्र पर एक्सपोजर	
	i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण की एक्सपोजर	
	* प्रथम घाटा	
	* अन्य	
	ii) तृतीय पक्ष पतिभूतिकरण की एक्सपोजर	
	* प्रथम घाटा	
	* अन्य	

1 एकल आस्ति के प्रतिभूतिकरण में कोई ऋण श्रृंखला और एक्सपोजर का पुनर्वितरण शामिल नहीं होता है, अत: वे प्रतिभूतिकरण के आर्थिक उद्देश्यों के प्रति तर्कसंगत नहीं है।

2 इन अनुदेशों में ऋण /आस्तियां यह शब्द ऋण, अग्रिम और बांडों के संदर्भ में प्रयोग किए गए है जो अग्रिम के रूप में है।

3 12 माह की परिपक्वता अवधि में प्राप्त होने वाले कारोबार एनबीएफसी द्वारा उनके उधारकर्ता से भुनाये /खरीदे गए प्रतिभूतिकरण के लिए पात्र होंगे। तथापि, केवल वह ऋण /प्राप्त होने वाली प्रतिभूतिकरण के लिए पात्र होंगे जहां बिल के अदाकर्ता द्वारा पिछले दो ऋणों /प्राप्त होने वाली की पूरी राशि देय तारीख से 180 दिनों के भीतर चुकायी गई है।

4 जहां चुकौती की अवधि तिमाही के अंतराल से अधिक है, वहां न्यूनतम दो किश्तों की चुकौती के बाद ऋण का प्रतिभूतिकरण किया जा सकता है।

5 एनबीएफसी के लिए न्यूनतम सीआरएआर की आवशयकता 15% है। अत: पूंजी भार एक्सपोजर मूल्य से अधिक न हो यह सुनिश्चित करने के लिए एक्सपोजर भार की उच्चतम सीमा 667% पर निर्धारित की गई है।

6 बाजार दर बाजार घाटा सहित एनबीएफसी द्वारा किए गए घाटे का विशेष प्रावधान 'यदि कोई होतो' किया जाए तथा एमएमआर पर सीधे बट्टे खाते डाले जाने के और अन्य कोई प्रतिभूतिकरण व्यवहारों की एक्सपोजर्स (ऋण वृद्धि के अलावा केवल पृथक ब्याज) लाभ-हानी खाते पर भारित की जायेगी। तथापि, परिशोधन सुत्र द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लाभ-हानी खाते में डेबिट किए गए इनका "ऋण अंतरण के व्यवहारों पर नकद लाभ के लंबित निर्धारित खातों" के शेष की व्याप्ति तक प्रतितुलन किया गया है। एनबीएफसी ने भारिबैं के वर्तमान मार्गदर्शि सिंद्धांतों के अनुसार "ऋण अंतरण के व्यवहारों पर नकद लाभ के लंबित निर्धारित खातों" के शेष नकद लाभ को हिसाब में लिए बिना प्रतिभूतिकरण की जोखिमों के लिए पूंजी धारण करनी चाहिए।

7 ऋण वृद्धि के संबंध में घाटे को हिसाब में लेते समय केवल ब्याज को छोड देना, कृपया पैरा 1.5.3 देखें।

8 आई / ओ स्ट्रिप्स परिशोधनीय या अपरिशोधनीय हो सकती है। आई / ओ स्ट्रिप्स के परिशोधन के मामले में एनबीएफसी आवधिक नकद प्राप्त करेगी, केवल वही राशि जो घाटा खपाने के बाद, यदि कोई हो तो, आई / ओ स्ट्रिप्स द्वारा समर्थित होगी। प्राप्त होने पर यह राशि लाभ हानी खाते में जमा की जायेगी और देय परिशोधनीय राशि की तुल्य राशि " ऋण अंतरण के व्यवहारों पर वसूल नहीं किया गया लाभ" के लिए बट्टे खाते डाला जा सकता है। एनबीएफसी की बहियों में आई/ओ स्ट्रिप्स का मूल्य घटाने वाले खाते में अपरिशोधनीय आई / ओ स्ट्रिप्स के मामले में, एनबीएफसी को जब और जैसी भी एसपीवी द्वारा आई / ओ स्ट्रिप्स के सामने बट्टे खाते में डालने की सूचना प्राप्त होगी, वह "ऋण अंतरण व्यवहारों

पर अप्राप्य" के विरुद्ध तुल्य राशि बट्टे खाते में डालेगी एनबीएफसी की बहियों में आई / ओ स्ट्रिप्स का मूल्य घटाने वाले खाते में। आई / ओ स्ट्रिप्स के अंतिम मोचन के समय प्राप्त राशि, नकद में मिली हुई लाभ-हानी खाते में ली जा सकती है।

9 इन अनुदेशों में, अंतरण का अर्थ होगा सीधी बिक्री के माध्यम से आस्तियों का अंतरण, समनुदेशन और आस्तियों के अंतरण का अन्य कोई प्रकार। अंतरण के लिए प्रयोग किया गया प्रजातिगत शब्द होगा खरीद और बिक्री।

10 12 माह के परिपक्वता अवधि के साथ कारोबार के प्राप्य एनबीएफसी द्वारा उनके उधारकर्ता से भुनाये /खरीदे गए समनुदेशन के माध्यम से प्रत्यक्ष अंतरण के लिए पात्र होंगे। तथापि, केवल वह ऋण /प्राप्य प्रतिभूतिकरण के लिए पात्र होंगे जहां बिल के अदाकर्ता द्वारा पिछले दो ऋणों /प्राप्यों की पूरी राशि देय तारीख से 180 दिनों के भीतर चुकायी गई है।

11 किए जाने वाले विशिष्ठ प्रावधानों के साथ साथ धारित जोखिमों पर प्रत्यक्ष बट्टा खाते डाले जाने वाला और अन्य घाटा, यदि कोई हो तो, को लाभ-हानी खाते को प्रभारित किया जाना चाहिए। इसके अलावा एनबीएफसी ने भारिबैं के प्रचलित अनुदेशों की शर्तों के अनुसार एमएमआर के हिस्से के रूप में धारित जोखिमों के लिए पूंजी धारण करनी चाहिए, "ऋण अंतरण के सौदो पर हुए नकद लाभ की मान्यता लंबित" है उनकी गणना किए बगैर । एनबीएफसी ने वर्तमान अनुदेशों के तहत अलग से एमएमआर पर प्रावधान के लिए 'मानक आस्तियां' खाता बनाए रखना आवश्यक है जो "ऋण अंतरण के सौदो पर नकद लाभ मान्यता लंबित" खातों पर प्रभारित नहीं होनी चाहिए।

12 ऋण वृद्धि के वर्तमान व्यवहारों के लिए या अन्य किसी प्रकार के प्रतिधारित एक्सपोजर के लिए पैरा 1.4.2 लागू होगा।

13 प्रतिभूतिकरण व्यवहार के वास्तविक बिक्री मानदण्ड के लिए, कृपया मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण पर 01 फरवरी 2006 बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 602/ 21.04.048 /2005-06 का संदर्भ लें जो समय समय पर यथा संशोधित किया गया है।

14 इस पैरा में, 'बेचनेवाली एनबीएफसी' शब्द के अर्थ में एनबीएफसी को ऋण बेचनेवाली अन्य वित्तिय संस्थाए शामिल है।

15 आस्तियों के एक हिस्से की बिक्री के मामले में, आस्ति के बेचे गए हिस्से को वास्तविक बिक्री के मानदण्ड लागू होंगे।

16 यह परिशिष्ट ऋण के सीधे अंतरण पर भी लागू होगा। इस उद्देश्य के लिए 'प्रतिभूतिकृत आस्तियां' /'आस्ति प्रतिभूतिकृत' का अर्थ 'ऋण का प्रत्यक्षा अंतरण /समनुदेशित' लिया जाएगा। एनबीएफसी ने प्रतिभूतिकरण और प्रत्यक्ष अंतरण के संबंधा में अलग से प्रकटीकरण /रिपोर्ट करना चाहिए।

17 व्यवहार शुरू से अंत तक की अवधि के लिए हर एक प्रतिभूतिकरण व्यवहार के संबंध में इन प्रकटीकरणों को अलग से किया जाय।

18 जैसा कि ऋण में बढावा, चलनिधि तथा ट्रेंचिंग सहायता नहीं है, अत: यह मद ऋण के सीधे अंतरण के लिए प्रासंगिक नहीं होगा।

19 यहां केवल एसपीवी से संबंधित बकाया प्रतिभूतिकरण व्यवहारों को रिपोर्ट किया जाय।

अनुबंध -2

आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाने वाली सामान्य कागजात /जानकारी की निदेशात्मक सूची। सभी कागज़ात /जानकारी दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए।

क्रम सं	**गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में प्रमाणपत्र और पंजीकरण प्राप्त करने वाली कंपनी द्वारा पूरी की जाने वाली आवश्यकताएं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए जाने करने के कागज़ात ।**	**फाईल के अनुसार पृष्ठ संख्या**
1	आवश्यक न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि रू 200 लाख।	
2	आवेदन दो अलग अलग सेटों में समुचित रूप से दो अलग अलग फाइलो में लगाकर व्यवस्थित पेज नम्बर के साथ प्रस्तुत करना होगा।	
3	पहचान का विवरण (अनुबंध ।)	
4	विवेकपूर्ण मानदण्ड पर विवरण (अनुबंध ।।).	
5	प्रबंधन के संबंध में सूचना (अनुबंध ।।।)	
6	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान से वर्तमान तारीख तक कंपनी के प्रबंधन में यदि कोई परिवर्तन हो तो उसका ब्योरा दिया जाए तथा उसके कारण बताये जाये।	
7	पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मामले में निगमन प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रतियां और कारोबार प्रारंभ करने का प्रमाणपत्र।	
8	कंपनी का संस्था के बहिर्नियम और संस्था के अंतर्नियम की अद्यतन प्रमाणित प्रतियां।	
9	वित्तीय कारोबार से संबद्ध मेमोरेंडम के खंडों का विवरण।	
10	संस्था के बहिर्नियम और संस्था के अंतर्नियम में परिवर्तन का विवरण विधिवत प्रमाणित किया हुआ।	
11	कंपनी को आबंटित पॅन /सीआईएन की प्रति	
12	अनुबंध ।। निदेशक /प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर कर और सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित करने के पश्चात प्रस्तुत किया जाए।	
13	अनुबंध ।।। (निदेशक का प्रोफाइल) प्रत्येक निदेशक द्वारा भरकर और हस्ताक्षर कर अलग से प्रस्तुत किया जाए। फर्म /कंपनियां /संस्थाए जिनमें निदेशक का पर्याप्त हित निहित हैं उनके संबंध में बैंकर का विवरण देने में सावधानी बरतनी होगी।	
14	यदि निदेशक पर्याप्त हित सहित या पर्याप्त हित के बिना (प्रत्येक कंपनी फर्म में धारिता का प्रतिशत का उल्लेख करें) अन्य कंपनियों से संबंधित हैं, तो कंपनी की गतिविधि तथा उनके विनियामक , यदि कोई हो तो उसका स्पष्ट रूप से ब्योरा दे।	
15	संबंधित एनबीएफसी से प्रमाण पत्र जहां से निदेशक ने एनबीएफसी का अनुभव प्राप्त किया है।	
16	निदेशकों को आबंटित पॅन और डीआईएन की प्रति।	
17	कंपनी के निदेशको के संबंध में सीआईबीआईएल आंकडें।	
18	पर्यापत हित के साथ /पर्याप्त हित के बगैर यदि निदेशकों द्वारा अनिगमित निकायों के ग्रूप में निदेशक पद धारण किया है तो ऐसी अनिगमित निकायो का पिछले 2 वर्षों का वित्तीय विवरण	
19	अनिगमित निकायों के संबंध में भारिबैं अधिनियम, 1934 के अध्याय ।।।ग की धारा 45ध के अनुपालन का	

	प्रमाणपत्र संलग्न करें जिसके साथ कंपनी के निदेशक संबंद्ध है।	
20	क्या कंपनी या अन्य कोई एनबीएफसी /आरएनबीसी पर पहले कोई प्रतिबंधक आदेश जारी किया गया था जिसके साथ निदेशक /प्रवर्तक आदि संबंद्ध हो? यदि हां, तो उसका ब्योरा।	
21	क्या कंपनी या उसका कोई निदेशक, परक्राम्य लिखत अधिनियम, की धारा 138(1) सहित, किसी अपराधिक मामले में लिप्त हैं? यदि हां तो उसका ब्योरा दें।	
22	कंपनी ने कोई सार्वजनिक जमा राशि स्वीकार नहीं की है और भविष्य में भी भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित अनुमति के बगैर कोई जमा राशि स्वीकार नहीं करेगी इस आशय का निदेशक मंडल संकल्प।	
23	कंपनी द्वारा पहले कोई सार्वजनिक जमा राशि स्वीकार नहीं किया गया है और आज तक कोई सार्वजनिक जमाराशि धारण नहीं किया गया है और भविष्य में भी भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित अनुमति के बगैर कोई जमा राशि स्वीकार नहीं करेगी इस आशय का निदेशक मंडल संकल्प।	
24	कंपनी द्वारा कोई एनबीएससी गतिविधि नहीं की जाती/एनबीएफसी गतिविधि समाप्त की गई है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किए बगैर इसे नहीं किया जाएगा /यह प्रारंभ नहीं किया जाएगा इस आशय का निदेशक मंडल संकल्प।	
25	"उचित व्यवहार संहिता" बनाने के संबंध में निदेशक मंडल संकल्प की प्रमाणित प्रति।	
26	सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि कंपनी सार्वजनिक जमा राशि स्वीकारती /धारण नहीं करती हैं।.	
27	सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि कंपनी द्वारा कोई एनबीएससी गतिविधि नहीं की जाती है।	
28	सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र जिसमें आवेदन की तारीख तक निवल स्वाधिकृत निधि प्रमाणित किया गया हो।	
29	प्रतिशत सहित कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी और नवीनतम शेयर धारिता स्वरूप का ब्योरा। यदि शेयर धारिता में कोई परिवर्तन की गई है तो उसका दस्तावेजी साक्ष्य। यदि कोई कॉरपोरेट शेयर धारक हैं, तो निवेश के पश्चात एनओएफ की पर्याप्तता को प्रमाणित करनेवाला सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र। अन्य कॉरपोरेट शेयर धारकों की गतिविधियों का ब्योरा भी उपलब्ध करायें।	
30	एनओएफ शेष का दर्शाता हुआ सावधि जमा रसीद और कोई धारणाधिकार नहीं है के समर्थन में बैंकर्स प्रमाणपत्र।	
31	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान यदि पूंजी का अंत:प्रवाह किया गया है तो कंपनी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किए गए आबंटन विवरण की प्रति के साथ उसका ब्योरा दें।	
32	बैंक शेष/ बैंक खाता तथा बैंक /शाखा का पूरा पता जहां से ऋण/क्रेडिट सुविधा ली गई है।	
33	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अन्य से जुटाए गए (निदेशकों से भी जुटाया गया हो तो) गैर जमानति ऋण का ब्योरा, कोई हो तो, और यदि यह सार्वजनिक जमा राशियों से छूट की श्रेणी में आता हैं तो लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र।	
34	कंपनी के ग्रूप/सहायक/होल्डिंग के विवरण से संबंधित चार्टर्ड अकांटेंट का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए: *(क्या कंपनी सीआईसी/सीआईसी-एनडी-एसआई है यह निर्धारित करने के उद्देश्य से, ग्रूप कंपनी की विशिष्ट व्याख्या 5 जनवरी 2011 के अधिसूचना सं: डीएनबीएस(पीडी)219/सीजीएम(यूएस)-2011 के पैरा 3(1) ख में किया गया है जिसके अनुसार ऐसी व्यवस्था जिसमें दो या दो से अधिक संस्थान* (entities) *का*	

	निम्नलिखित संबंधो में से किसी के द्वारा एक दुसरे से जुडा रहना. सहायक कंपनी- मूल कंपनी (एएस 21 के प्रावधानों के तहत परिभाषित), संयुक्त उपक्रम (एएस 27 के प्रावधानों के तहत परिभाषित) , सम्बद्ध (एएस 23 के प्रावधानों के तहत परिभाषित), प्रोमोटर - प्रोमोटी (सेबी विनियमन , 1997 (शेयरो का अधिग्रहण तथा टेकओवर) के आधार पर) , लिस्टेड कंपनी के लिए, संबंधित पार्टी (एएस 18 के प्रावधानों के तहत परिभाषित) , समान ब्रांड वाले नाम तथा ईक्विटी में 20% तथा अधिक का निवेश) ब्योरे में कंपनी का नाम ,उसकी गतिविधि ,क्या वह एनबीएफसी हैं या सेबी/ आईआरडीए/ एफएमसी /एनएचबी/ विदेशी विनियामक जैसा कोई उसका अन्य विनियामक है। यदि वे अविनियमित हैं तो उनकी गतिविधियों ,प्रमुख बैंकर का नाम ,पता ,खाता सं .का ब्योरा दे। क्या इन कंपनियों के नामो का उल्लेख आवेदक कंपनी के तुलनपत्र में किया जाता है ?यदि नहीं ,तो उल्लेख नहीं करने का कारण बतायें। क्या विदेशी ग्रूप कंपनियां सामान्य अनुमति मार्ग के तहत स्थापित की गई हैं या उचित प्राधिकरण की अनुमति से ,कोई हो तो। यदि ग्रूप में अन्य एनबीएफसी हैं ,अन्य एनबीएफसी होने का औचित्य बतायें।	
35	पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी की गतिविधियों की पृष्ठभूमि पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा एनबीएससी पंजीकरण के लिए आवेदन करने का कारण।	
36	क्या कंपनी द्वारा पहले भारतीय रिज़र्व बैंक के समक्ष पंजीकरण हेतु आवेदन किया गया था ,यदि अस्वीकृत हो गया था तो उसका पूर्ण विवरण दे। यदि पहले भारतीय रिज़र्व बैंक के समक्ष आवेदन नहीं किया गया है तो क्या कंपनी द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र के बगैर एनबीएफसी गतिविधियां की जा रही थी। यदि हां ,उसका कारण बताएं। क्या उनके द्वारा अब पूर्ण रूप से एनबीएफसी गतिविधियां बद कर दी गई है तथा यह उनके लेखा परीक्षको द्वारा प्रमाणित किया गया है। यदि कंपनी द्वारा किसी परिस्थिति में एनबीएससी कारोबार किया गया है तो धारा45 झक के उल्लंघन के लिए क्षमा याचना पत्र भी प्रस्तुत किया जाए।	
37	पिछले तीन वर्षों का निदेशक और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सहित लेखा परीक्षित तुलनपत्र और लाभ-हानि खाता या ऐसी कम अवधि के लिए जो उपलब्ध हो। (पहले से मौजूद कंपनियों के लिए)	
38	अगले तीन वर्ष के लिए कंपनी की कारोबार योजना (ए) कारोबार का प्रमुख क्षेत्र (बी) बाजार विभाजन और (सी) पूर्वानुमानित तुलन-पत्र, नकदी प्रवाह विवरण, परिसंपत्तियां /आय का स्वरूप के विवरण के साथ ब्योरा दे बिना किसी सार्वजनिक जमाशि तत्व के।	
39	दस्तावेजी साक्ष्य समर्थित , यदि कोई हो तो, कंपनी के प्रारंभ की पूंजी का स्रोत। बशर्ते बैंक विवरणी/आईटी विवरणी आदि स्वत: अभिप्रमाणित हो।	
40	दस्तावेजी साक्ष्य समर्थित अन्य कंपनियों के साथ विलय और अधिग्रहण का ब्योरा यदि कोई हो तो।	
41	क्या कंपनी किसी पूंजी बाजार गतिविधियों में लिप्त हैं? यदि हाँ, तो क्या कभी सेबी के किसी विनियमों का गैर अनुपालन किया गया है? (विवरण लेखा परीक्षकों द्वारा विवरण प्रमाणित किया हुआ हो।)	
42	क्या कंपनी को संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक के रूप में कार्य करने हेतु एफईडी द्वारा कभी कोई अनुमति प्रदान की गई थी? यदि हाँ, तो अनुमति प्रदान करने वाले भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र की प्रति।	
43	यदि कंपनी में एफडीआई हैं तो उसका प्रतिशत (उसके समर्थन में एफआईआरसी प्रस्तुत करें) और क्या वह पूंजीकरण के न्यूनतम मानदण्डों को पूरा करती हैं या नहीं (एफसी_जीपीआर भी प्रस्तुत करें)	

	(i) क्या एफडीआई एफआईपीबी की अनुमति से लाया गया हैं? (अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाए) (ii) क्या एफडीआई में सहयोग प्रदान करने वाली विदेशा संस्था अपने देश के पर्यवेक्षण के अधीन है? (यदि हां, नाम, पता और विनियामक का इमेल पता)। (iii) यदि नहीं हैं, तो विधिक स्थिति का उल्लेख करें, जैसे किस कानून के तहत यह स्थापित की गई है, उसकी सांविधिक प्रतिबद्धता, कौन सी प्रक्रिया के तहत स्थापित की गई, क्या शेयर बाजार पर सूचीबद्ध हैं आदि. (iv) विदेशी मुद्रा विभाग (एफईडी) की विशिष्ट अनुमति यदि कोई प्राप्त की हो तो/ यदि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में विदेशी आवक संप्रेषण प्रमाणपत्र प्राप्त की गई है तो आवेदक कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया जाए। (v) वित्तीय गतिविधिया करनेवाले ग्रूप/ सहयोगी कंपनियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियां तथा वित्तीय गतिविधियां जो अपने देश के अथवा अन्य किसी विनियामक द्वारा विनियमित होती है ,यदि कोई होतो। (vi) कोई ग्रूप/सहायक कंपनी भारत में परिचालन कर रही हैं, तो उसकी गतिविधियों, उसके साझीदार या सहयोगी, विनियामक/ कों आदि का ब्योरा प्रस्तुत किया जाए।	
44	आवेदक कंपनी को यह घोषणा करना होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जब कभी अपेक्षित हो वैसा इंटरनेट के माध्यम से विवरण की इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति करेने में सक्षम हैं। और कंपनी का इमेल पता दिया गया हैं?	
45	क्या आवेदक कंपनी, इसकी होल्डिंग कंपनी/सहायक कंपनी के निदेशकों द्वारा राजस्व प्राधिकरण अतहवा अन्य सांवधिक प्राधिकरण के दिशानिदेश के गैर अनुपालन का कोई संदर्भ है, यदि हां तो उसका ब्योरा दिया जाए अथवा “शून्य” लिखा जाए।	

नोट (1) उक्त जाँच सूची निदेशात्मक है और परिपूर्ण नहीं। आवश्यकता होने पर बैंक द्वारा अपने संतोष के लिए , एनबीएफसी-एमएफआई के रूप में पंजीकरण प्राप्त करने की पात्रता के लिए और कागज़ात की माँग कर सकता है।

(2) उक्त कागज़ातों के अतिरिक्त यदि बैंक और कागज़ात की माँग करता है तो ऐसी स्थिति में, आवेदक कंपनी को निर्धारित एक माह की अवधि में उत्तर देना होगा इसमें चूक करने की स्थिति में मूल सीओआर आवेदन कंपनी को आवश्यक जानकारी /कागज़ात के साथ पुन : प्रस्तुत करने के लिए वापस कर दिया जाएगा।

एनबीएफसी-एमएफआई-नई कंपनियां के लिए जाँच सूची

आवेदक कंपनी का नाम :

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम :

क्रम सं	जाँच के मद	पुष्टि	पृष्ठ सं.
1	क्या आवेदन पर उचित मुहर लगाई गई हैं?		
2	क्या आवेदन के साथ निम्न संलग्न हैं :		
ए.	अनुबंध । क्या निदेशक मंडल द्वारा प्राधिकृत निदेशक द्वारा अनुबंध पर कंपनी की मुहर के साथ विधिवत हस्ताक्षर किया गया हैं? कंपनी न्यूनतम एक साख सूचना ब्यूरो /कंपनी और न्यूनतम एक एसआरओ की सदस्य है इस आशय से संबंधित निदेशक मंडल का संकल्प।		
बी.	अनुबंध ।। - लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित क्या अनुबंध ।। में दी गई जानकारी /सूचना नवीनतम वार्षिक लेखा परीक्षित तुलनपत्र के आंकडों पर आधारित हैं? (जिस विशेष वर्ष में आवेदन किया जा रहा है उस वर्ष के 31 मार्च के बाद गठित कंपनियों के संदर्भ में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना आवेदन की तारीख से 30 दिन पहले की नहीं होनी चाहिए।)		
सी.	अनुबंध ।।। में प्रत्येक निदेशकों के संबंध में अतिरिक्त सूचना क्या डीआईएन और पॅन संख्या का उल्लेख किया गया हैं? यदि कंपनी ऋण सूचना ब्यूरो की पहले से ही सदस्य हैं तो क्या सभी निदेशकों के संबंध में सीआईबीआईएल के आंकडे प्रस्तुत किए गए हैं। यदि निदेशकों में कोई विदेशी नागरिक हैं, तो उनके संबंध में प्रस्तुत की गई विदेशी बैंकर की रिपोर्ट, पार-पत्र सं., सामाजिक सुरक्षा सं. उनके संबंध में प्रस्तुत की गई हैं? जो निवास के देश के प्राधिकरण द्वारा जारी पॅन नं: के समकक्ष हैं। क्या ऐसे कागज़ातो पर दी गई नाम और पते डीआईएन आबंटन पत्र पर दिए गए नाम और पते से मेल खाते हैं। यदि नहीं, तो विभिन्नता के कारण दिए गए है? या वास्तविकता हेतु प्रस्तुत दावा मैजिस्ट्रेट प्रमाणपत्र से समर्थित हैं।		

	क्या निदेशकों द्वारा वर्तमान और भूतपूर्व में धारित निदेशक पदों और उन कंपनियों /संस्थाओं के नाम और गतिविधियां जहाँ उनका पर्याप्त हित हैं। (10% से अधिक प्रतिशत का उल्लेख करें) प्रत्येक का उल्लेख अनुबंध III में किया गया हैं? क्या संस्थाएं जिसमें निदेशक , निदेशकपद धारित करते है उसके विनियामकों (आरबीआई,सेबी,आईआरडीए, पीएफआरडीए, एनएचबी या कोई अन्य विदेशी विनियामक) के नाम का उल्लेख किया गया है? यदि हां, तो कृपया पंजीकरण ब्योरा दीजिए। क्या संस्थाएं अविनियमित है? यदि हाँ, तो उनकी गतिविधियों का स्वरुप दीजिए। अनिगमित निकायों का वित्तीय विवरण, यदि ग्रूप में हो तो, जहाँ निदेशक पिछले 2 वर्षों से पर्याप्त हित के साथ /पर्याप्त हित के बिना निदेशक पद धारण करता हैं।		
3	क्या अनुबंध III के मद सं.15 में रिज़र्व बैंक से पंजीकृत एनबीएफसी के रूप किसी कंपनी के नाम का उल्लेख किया हैं? यदि हाँ, तो कृपया उसके पंजीकरण का ब्योरा दीजिए ।		
4	क्या आवेदक कंपनी ने पहले अपने नाम में परिवर्तन किया हैं? यदि हां, तो पहले का नाम और परिवर्तन की तारीखों के साथ नाम में परिवर्तन के समय के कंपनी अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का नाम प्रस्तुत किया गया हैं? नाम में परिवर्तन के लिए क्या आवेदक कंपनी ने कारण प्रस्तुत किया हैं?		
5	पिछले वित्तीय वर्ष से अब तक के दौरान कंपनी के प्रबंधन में यदि कोई परिवर्तन की गई है तो, उसका ब्योरा और उसके कारण।		
6	आवेदक कंपनी ने क्या कभी जमा राशियों की चुकौती और ब्याज के भुगतान में चूक की हैं? यदि हाँ, तो क्या उन्होंने ऐसे सभी लंबित मामलों की सूची प्रस्तुत की हैं और प्रत्येक मामले के संबंध में की गई कार्रवाई।		
7	क्या आवेदक कंपनी का उपभोक्ता मंच सहित किसी न्यायालय में कोई मामला लंबित हैं? यदि हाँ, तो क्या उनके द्वारा जमा राशियां स्वीकारने के मामलों सहित, यदि कोई हो, ऐसे सभी लंबित मामलों की सूची प्रस्तुत की हैं?		
8	क्या कंपनी की संस्था के बहिर्नियम (एमओए) और संस्था के अंतर्नियम की प्रमाणित अद्यतन प्रतियांअ प्रस्तुत की गई है?		

	ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम में किए गए परिवर्तन का विधिवत प्रमाणित ब्योरा। क्या आवेदक कंपनी के एमओए में एमएफआई का व्यवसाय करने के लिए समर्थन देने वाला /वाले खंड हैं?		
9	क्या आवेदक कंपनी द्वारा, यदि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो प्रारंभिक नाम तथा कंपनी के नाम में परिवर्तन के संबंध में गठन का नया प्रमाण पत्र सहित गठन का प्रमाण पत्र (कंपनी रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर वाला) की प्रमाणित प्रति प्रदान की गई है?		
10	क्या कंपनी द्वारा कंपनी को पॅन/सीआईएन संख्या आबंटित करने वाला पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत की हैं?		
11	क्या कंपनी द्वारा पिछले तीन वर्षों की प्रमाणित तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा की प्रतियां प्रस्तुत की हैं? यदि कंपनी को घाटा हो रहा है, तो उससे निकलने के उपायों का उल्लेख किया हैं?		
12	क्या आवेदक कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान, निदेशकों से सहित गैर-जमानती ऋण जुटाया गया हैं? यदि हाँ, तो क्या वे एपीडी दिशानिदेश, 1998 की धारा 2(1)(xii) के तहत सार्वजनिक जमाराशि की परिभाषित की परिभाषा में आते हैं?		
13	क्या कंपनी किसी पूंजी बाजार गतिविधियों में व्यस्त हैं? यदि हाँ, तो क्या सेबी के किसी विनियमों का अनुपालन शेष हैं? (विवरण लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)		
14	कंपनी का अद्यतन शेयर धारिता स्थिति क्या हैं और इनके बनने का प्रतिश्त क्या है? यदि कोई कॉरपोरेट एनबीएफसी शेयर धारक है, तो उन्हें अपने सांविधिक लेखा परीक्षक से सांविधिक एनओएफ लेने के संबंध में प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा बशर्ते ऐसी एनबीएफसी निवेश किया गया हो? अन्य कारपोरेट स्टेक धारकों की कार्य गतिविधि क्या है?		
15	क्या आवेदक कंपनी में एफडीआई धारण करती है? यदि हाँ, तो क्या एफडीआई एफआईपीबी की अनुमति से लाई गई हैं? (अनुमोदन की प्रति प्रस्तुत की जाए) धारण का प्रतिशत क्या हैं?		

	क्या इसके समर्थन में कंपनी द्वारा एफआईआरसी तथा एफसी-जीपीआर प्रस्तुत किया गया है? क्या कंपनी न्यूनतम पूंजीकरण मानदण्डों को पूरा करती है अथवा नहीं? (सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए) क्या विदेशी संस्था एफडीआई में योगदान दे रही हैं, बशर्ते वह अपने स्वदेश के पर्यवेक्षण के अधीन हों? यदि हाँ, तो विनियामक का नाम, पता और इमेल आईडी क्या हैं? यदि नहीं है, तो विदेशी निवेशक की विधिक स्थिति क्या हैं? किस हैसियत से इसकी स्थापन हुई थी? क्या यह सूचीबद्ध हैं या असूचीबद्ध संस्था हैं? आरबीआई, एफईडी द्वारा कोई अनुमति दी गई थी। यदि हाँ, तो अनुमति की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए। की गई गतिविधियां, वित्तीय गतिविधियां करने वाले ग्रूप /सहयोगी कंपनियों के विनियामक का ब्योरा जो स्वदेश या अन्य देश में विनियमित हो, कोई हो तो। यदि कोई ग्रूप /सहयोगी कंपनी भारत में परिचालन करती है, उसकी गतिविधियां, साझीदार या सहयोगी, विनियामक/ कों आदि का ब्योरा प्रस्तुत किया जाए।		
16	क्या कंपनी को एफईडी से संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक के रूप में कार्य करने के लिए कोई अनुमति प्रदान की गई थी? यदि हाँ, तो भारिबैं के अनुमति प्रदान करने वाले पत्र की प्रति।		
17	क्या आवेदक कंपनी ने निदेशक मंडल के आवेदन प्रस्तुत कराने और एनबीएफसी-एमएफआई जैसा सीओआर की में निहित और निदेशक को आवेदन प्रस्तुत कराने हेतु प्राधिकृत करने के प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की हैं?		
18	क्या कंपनी द्वारा पूर्व में सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार नहीं करने / उस तारीख तक सार्वजनिक जमाराशि धारण नहीं करने और भविष्य में बैंक की पूर्वानुमति के बगैर सार्वजनिक जमा राशि नहीं स्वीकार करेंगे इस आशय का निदेश मंडल के संकल्प की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है?		
19	क्या आवेदक कंपनी द्वारा किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान पर कोई अवांछित सघनता से बचने के लिए आंतरिक जोखिम सीमा निर्धारण करने वाले प्रमाणपत्र के संबंध में निदेश मंडल के संकल्प की प्रति प्रस्तुत की गई है?		
20	क्या आवेदक कंपनी द्वारा निदेशक मंडल के संकल्प की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है कि 02 दिसंबर 2011 के गैबैंपवि.सीसी.नीप्र.सं. 250/03.10.01/2011-12 में विनिर्दिष्ट ऋणों की कीमत निर्धारण,		

	उधार में उचित व्यवहार संहिता और वसूली पद्धति में बल का प्रयोग नहीं करना तथा इस संबंध में कंपनी अन्य विनियमों का पालन करेगी?		
21	क्या आवेदक कंपनी द्वारा निदेश मंडल के संकल्प की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें यह लिखा है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत कंपनी को लाइसेंस प्राप्त नहीं है?		
22	क्या लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र निम्न को प्रमाणित करता हैं : (ए) कंपनी इस तारीख को कोई सार्वजनिक जमाराशि धारण नहीं करती है। (बी) कंपनी इस तारीख को कोई एनबीएफसी गतिविधि नहीं कर रही है। (सी) कंपनी का एनओएफ_____ है। (डी) कंपनी कारोबार योजना में अनुमानित आंकडों के अनुसार कंपनी अर्हक स्वरूप की परिसंपत्ति मानदण्डों को पूरा करेगी।		
23	क्या आवेदक कंपनी ने यह घोषणा किया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जब कभी अपेक्षित हो वैसा इंटरनेट के माध्यम से विवरण की इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति करेने में सक्षम हैं? और कंपनी का इमेल पता दिया गया हैं?		
24	क्या आवेदक कंपनी के सभी निदेशकों ने व्यक्तिगत रूप से यह घोषणा किया है कि वे किसी भी अनिगमित निकायों से संबंद्ध नहीं हैं और वे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ध के प्रावधानों का अनुपालन करते है।		
25	क्या आवेदन के साथ ग्रूप /सहयोगी /सहायक /नियंत्रक /संबंधित कंपनी के संबंध में शेयर धारिता प्रतिशत सहित चार्टर्ड एकाउटेंट का प्रमाणपत्र संलग्न किया हैं। *(ग्रूप कंपनी की विशिष्ट व्याख्या 5 जनवरी 2011 के अधिसूचना सं: डीएनबीएस(पीडी)219/सीजीएम(यूएस)-2011 के पैरा 3(1) ख में किया गया है जिसके अनुसार ऎसी व्यवस्था जिसमें दो या दो से अधिक संस्थान (entities) का निम्नलिखित संबंधो में से किसी के द्वारा एक दुसरे से जुडा रहना. सहायक कंपनी- मूल कंपनी (एएस 21 के प्रावधानों के तहत परिभाषित), संयुक्त उपक्रम (एएस 27 के प्रावधानों के तहत परिभाषित) , सम्बद्ध (एएस 23 के प्रावधानों के तहत परिभाषित), प्रोमोटर - प्रोमोटी (सेबी विनियमन , 1997 (शेयरो का अधिग्रहण तथा टेकओवर) के आधार पर) , लिस्टेड कंपनी के लिए, संबंधित पार्टी (एएस 18 के प्रावधानों के तहत परिभाषित) , समान ब्रांड वाले नाम तथा ईक्विटी में 20% तथा अधिक का निवेश.)* क्या ब्योरे में कंपनी का नाम, उनकी गतिविधियां, उनके विनियामक का उल्लेख किया गया है?		

	यदि वे अविनियमित हैं तो उनकी गतिविधियां का विवरण दिया गया है? क्या उक्त कंपनियों /संस्थाओं का नाम आवेदक कंपनी के तुलन-पत्र में दर्शाए गए है? यदि नहीं, तो क्या आवेदक कंपनी ने उसके कारणों का उल्लेख किया हैं? क्या कोई ग्रूप कंपनी विदेश में अवस्थित है? यदि हाँ, तो क्या वह सामान्य अनुमति रूट के तहत या सक्षम प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त कर स्थापित की गई हैं? क्या ग्रूप कंपनियों में से कोई कंपनी एनबीएफसी है? यदि है तो पिछली निरीक्षण के दौरान पाये गए पर्यवेक्षी मद।		
26	क्या ग्रूप में कोई अन्य एनबीएफसी-एमएफआई/लंबित एनबीएफसी-एमएफआई है? यदि हैं, तो क्या आवेदक कंपनी ने ग्रूप में अन्य एनबीएफसी-एमएफआई होने का कोई न्यायोचित्य स्पष्टिकरण दिया हैं।		
27	क्या आवेदक कंपनी के संबंध आवेदक बैंकर की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है?		
28	आवेदक कंपनी ने अनुबंध III के मद 14 और 15 के सामने उल्लिखित के अनुसार आवेदक कंपनी के निदेशक जिन कंपनियों में पर्याप्त हित धारण करते है उन कंपनियों के संबंध में बैंकर की रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं?		
29	क्या आवेदक कंपनी ने ग्रूप /सहायक कंपनियों, कोई हो तो, के संबंध में बैंकर की रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं?		
30	क्या आवेदक कंपनी ने विदेशी निदेशकों के संबंध में, कोई हो तो, विदेशी बैंकों की रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं?		
31	क्या आवेदक कंपनी ने अगले तीन वर्षों के लिए कारोबार बढाने, बाजार हिस्सा और प्रस्तावित तुलनपत्र, नकदी प्रवाह विवरण, परिसंपत्तियां /आय के स्वरूप का विवरण देते समय सार्वजनिक जमाराशियों के तत्वों को छोडकर कारोबार की योजना प्रस्तुत की हैं?		
32	तीन वर्षों की अनुमानित कारोबार योजना में निम्न का भी (वर्षवार) उल्लेख आवश्यक रूप किया जाना चाहिए: i. प्रवर्तन की जानेवाले ऋण परिसंपत्तियों की राशि ii. आय अर्जन के लिए लगाई जाने वाली ऋण परिसंपत्तियों की राशि iii. ग्रामीण, अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों में प्रवर्तित की जानेवाली परिसंपत्तियों का अलग अलग विवरण। iv. ग्रामीण और अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में कंपनी जिन क्रियाकलापों		

	को सहायता प्रदान करना चाहती है। v. अनुमानित लाभ vi. उधार की औसतन लागत vii. परिसंपत्तियों पर औसतन प्रतिलाभ(आरओए) viii. निवल परिसंपत्ति के 85% से अधिक अर्हक स्वरूप की परिसंपत्ति ix. निम्नलिखित में अपेक्षित पूंजी व्यय ए. भूमि और इमारत तथा बी. सूचना प्रौद्योगिकी संसाधन x. कंपनी किस स्थान पर परिचालन करना चाहती हैं। xi. एसएचजी /जेएलजी के प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए संसाधनों का विनियोजन		
33	क्या कंपनी अधिनियम की धारा 274-278 के अनुपालन के अनुसार कंपनी में निदेशकों की संख्या रखा गई है? यदि नहीं तो इसके कारणों का उल्लेख करें।		
34	क्या कंपनी और उसके निदेशक परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के मामले सहित किसी अपराधी मामले में शामिल हैं?		
35	यदि कंपनी द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कोई पूंजी लगाई गई है तो उसका विवरण क्या कंपनी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की गई विवरणी के अनुसार है?		
36	आवेदक एनबीएफसी-एमएफआई की प्रारंभिक पूंजी के लिए निधि का स्रोत क्या है? क्या इस संबंध में कंपनी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है?		
37	क्या आवेदक कंपनी, इसकी होल्डिंग कंपनी/सहायक कंपनी के निदेशकों द्वारा राजस्व प्राधिकरण अतहवा अन्य सांवधिक प्राधिकरण के दिशानिदेश के गैर अनुपालन का कोई संदर्भ है, यदि हां तो उसका ब्योरा दिया जाए अथवा “शून्य” लिखा जाए।		

नोट (1) उक्त जाँच सूची निदेशात्मक है और परिपूर्ण नहीं। आवश्यकता होने पर बैंक द्वारा अपने संतोष के लिए , एनबीएफसी-एमएफआई के रूप में पंजीकरण प्राप्त करने की पात्रता के लिए और कागज़ात की माँग कर सकता है।

(2) उक्त कागज़ातों के अतिरिक्त यदि बैंक और कागज़ात की माँग करता है तो ऐसी स्थिति में, आवेदक कंपनी को निर्धारित एक माह की अवधि में उत्तर देना होगा इसमें चूक करने की स्थिति में मूल सीओआर आवेदन कंपनी को आवश्यक जानकारी /कागज़ात के साथ पुन : प्रस्तुत करने के लिए वापस कर दिया जाएगा।

मौजूदा एनबीएफसी-एमएफआई कंपनियों के लिए जाँच सूची

आवेदक कंपनी का नाम :

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम :

क्रम सं	जाँच के मद	पुष्टि	पृष्ठ सं.
1	क्या आवेदन पर उचित मुहर लगाई गई हैं?		
2	क्या आवेदन के साथ निम्न संलग्न हैं :		
ए.	अनुबंध I क्या निदेशक मंडल द्वारा प्राधिकृत निदेशक द्वारा अनुबंध पर कंपनी की मुहर के साथ विधिवत हस्ताक्षर किया गया हैं? क्या न्यूनतम एक साख सूचना ब्यूरो /कंपनी की सदस्य होने का दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है? क्या निदेशक मंडल से अनुमोदित संकल्प प्रस्तुत किया गया है कि कंपनी न्यूनतम एक स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) से संबद्ध रहेगी?		
बी.	अनुबंध II - लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित क्या अनुबंध II में दी गई जानकारी /सूचना नवीनतम वार्षिक लेखा परीक्षित तुलनपत्र या आवेदन की तारीख से 30 दिन पहले की नहीं के आंकडों पर आधारित हैं?		
सी.	अनुबंध III में प्रत्येक निदेशकों के संबंध में अतिरिक्त सूचना क्या डीआईएन और पॅन संख्या का उल्लेख किया गया हैं? क्या सभी निदेशकों का सीबील डाला प्रस्तुत किया गया है? यदि निदेशकों में कोई विदेशी नागरिक हैं, तो उनके संबंध में प्रस्तुत की गई विदेशी बैंकर की रिपोर्ट, पार-पत्र सं., सामाजिक सुरक्षा सं. उनके संबंध में प्रस्तुत की गई हैं? जो निवास के देश के प्राधिकरण द्वारा जारी पॅन नं: के समकक्ष हैं। क्या ऐसे कागज़ातो पर दी गई नाम और पते डीआईएन आबंटन पत्र पर दिए गए नाम और पते से मेल खाते हैं। यदि नहीं, तो विभिन्नता के कारण दिए गए है? या वास्तविकता हेतु प्रस्तुत दावा मैजिस्ट्रेट प्रमाणपत्र से समर्थित हैं। क्या निदेशकों द्वारा वर्तमान और भूतपूर्व में धारित निदेशक पदों और उन कंपनियों /संस्थाओं के नाम और गतिविधियां जहाँ उनका पर्याप्त		

	हित हैं। (10% से अधिक प्रतिशत का उल्लेख करें) प्रत्येक का उल्लेख अनुबंध III में किया गया हैं? क्या संस्थाएं जिसमें निदेशक , निदेशकपद धारित करते है उसके विनियामकों (आरबीआई,सेबी,आईआरडीए, पीएफआरडीए, एनएचबी या कोई अन्य विदेशी विनियामक) के नाम का उल्लेख किया गया है? यदि हां, तो कृपया पंजीकरण ब्योरा दीजिए। क्या संस्थाएं अविनियमित है? यदि हाँ, तो उनकी गतिविधियों का स्वरुप दीजिए। अनिगमित निकायों का वित्तीय विवरण, यदि ग्रूप में हो तो, जहाँ निदेशक पिछले 2 वर्षों से पर्याप्त हित के साथ /पर्याप्त हित के बिना निदेशक पद धारण करता हैं।		
3	क्या अनुबंध III के मद सं.15 में रिज़र्व बैंक से पंजीकृत एनबीएफसी के रूप किसी कंपनी के नाम का उल्लेख किया हैं? यदि हाँ, तो कृपया उसके पंजीकरण का ब्योरा दीजिए ।		
4	एनबीएफसी के रूप में कार्य करने हेतु कंपनी को जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न की गई है?		
5	क्या आवेदक कंपनी ने पहले अपने नाम में परिवर्तन किया हैं? यदि हां, तो पहले का नाम और परिवर्तन की तारीखों के साथ नाम में परिवर्तन के समय के कंपनी अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का नाम प्रस्तुत किया गया हैं? नाम में परिवर्तन के लिए क्या आवेदक कंपनी ने कारण प्रस्तुत किया हैं?		
6	पिछले वित्तीय वर्ष से अब तक के दौरान कंपनी के प्रबंधन में यदि कोई परिवर्तन की गई है तो, उसका ब्योरा और उसके कारण।		
7	आवेदक कंपनी ने क्या कभी जमा राशियों की चुकौती और ब्याज के भुगतान में चूक की हैं? यदि हाँ, तो क्या उन्होंने ऐसे सभी लंबित मामलों की सूची प्रस्तुत की हैं और प्रत्येक मामले के संबंध में की गई कार्रवाई।		
8	क्या आवेदक कंपनी का उपभोक्ता मंच सहित किसी न्यायालय में कोई मामला लंबित हैं? यदि हाँ, तो क्या उनके द्वारा जमा राशियां स्वीकारने के मामलों सहित, यदि कोई हो, ऐसे सभी लंबित मामलों की सूची प्रस्तुत की हैं?		
9	क्या कंपनी की संस्था के बहिर्नियम (एमओए) और संस्था के अंतर्नियम की प्रमाणित अद्यतन प्रतियांअ प्रस्तुत की गई है?		

	ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम में किए गए परिवर्तन का विधिवत प्रमाणित ब्योरा। क्या आवेदक कंपनी के एमओए में एमएफआई का व्यवसाय करने के लिए समर्थन देने वाला /वाले खंड हैं?		
10	क्या आवेदक कंपनी द्वारा, यदि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो प्रारंभिक नाम तथा कंपनी के नाम में परिवर्तन के संबंध में गठन का नया प्रमाण पत्र सहित गठन का प्रमाण पत्र (कंपनी रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर वाला) की प्रमाणित प्रति प्रदान की गई है?		
11	क्या कंपनी द्वारा कंपनी को पॅन/सीआईएन संख्या आबंटित करने वाला पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत की हैं?		
12	क्या कंपनी द्वारा पिछले तीन वर्षों की प्रमाणित तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा की प्रतियां प्रस्तुत की हैं? यदि कंपनी को घाटा हो रहा है, तो उससे निकलने के उपायों का उल्लेख किया हैं?		
13	क्या आवेदक कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान, निदेशकों से सहित गैर-जमानती ऋण जुटाया गया हैं? यदि हाँ, तो क्या वे एपीडी दिशानिदेश, 1998 की धारा 2(1)(xii) के तहत सार्वजनिक जमाराशि की परिभाषित की परिभाषा में आते हैं?		
14	क्या कंपनी पंजीकरण अर्हक स्वरूप की परिसंपत्ति मापदंड को पूरा करती है? क्या इसकी अर्हक स्वरूप की परिसंपत्ति (1 जनवरी 2012 को अथवा उसके बाद उत्पन्न) इसकी निवल परिसंपत्ति के 85% से कम है? *(अर्हक स्वरूप की परिसंपत्तियां तथा निवल परिसंपत्त्यों का विशिष्ठ वर्णन 2 दिसम्बर 2011 के डीएनबीएस.सीसी.पीडी सं: 250/03.10.01/2011-12 तथा 3 अगस्त 2012 का डीएनबीएस (पीडी) सीसी नं: 300/03.10.038/2012-13 में किया गया है)*		
15	यदि कंपनी एमएफआई के रूप सक्षम नहीं पाई जाती है तथा अब भी एमएफआई बनना चाहती है, तो उसे पात्रता प्राप्त करने हेतु समय बद्ध कार्य योजना प्रस्तुत करना होगा।		
16	यदि कंपनी द्वारा अंतिम लेखा परीक्षित तुलन पत्र की तारीख को एनओएफ आवश्यकता/न्यूनतम पूंजी पर्यापता अनुपात को पूरा नहीं करती है तो क्या आवेदक कंपनी द्वारा इसके अनुपालन हेतु समय		

<table>
<tr><td></td><td>बद्ध योजना प्रस्तुत किया गया है?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>17</td><td>निम्नलिखित फार्मेट में अनुबंध II सहित सांविधिक लेखा परीक्षको से प्रमाणित आवेदन की तारीख का ऋण परिसंपत्ति प्रोफाइल कृपया उपलब्ध करायें।
<table>
<tr><th>श्रेणी</th><th>खाता संख्या</th><th>बकाया राशि</th></tr>
<tr><td>(1.)आवेदन की तारीख को कुल बकाया ऋण
(i) उक्त मद (1.) में 1 जनवरी 2012 को या उसके बाद रू 15,000 तथा उससे कम का स्वीकृत ऋण</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(i.i) उक्त मद(i) में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए ऋण</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(ii) उक्त मद (1.) में, 1 जनवरी 2012 को या उसके बाद रू 15,000 तथा उससे अधिक का स्वीकृत ऋण</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(ii.i) उक्त मद ii के ऋण के लिए, 2 वर्ष से</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(iii) आय अर्जन के लिए दिया गया ऋण</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(iv) ऋण जहां परिवार का वार्षिक आय
(iv.i) रू 60,000 से अधिक हो
(ग्रामिण क्षेत्र के लिए)
(iv.ii) रू 1,20,000 अधिक
(अर्ध शहरी तथा शहरी क्षेत्र के लिए)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(v) जहां उधारकर्ता द्वारा2 से अधिक एमएफआई से ऋण लिया गया है।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(vi) जहां उधारकर्ता 1 से अधिक एसएचजी/जेएलजी का सदस्य है।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(vii) जहां उधारकर्ता द्वारा व्यक्तिगत क्षमता में ऋण लिया गया है तथा एसएचजी/जेएलजी का सदस्य भी है।</td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>18</td><td>क्या आवेदक कंपनी में एफडीआई धारण करती है?
यदि हाँ, तो क्या एफडीआई एफआईपीबी की अनुमति से लाई गई हैं? (अनुमोदन की प्रति प्रस्तुत की जाए)
धारण का प्रतिशत क्या हैं?
क्या इसके समर्थन में कंपनी द्वारा एफआईआरसी तथा एफसी-जीपीआर</td><td></td><td></td></tr>
</table>

	प्रस्तुत किया गया है? क्या कंपनी न्यूनतम पूंजीकरण मानदण्डों को पूरा करती है अथवा नहीं? (सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए) क्या विदेशी संस्था एफडीआई में योगदान दे रही हैं, बशर्ते वह अपने स्वदेश के पर्यवेक्षण के अधीन हों? यदि हाँ, तो विनियामक का नाम, पता और इमेल आईडी क्या हैं? यदि नहीं है, तो विदेशी निवेशक की विधिक स्थिति क्या हैं? किस हैसियत से इसकी स्थापन हुई थी? क्या यह सूचीबद्ध हैं या असूचीबद्ध संस्था हैं? आरबीआई, एफईडी द्वारा कोई अनुमति दी गई थी। यदि हाँ, तो अनुमति की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए। कृत गतिविधियां, वित्तीय गतिविधियां करने वाले ग्रूप /सहयोगी कंपनियों के विनियामक का ब्योरा जो स्वदेश या अन्य देश में विनियमित हो, कोई हो तो। यदि कोई ग्रूप /सहयोगी कंपनी भारत में परिचालन करती है, उसकी गतिविधियां, साझीदार या सहयोगी, विनियामक/ कों आदि का ब्योरा प्रस्तुत किया जाए।		
19	क्या कंपनी को एफईडी से संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक के रूप में कार्य करने के लिए कोई अनुमति प्रदान की गई थी? यदि हाँ, तो भारिबैं के अनुमति प्रदान करने वाले पत्र की प्रति।		
20	क्या आवेदक कंपनी ने निदेशक मंडल के आवेदन प्रस्तुत कराने और एनबीएफसी-एमएफआई जैसा सीओआर की में निहित और निदेशक को आवेदन प्रस्तुत कराने हेतु प्राधिकृत करने के प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की हैं?		
21	क्या कंपनी द्वारा पूर्व में सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार नहीं करने / उस तारीख तक सार्वजनिक जमाराशि धारण नहीं करने और भविष्य में बैंक की पूर्वानुमति के बगैर सार्वजनिक जमा राशि नहीं स्वीकार करेंगे इस आशय का निदेश मंडल के संकल्प की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है?		
22	क्या आवेदक कंपनी द्वारा किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान पर कोई अवांछित सघनता से बचने के लिए आंतरिक जोखिम सीमा निर्धारण करने वाले प्रमाणपत्र के संबंध में निदेश मंडल के संकल्प की प्रति प्रस्तुत की गई है?		
23	क्या आवेदक कंपनी द्वारा निदेशक मंडल के संकल्प की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है कि 02 दिसंबर 2011 के गैबैंपवि.सीसी.नीप्र.सं. 250/03.10.01/2011-12 में विनिर्दिष्ट ऋणों की कीमत निर्धारण, उधार में उचित व्यवहार संहिता और वसूली पद्धति में बल का प्रयोग नहीं		

	करना तथा इस संबंध में कंपनी अन्य विनियमों का पालन करेगी?		
24	क्या कंपनी द्वारा अनुबंध II में अतिरिक्त रूप निदेश मंडल संकल्प का निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया गया है? ए. यथा 31 मार्च 2011 तथा 2012 को एनबीएफसी-एमएफआई से ऋण लेने की औसत ब्याज लागत। बी. एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा 31 मार्च 2011 तथा 2012 तक दी गई ऋण पर प्रभारित औसत ब्याज। सी. आवेदन की तारीख तक कुल बकाया ऋण, संख्या तथा 31 मार्च 2012 तक आंध्र प्रदेश राज्य में बकाया ऋण की राशि (यदि कोई है तो)। डी. 31 मार्च 2012 तक आंध्र प्रदेश राज्य में प्रदत ऋण के लिए यदि कोई प्रावधान किया गया हो तो।		
25	क्या लेखा परीक्षकों के प्रमाण पत्र में निम्नलिखित को प्रमाणित किया गया है: (ए) कंपनी द्वारा आज के दिनांक तक कोई सार्वजनिक जमा राशि धारण नहीं किया गया है। (बी) कंपनी का एनओएफ है। (सी) कंपनी का परिसंपत्ति आकार है। (डी) कंपनी अर्हक परिसंपत्ति (1 जनवरी 2012 तक अथवा उसके बाद उत्पन्न) .....है तथा इसकी निवल परिसंपत्ति .....है जो कि 85% से कम नहीं है। (ई) कंपनी का सीआरएआर .....है। (एफ) आंध्र प्रदेश राज्य में कंपनी का ऋण पोर्टफोलियो.....है। (जी) कंपनी द्वारा 2 दिसम्बर 2011 के डीएनबीएस.सीसी.पीडी.सं:250/03.10.01/2011-12 में विनिर्दिष्ट परिसंपत्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण नियम को अपनाया गया है। (एच) कंपनी द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में एनबीएससी-एमएफआई के रूप में वर्गीकृत होने के लिए 2 दिसम्बर 2011 के डीएनबीएस.सीसी.पीडी.सं:250/03.10.01/2011-12 में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा किया गया है।		
26	क्या आवेदक कंपनी ने यह घोषणा किया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जब कभी अपेक्षित हो वैसा इंटरनेट के माध्यम से विवरण की इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति करेने में सक्षम हैं? और कंपनी का इमेल पता दिया गया हैं?		
27	क्या आवेदक कंपनी के सभी निदेशकों ने व्यक्तिगत रूप से यह घोषणा किया है कि वे किसी भी अनिगमित निकायों से संबद्ध नहीं हैं और वे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ध के प्रावधानों का		

	अनुपालन करते है।		
28	क्या आवेदन के साथ ग्रूप /सहयोगी /सहायक /नियंत्रक /संबंधित कंपनी के संबंध में शेयर धारिता प्रतिशत सहित चार्टर्ड एकाउटेंट का प्रमाणपत्र संलग्न किया हैं। *(ग्रूप कंपनी की विशिष्ट व्याख्या 5 जनवरी 2011 के अधिसूचना सं: डीएनबीएस(पीडी)219/सीजीएम(यूएस)-2011 के पैरा 3(1) ख में किया गया है जिसके अनुसार ऐसी व्यवस्था जिसमें दो या दो से अधिक संस्थान (entities) का निम्नलिखित संबंधो में से किसी के द्वारा एक दुसरे से जुडा रहना. सहायक कंपनी- मूल कंपनी (एएस 21 के प्रावधानों के तहत परिभाषित), संयुक्त उपक्रम (एएस 27 के प्रावधानों के तहत परिभाषित) , सम्बद्ध (एएस 23 के प्रावधानों के तहत परिभाषित), प्रोमोटर - प्रोमोटी (सेबी विनियमन , 1997 (शेयरो का अधिग्रहण तथा टेकओवर) के आधार पर) , लिस्टेड कंपनी के लिए, संबंधित पार्टी (एएस 18 के प्रावधानों के तहत परिभाषित) , समान ब्रांड वाले नाम तथा ईक्विटी में 20% तथा अधिक का निवेश.)* क्या ब्योरे में कंपनी का नाम, उनकी गतिविधियां, उनके विनियामक का उल्लेख किया गया है? यदि वे अविनियमित हैं तो उनकी गतिविधियां का विवरण दिया गया है? क्या उक्त कंपनियों /संस्थाओं का नाम आवेदक कंपनी के तुलन-पत्र में दर्शाए गए है? यदि नहीं, तो क्या आवेदक कंपनी ने उसके कारणों का उल्लेख किया हैं? क्या कोई ग्रूप कंपनी विदेश में अवस्थित है? यदि हाँ, तो क्या वह सामान्य अनुमति रूट के तहत या सक्षम प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त कर स्थापित की गई हैं? क्या ग्रूप कंपनियों में से कोई कंपनी एनबीएफसी है ?		
29	क्या ग्रूप में कोई अन्य एनबीएफसी-एमएफआई/लंबित एनबीएफसी-एमएफआई है? यदि हैं, तो क्या आवेदक कंपनी ने ग्रूप में अन्य एनबीएफसी-एमएफआई होने का कोई न्यायोचित्य स्पष्टिकरण दिया हैं।		
30	क्या आवेदक कंपनी के संबंध आवेदक बैंकर की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है?		
31	आवेदक कंपनी ने अनुबंध III के मद 14 और 15 के सामने उल्लिखित के अनुसार आवेदक कंपनी के निदेशक जिन कंपनियों में पर्याप्त हित धारण करते है उन कंपनियों के संबंध में बैंकर की रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं?		

32	क्या आवेदक कंपनी ने ग्रूप /सहायक कंपनियों, कोई हो तो, के संबंध में बैंकर की रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं?		
33	क्या आवेदक कंपनी ने विदेशी निदेशकों के संबंध में, कोई हो तो, विदेशी बैंकों की रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं?		
34	क्या आवेदक कंपनी ने अगले तीन वर्षों के लिए कारोबार बढाने, बाजार हिस्सा और प्रस्तावित तुलनपत्र, नकदी प्रवाह विवरण, परिसंपत्तियां /आय के स्वरूप का विवरण देते समय सार्वजनिक जमाराशियों के तत्वों को छोडकर कारोबार की योजना प्रस्तुत की हैं?		
35	तीन वर्षों की अनुमानित कारोबार योजना में निम्न का भी (वर्षवार) उल्लेख आवश्यक रूप किया जाना चाहिए: i. प्रवर्तन की जानेवाले ऋण परिसंपत्तियों की राशि ii. आय अर्जन के लिए लगाई जाने वाली ऋण परिसंपत्तियों की राशि iii. ग्रामीण, अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों में प्रवर्तित की जानेवाली परिसंपत्तियों का अलग अलग विवरण। iv. ग्रामीण और अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में कंपनी जिन क्रियाकलापों को सहायता प्रदान करना चाहती है। v. अनुमानित लाभ vi. उधार की औसतन लागत vii. परिसंपत्तियों पर औसतन प्रतिलाभ(आरओए) viii. निवल परिसंपत्ति के 85% से अधिक अर्हक स्वरूप की परिसंपत्ति ix. निम्नलिखित में अपेक्षित पूंजी व्यय ए. भूमि और इमारत तथा बी. सूचना प्रौद्योगिकी संसाधन x. कंपनी किस स्थान पर परिचालन करना चाहती हैं। xi. एसएचजी /जेएलजी के प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए संसाधनों का विनियोजन		
36	क्या कंपनी अधिनियम की धारा 274-278 के अनुपालन के अनुसार कंपनी में निदेशकों की संख्या रखा गई है? यदि नहीं तो इसके कारणों का उल्लेख करें।		
37	क्या कंपनी और उसके निदेशक परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के मामले सहित किसी अपराधी मामले में शामिल हैं?		
38	यदि कंपनी द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कोई पूंजी लगाई गई है तो उसका विवरण क्या कंपनी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की गई विवरणी के अनुसार है?		

39	क्या कंपनी प्रावधानीकरण नियमों को पूरा करती है ?आंघ्र प्रदेश राज्य में कार्य करने वाली कंपनियों का पोर्टफोलोयों वर्तमान प्रावधानीकरण नियमानुसार होना चाहिए। तथापि ,सीआरएआर की गणना के लिए , आन्ध्र प्रदेश)एपी (पोर्टफोलियों हेतु की गई अनुमानित प्रावधानीकरण को निवल स्वाधिकृत निधियां) एनओएफ (के रूप में गणना किया जाए तथा आन्ध्र प्रदेश) एपी (पोर्टफोलियों के लिए ऐसी प्रावधानीकरण की गणना 5 वर्षों के लिए बराबर घटते क्रम में किया जाए।) कृपया अतिरिक्त स्पष्टिकरण हेतु अनुबंध II(13) के निदेशो का अवलोकन करें (		
40	क्या आवेदक कंपनी, इसकी होल्डिंग कंपनी/सहायक कंपनी के निदेशकों द्वारा राजस्व प्राधिकरण अतहवा अन्य सांवधिक प्राधिकरण के दिशानिदेश के गैर अनुपालन का कोई संदर्भ है, यदि हां तो उसका ब्योरा दिया जाए अथवा “शून्य” लिखा जाए।		

नोट (1) उक्त जाँच सूची निदेशात्मक है और परिपूर्ण नहीं। आवश्यकता होने पर बैंक द्वारा अपने संतोष के लिए , एनबीएफसी-एमएफआई के रूप में पंजीकरण प्राप्त करने की पात्रता के लिए और कागज़ात की माँग कर सकता है।

(2) उक्त कागज़ातों के अतिरिक्त यदि बैंक और कागज़ात की माँग करता है तो ऐसी स्थिति में, आवेदक कंपनी को निर्धारित एक माह की अवधि में उत्तर देना होगा इसमें चूक करने की स्थिति में मूल सीओआर आवेदन कंपनी को आवश्यक जानकारी /कागज़ात के साथ पुन : प्रस्तुत करने के लिए वापस कर दिया जाएगा।

आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाने वाली सामान्य कागजात /जानकारी की निदेशात्मक सूची। सभी कागज़ात /जानकारी दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए।

क्रम सं	**गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में प्रमाणपत्र और पंजीकरण प्राप्त करने वाली कंपनी द्वारा पूरी की जाने वाली आवश्यकताएं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए जाने करने के कागज़ात ।**	**फाईल के अनुसार पृष्ठ संख्या**
1	आवश्यक न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि रू 500 लाख।	
2.	आवेदन दो अलग अलग सेटों में समुचित रूप से दो अलग अलग फाइलो में लगाकर व्यवस्थित पेज नम्बर के साथ प्रस्तुत करना होगा।	
3	पहचान का विवरण (अनुबंध ।)	
4	विवेकपूर्ण मानदण्ड पर विवरण (अनुबंध ।।).	
5	प्रबंधन के संबंध में सूचना (अनुबंध ।।।)	
6	एनबीएफसी के रूप में कार्य करने हेतु कंपनी को जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की मूलप्रति संलग्न की गई है? **(मौजूदा कंपनियों के लिए)**	
7	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान से वर्तमान तारीख तक कंपनी के प्रबंधन में यदि कोई परिवर्तन हो तो उसका ब्योरा दिया जाए तथा उसके कारण बताये जाये।	
8	पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मामले में निगमन प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रतियां और कारोबार प्रारंभ करने का प्रमाणपत्र।	
9	कंपनी का संस्था के बहिर्नियम और संस्था के अंतर्नियम की अद्यतन प्रमाणित प्रतियां।	
10	वित्तीय कारोबार से संबद्ध मेमोरेंडम के खंडों का विवरण।	
11	संस्था के बहिर्नियम और संस्था के अंतर्नियम में परिवर्तन का विवरण विधिवत प्रमाणित किया हुआ।	
12	कंपनी को आबंटित पॅन /सीआईएन की प्रति	
13	अनुबंध ।। निदेशक /प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर कर और सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित करने के पश्चात प्रस्तुत किया जाए।	
14	अनुबंध ।।। (निदेशक का प्रोफाइल) प्रत्येक निदेशक द्वारा भरकर और हस्ताक्षर कर अलग से प्रस्तुत किया जाए। फर्म /कंपनियां /संस्थाए जिनमें निदेशक का पर्याप्त हित निहित हैं उनके संबंध में बैंकर का विवरण देने में सावधानी बरतनी होगी।	
15	यदि निदेशक पर्याप्त हित सहित या पर्याप्त हित के बिना (प्रत्येक कंपनी फर्म में धारिता का प्रतिशत का उल्लेख करें) अन्य कंपनियों से संबंधित हैं, तो कंपनी की गतिविधि तथा उनके विनियामक , यदि कोई हो तो उसका स्पष्ट रूप से ब्योरा दे।	
16	संबंधित एनबीएफसी से प्रमाण पत्र जहां से निदेशक ने एनबीएफसी का अनुभव प्राप्त किया है।	
17	निदेशकों को आबंटित पॅन और डीआईएन की प्रति।	
18	कंपनी के निदेशको के संबंध में सीआईबीआईएल आंकडें।	
19	पर्यापत हित के साथ /पर्याप्त हित के बगैर यदि निदेशकों द्वारा अनिगमित निकायों के ग्रूप में निदेशक पद धारण किया है तो ऐसी अनिगमित निकायो का पिछले 2 वर्षों का वित्तीय विवरण	
20	अनिगमित निकायों के संबंध में भारिबैं अधिनियम, 1934 के अध्याय ।।।ग की धारा 45ध के अनुपालन का	

	प्रमाणपत्र संलग्न करें जिसके साथ कंपनी के निदेशक संबंद्ध है।	
21	क्या कंपनी या अन्य कोई एनबीएफसी /आरएनबीसी पर पहले कोई प्रतिबंधक आदेश जारी किया गया था जिसके साथ निदेशक /प्रवर्तक आदि संबंद्ध हो? यदि हां, तो उसका ब्योरा।	
22	क्या कंपनी या उसका कोई निदेशक, परक्राम्य लिखत अधिनियम, की धारा 138(1) सहित, किसी अपराधिक मामले में लिप्त हैं? यदि हां तो उसका ब्योरा दें।	
23	कंपनी ने कोई सार्वजनिक जमा राशि स्वीकार नहीं की है और भविष्य में भी भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित अनुमति के बगैर कोई जमा राशि स्वीकार नहीं करेगी इस आशय का निदेशक मंडल संकल्प।	
24	कंपनी द्वारा पहले कोई सार्वजनिक जमा राशि स्वीकार नहीं किया गया है और आज तक कोई सार्वजनिक जमाराशि धारण नहीं किया गया है और भविष्य में भी भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित अनुमति के बगैर कोई जमा राशि स्वीकार नहीं करेगी इस आशय का निदेशक मंडल संकल्प।	
25	कंपनी द्वारा कोई एनबीएससी गतिविधि नहीं की जाती/एनबीएफसी गतिविधि समाप्त की गई है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किए बगैर इसे नहीं किया जाएगा /यह प्रारंभ नहीं किया जाएगा इस आशय का निदेशक मंडल संकल्प। **(केवल नई कंपनियों के लिए)**	
26	"उचित व्यवहार संहिता" बनाने के संबंध में निदेशक मंडल संकल्प की प्रमाणित प्रति।	
27	निदेशक मंडल संकल्प की प्रति जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि कंपनी द्वारा रू 500 लाख के एनओएफ का एनओएफ मापदण्ड की आवश्यकता को समय सीमा के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। **(मौजूदा कंपनियों के लिए किंतु एनओएफ मापदण्ड को पूरा नहीं करती है)**	
28	निदेशक मंडल संकल्प की प्रति सहित संलग्न रोड मैप जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि वे कुल परिसंपत्ति/आय का %75 फैक्टरिंग परिसंपत्ति/आय अर्जित करेंगी अथवा 22 जुलाई 2014 तक अपना फैक्टरिंग कारोबार समाप्त कर लेंगी। **(मौजूदा कंपनियों के लिए किंतु जो परिसंपत्ति /आय प्रतिशत के मापदंड को पूरा नहीं करती है)**	
29	सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि कंपनी सार्वजनिक जमा राशि स्वीकारती /धारण नहीं करती हैं।.	
30	सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि कंपनी द्वारा कोई एनबीएससी गतिविधि नहीं की जाती है।	
31	सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र जिसमें आवेदन की तारीख तक निवल स्वाधिकृत निधि प्रमाणित किया गया हो।	
32	सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि वित्तीय परिसंपत्ति में इसके कुल परिसंपत्ति का न्यूनतम %75 फैक्टरिंग कारोबार करने में किया जा रहा है तथा फैक्टरिंग कारोबार से व्युतपन्न आय इसके समग्र आय के 75 प्रतिशत से कम नहीं है।	
33	प्रतिशत सहित कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी और नवीनतम शेयर धारिता स्वरूप का ब्योरा। यदि शेयर धारिता में कोई परिवर्तन की गई है तो उसका दस्तावेजी साक्ष्य। यदि कोई कॉरपोरेट शेयर धारक हैं, तो निवेश के पश्चात एनओएफ की पर्याप्तता को प्रमाणित करनेवाला सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र। अन्य कॉरपोरेट शेयर धारकों की गतिविधियों का ब्योरा भी उपलब्ध करायें।	
34	एनओएफ शेष का दर्शाता हुआ सावधि जमा रसीद और कोई धारणाधिकार नहीं है के समर्थन में बैंकर्स प्रमाणपत्र।	

35	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान यदि पूंजी का अंत:प्रवाह किया गया है तो कंपनी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किए गए आबंटन विवरण की प्रति के साथ उसका ब्योरा दें।	
36	बैंक शेष/ बैंक खाता तथा बैंक /शाखा का पूरा पता जहां से ऋण/क्रेडिट सुविधा ली गई है।	
37	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अन्य से जुटाए गए (निदेशकों से भी जुटाया गया हो तो) गैर जमानति ऋण का ब्योरा, कोई हो तो, और यदि यह सार्वजनिक जमा राशियों से छूट की श्रेणी में आता हैं तो लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र।	
38	क्या कंपनी के ग्रूप/सहायक/होल्डिंग के विवरण से संबंधित चार्टर्ड अकांटेंट का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है? *(क्या कंपनी सीआईसी/सीआईसी-एनडी-एसआई है यह निर्धारित करने के उद्देश्य से, ग्रूप कंपनी की विशिष्ट व्याख्या 5 जनवरी 2011 के अधिसूचना सं: डीएनबीएस(पीडी)219/सीजीएम(यूएस)-2011 के पैरा 3(1) ख में किया गया है जिसके अनुसार ऎसी व्यवस्था जिसमें दो या दो से अधिक संस्थान* (entities) *का निम्नलिखित संबंधो में से किसी के द्वारा एक दुसरे से जुडा रहना. सहायक कंपनी- मूल कंपनी (एएस 21 के प्रावधानों के तहत परिभाषित), संयुक्त उपक्रम (एएस 27 के प्रावधानों के तहत परिभाषित) , सम्बद्ध (एएस 23 के प्रावधानों के तहत परिभाषित), प्रोमोटर - प्रोमोटी (सेबी विनियमन , 1997 (शेयरो का अधिग्रहण तथा टेकओवर) के आधार पर) , लिस्टेड कंपनी के लिए, संबंधित पार्टी (एएस 18 के प्रावधानों के तहत परिभाषित) , समान ब्रांड वाले नाम तथा ईक्विटी में 20% तथा अधिक का निवेश)* ब्योरे में कंपनी का नाम ,उसकी गतिविधि ,क्या वह एनबीएफसी हैं या सेबी/ आईआरडीए/ एफएमसी /एनएचबी/ विदेशी विनियामक जैसा कोई उसका अन्य विनियामक है। यदि वे अविनियमित हैं तो उनकी गतिविधियों ,प्रमुख बैंकर का नाम ,पता ,खाता सं .का ब्योरा दे। क्या इन कंपनियों के नामो का उल्लेख आवेदक कंपनी के तुलनपत्र में किया जाता है ?यदि नहीं ,तो उल्लेख नहीं करने का कारण बतायें। क्या विदेशी ग्रूप कंपनियां सामान्य अनुमति मार्ग के तहत स्थापित की गई हैं या उचित प्राधिकरण की अनुमति से ,कोई हो तो। यदि ग्रूप में अन्य एनबीएफसी हैं ,अन्य एनबीएफसी होने का औचित्य बतायें।	
39	पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी की गतिविधियों की पृष्ठभूमि पर संक्षिप्त टिप्पणी।	
40	क्या कंपनी द्वारा पहले भारतीय रिज़र्व बैंक के समक्ष पंजीकरण हेतु आवेदन किया गया था ,यदि अस्वीकृत हो गया था तो उसका पूर्ण विवरण दे। यदि पहले भारतीय रिज़र्व बैंक के समक्ष आवेदन नहीं किया गया है तो क्या कंपनी द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र के बगैर एनबीएफसी गतिविधियां की जा रही थी। यदि हां ,उसका कारण बताएं। क्या उनके द्वारा अब पूर्ण रूप से एनबीएफसी गतिविधियां बद कर दी गई है तथा यह उनके लेखा परीक्षको द्वारा प्रमाणित किया गया है। यदि कंपनी द्वारा किसी परिस्थिति में एनबीएससी कारोबार किया गया है तो धारा45 झक के उल्लंघन के लिए क्षमा याचना पत्र भी प्रस्तुत किया जाए।	
41	पिछले तीन वर्षों का निदेशक और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सहित लेखा परीक्षित तुलनपत्र और लाभ-हानि खाता या ऐसी कम अवधि के लिए जो उपलब्ध हो। (पहले से मौजूद कंपनियों के लिए)	
42	अगले तीन वर्ष के लिए कंपनी की कारोबार योजना (ए) कारोबार का प्रमुख क्षेत्र (बी) बाजार विभाजन और (सी) पूर्वानुमानित तुलन-पत्र, नकदी प्रवाह विवरण, परिसंपत्तियां /आय का स्वरूप के विवरण के साथ ब्योरा दे बिना किसी सार्वजनिक जमाशि तत्व के।	

43	दस्तावेजी साक्ष्य समर्थित , यदि कोई हो तो, कंपनी के प्रारंभ की पूंजी का स्रोत। बशर्ते बैंक विवरणी/आईटी विवरणी आदि स्वत: अभिप्रमाणित हो।	
44	दस्तावेजी साक्ष्य समर्थित अन्य कंपनियों के साथ विलय और अधिग्रहण का ब्योरा यदि कोई हो तो।	
45	क्या कंपनी किसी पूंजी बाजार गतिविधियों में लिप्त हैं? यदि हाँ, तो क्या कभी सेबी के किसी विनियमों का गैर अनुपालन किया गया है? (विवरण लेखा परीक्षकों द्वारा विवरण प्रमाणित किया हुआ हो।)	
46	क्या कंपनी को संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक के रूप में कार्य करने हेतु एफईडी द्वारा कभी कोई अनुमति प्रदान की गई थी? यदि हाँ, तो अनुमति प्रदान करने वाले भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र की प्रति।	
47	यदि कंपनी में एफडीआई हैं तो उसका प्रतिशत (उसके समर्थन में एफआईआरसी प्रस्तुत करें) और क्या वह पूंजीकरण के न्यूनतम मानदण्डों को पूरा करती हैं या नहीं (एफसी_जीपीआर भी प्रस्तुत करें) (i) क्या एफडीआई एफआईपीबी की अनुमति से लाया गया हैं? (अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाए) (ii) क्या एफडीआई में सहयोग प्रदान करने वाली विदेशा संस्था अपने देश के पर्यवेक्षण के अधीन है? (यदि हां, नाम, पता और विनियामक का इमेल पता)। (iii) यदि नहीं हैं, तो विधिक स्थिति का उल्लेख करें, जैसे किस कानून के तहत यह स्थापित की गई है, उसकी सांविधिक प्रतिबद्धता, कौन सी प्रक्रिया के तहत स्थापित की गई, क्या शेयर बाजार पर सूचीबद्ध हैं आदि. (iv) विदेशी मुद्रा विभाग (एफईडी) की विशिष्ट अनुमति यदि कोई प्राप्त की हो तो/ यदि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में विदेशी आवक संप्रेषण प्रमाणपत्र प्राप्त की गई है तो आवेदक कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया जाए। (v) वित्तीय गतिविधिया करनेवाले ग्रूप/ सहयोगी कंपनियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियां तथा वित्तीय गतिविधियां जो अपने देश के अथवा अन्य किसी विनियामक द्वारा विनियमित होती है ,यदि कोई होतो। (vi) कोई ग्रूप/सहायक कंपनी भारत में परिचालन कर रही हैं, तो उसकी गतिविधियों, उसके साझीदार या सहयोगी, विनियामक/ कों आदि का ब्योरा प्रस्तुत किया जाए।	
48	आवेदक कंपनी को यह घोषणा करना होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जब कभी अपेक्षित हो वैसा इंटरनेट के माध्यम से विवरण की इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति करेने में सक्षम हैं। और कंपनी का इमेल पता दिया गया हैं?	
49	क्या आवेदक कंपनी, इसकी होल्डिंग कंपनी/सहायक कंपनी के निदेशकों द्वारा राजस्व प्राधिकरण अतहवा अन्य सांवधिक प्राधिकरण के दिशानिदेश के गैर अनुपालन का कोई संदर्भ है, यदि हां तो उसका ब्योरा दिया जाए अथवा “शून्य” लिखा जाए।	

नोट (1) उक्त जाँच सूची निदेशात्मक है और परिपूर्ण नहीं। आवश्यकता होने पर बैंक द्वारा अपने संतोष के लिए , एनबीएफसी-एमएफआई के रूप में पंजीकरण प्राप्त करने की पात्रता के लिए और कागज़ात की माँग कर सकता है।

(2) उक्त कागज़ातों के अतिरिक्त यदि बैंक और कागज़ात की माँग करता है तो ऐसी स्थिति में, आवेदक कंपनी को निर्धारित एक माह की अवधि में उत्तर देना होगा इसमें चूक करने की स्थिति में मूल सीओआर आवेदन कंपनी को आवश्यक जानकारी /कागज़ात के साथ पुन : प्रस्तुत करने के लिए वापस कर दिया जाएगा।

आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाने वाली सामान्य कागजात /जानकारी की निदेशात्मक सूची। सभी कागज़ात /जानकारी दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए।

क्रम सं	**कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) के रूप में प्रमाणपत्र और पंजीकरण प्राप्त करने वाली कंपनी द्वारा पूरी की जाने वाली आवश्यकताएं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए जाने करने के कागज़ात ।**	**फाईल के अनुसार पृष्ठ संख्या**
1	सार्वजनिक निधि तक पहुंच बनाने का ब्योरा.	
2.	यदि कंपनी के पास सार्वजनिक निधियां नहीं हैं किंतु भविष्य में कभी भी पहुंच बनाने का उद्देश्य रखती है और इसके लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर रही हैं, तो उनको भविष्य में सार्वजनिक निधि जुटाने के संबंध में संसाधन हेतु निदेश मंडल का संकल्प प्रस्तुत करना होगा।	
3	आवेदन दो अलग अलग सेटों में समुचित रूप से दो अलग अलग फाइलो में लगाकर व्यवस्थित पेज नम्बर के साथ प्रस्तुत करना होगा।	
4	पहचान का विवरण (अनुबंध I)	
5	विवेकपूर्ण मानदण्ड पर विवरण (अनुबंध II).	
6	प्रबंधन के संबंध में सूचना (अनुबंध III)	
7	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान से वर्तमान तारीख तक कंपनी के प्रबंधन में यदि कोई परिवर्तन हो तो उसका ब्योरा दिया जाए तथा उसके कारण बताये जाये।	
8	पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मामले में निगमन प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रतियां और कारोबार प्रारंभ करने का प्रमाणपत्र।	
9	कंपनी का संस्था के बहिर्नियम और संस्था के अंतर्नियम की अद्यतन प्रमाणित प्रतियां।	
10	वित्तीय कारोबार से संबद्ध मेमोरेंडम के खंडों का विवरण।	
11	संस्था के बहिर्नियम और संस्था के अंतर्नियम में परिवर्तन का विवरण विधिवत प्रमाणित किया हुआ।	
12	कंपनी को आबंटित पॅन /सीआईएन की प्रति	
13	अनुबंध II निदेशक /प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर कर और सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित करने के पश्चात प्रस्तुत किया जाए।	
14	अनुबंध III (निदेशक का प्रोफाइल) प्रत्येक निदेशक द्वारा भरकर और हस्ताक्षर कर अलग से प्रस्तुत किया जाए। फर्म /कंपनियां /संस्थाए जिनमें निदेशक का पर्याप्त हित निहित हैं उनके संबंध में बैंकर का विवरण देने में सावधानी बरतनी होगी।	
15	यदि निदेशक पर्याप्त हित सहित या पर्याप्त हित के बिना (प्रत्येक कंपनी फर्म में धारिता का प्रतिशत का उल्लेख करें) अन्य कंपनियों से संबंधित हैं, तो कंपनी की गतिविधि तथा उनके विनियामक , यदि कोई हो तो उसका स्पष्ट रूप से ब्योरा दे।	
16	संबंधित एनबीएफसी से प्रमाण पत्र जहां से निदेशक ने एनबीएफसी का अनुभव प्राप्त किया है।	
17	निदेशकों को आबंटित पॅन और डीआईएन की प्रति।	
18	कंपनी के निदेशको के संबंध में सीआईबीआईएल आंकडें।	
19	पर्यापत हित के साथ /पर्याप्त हित के बगैर यदि निदेशकों द्वारा अनिगमित निकायों के ग्रूप में निदेशक	

	पद धारण किया है तो ऐसी अनिगमित निकायो का पिछले 2 वर्षों का वित्तीय विवरण	
20	अनिगमित निकायों के संबंध में भारिबैं अधिनियम, 1934 के अध्याय III‌ग की धारा 45ध के अनुपालन का प्रमाणपत्र संलग्न करें जिसके साथ कंपनी के निदेशक संबद्ध है।	
21	क्या कंपनी या अन्य कोई एनबीएफसी /आरएनबीसी पर पहले कोई प्रतिबंधक आदेश जारी किया गया था जिसके साथ निदेशक /प्रवर्तक आदि संबद्ध हो? यदि हां, तो उसका ब्योरा।	
22	क्या कंपनी या उसका कोई निदेशक, परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881, की धारा 138(1) सहित, किसी अपराधिक मामले में लिप्त हैं? यदि हां तो उसका ब्योरा दें।	
23	आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में विशिष्ट रूपसे अनुमति प्रदान करने और उसके विषय वस्तु और प्राधिकृत हस्ताक्षरी को अनुमोदित प्रदान करनेवाला निदेशक मंडल संकल्प।	
24	कंपनी ने कोई सार्वजनिक जमा राशि स्वीकार /निवेदित [सॉलिसिटेड] नहीं की है और भविष्य में भी भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित अनुमति के बगैर कोई जमा राशि स्वीकार नहीं करेगी इस आशय का निदेशक मंडल संकल्प।	
25	बड़ी विक्री के माध्यम से विलयन अथवा विनिवेश के उद्देश्यक के अतिरिक्त कंपनी द्वारा ग्रूप कंपनी के शेयर, बांड, डिबेंचर, डेट या ऋण के निवेश कारोबार नहीं करती थी/ नही करेगी के उल्लेख वाला निदेशक मंडल संकल्प।	
26	निम्ननलिखित अतिरिक्त कंपनी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934, की धारा 45झ(सी) और 45झ(एफ) में संदर्भित अन्य कोई भी वित्तीय गतिविधि नहीं करती हैं के उल्लेख वाला निदेशक मंडल संकल्प। मैं निवेश i) बैंक जमा ii) मनी मार्केट लिखत, जिसमें मनी मार्केट पारस्परिक निधि भी शामिल हो। iii) सरकारी प्रतिभूतियां, और iv) ग्रूप कंपनी द्वारा जारी बांडों या डिबेंचरों, v) ग्रूप कंपनी को दिए गए ऋण और vi) ग्रूप कंपनियों की तरफ से गारंटियां देना।	
27	"उचित व्यवहार संहिता" बनाने के संबंध में निदेशक मंडल संकल्प की प्रमाणित प्रति।	
28	सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि कंपनी सार्वजनिक जमा राशि स्वीकारती /धारण नहीं करती हैं।.	
29	सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि वर्ष के दौरान बड़ी विक्री के माध्यम से विलयन अथवा विनिवेश के उद्देश्यक के अतिरिक्त कंपनी द्वारा ग्रूप कंपनी के शेयर, बांड, डिबेंचर, डेट या ऋण के निवेश कारोबार नहीं किया गया है।	
30	सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि कंपनी द्वारा निम्नलिखित के अतिरिक्त भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45झ(सी) और 45झ(एफ) में संदर्भित अन्य कोई वित्तीय गतिविधि नहीं की जाती। मैं निवेश i) बैंक जमा	

	ii) मनी मार्केट लिखत, जिसमें मनी मार्केट पारस्परिक निधि भी शामिल हो। iii) सरकारी प्रतिभूतियां, और iv) ग्रूप कंपनी द्वारा जारी बांडों या डिबेंचरों, v) ग्रूप कंपनी को दिए गए ऋण और vi) ग्रूप कंपनियों की तरफ से गारंटियां देना।	
31	सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा उद्धृत निवेश के संबंध में औसतन बाजार मूल्य को प्रमाणित करने वाला का प्रमाणपत्र।	
32	कंपनी की निवल परिसंपत्ति आकार प्रमाणित करने वाला सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र।	
33	ग्रूप कंपनियों में निवेश का निवल परिसंपत्तियों के प्रतिशत को प्रमाणित करनेवाला सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र।	
34	ग्रूप कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश (जिसमें ऐसे लिखत शामिल हो जो जारी करने की तारीख से अनिवार्य रूप से 10 वर्षों के भीतर इक्विटी शेयरों में परिवर्तित होने वाले हो) का निवल परिसंपत्तियों के प्रतिशत को प्रमाणित करनेवाला सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र।	
35	प्रतिशत सहित कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी और नवीनतम शेयर धारिता स्वरूप का ब्योरा। यदि शेयर धारिता में कोई परिवर्तन की गई है तो उसका दस्तावेजी साक्ष्य। यदि कोई कॉरपोरेट शेयर धारक हैं, तो निवेश के पश्चात एनओएफ की पर्याप्तता को प्रमाणित करनेवाला सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र। अन्य कॉरपोरेट शेयर धारकों की गतिविधियों का ब्योरा भी उपलब्ध करायें।	
36	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान यदि पूंजी का अंत:प्रवाह किया गया है तो कंपनी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किए गए आबंटन विवरण की प्रति के साथ उसका ब्योरा दें।	
37	बैंक शेष/ बैंक खाता तथा बैंक /शाखा का पूरा पता जहां से ऋण/क्रेडिट सुविधा ली गई है।	
38	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अन्य से जुटाए गए (निदेशकों से भी जुटाया गया हो तो) गैर जमानति ऋण का ब्योरा, कोई हो तो, और यदि यह सार्वजनिक जमा राशियों से छूट की श्रेणी में आता हैं तो लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र।	
39	कंपनी के ग्रूप/सहायक/होल्डिंग के विवरण से संबंधित चार्टर्ड अकांटेंट का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए: *(क्या कंपनी सीआईसी/सीआईसी-एनडी-एसआई है यह निर्धारित करने के उद्देश्य से, ग्रूप कंपनी की विशिष्ट व्याख्या 5 जनवरी 2011 के अधिसूचना सं: डीएनबीएस(पीडी)219/सीजीएम(यूएस)-2011 के पैरा 3(1) ख में किया गया है जिसके अनुसार ऐसी व्यवस्था जिसमें दो या दो से अधिक संस्थान* (entities) *का निम्नलिखित संबंधो में से किसी के द्वारा एक दुसरे से जुडा रहना. सहायक कंपनी- मूल कंपनी (एएस 21 के प्रावधानों के तहत परिभाषित), संयुक्त उपक्रम (एएस 27 के प्रावधानों के तहत परिभाषित) , सम्बद्ध (एएस 23 के प्रावधानों के तहत परिभाषित), प्रोमोटर - प्रोमोटी (सेबी विनियमन , 1997 (शेयरो का अधिग्रहण तथा टेकओवर) के आधार पर) , लिस्टेड कंपनी के लिए, संबंधित पार्टी (एएस 18 के प्रावधानों के तहत परिभाषित) , समान ब्रांड वाले नाम तथा ईक्विटी में 20% तथा अधिक का निवेश)* ब्योरे में कंपनी का नाम ,उसकी गतिविधि ,क्या वह एनबीएफसी हैं या सेबी/ आईआरडीए/ एफएमसी /एनएचबी/ विदेशी विनियामक जैसा कोई उसका अन्य विनियामक है। यदि वे अविनियमित हैं तो	

	उनकी गतिविधियों ,प्रमुख बैंकर का नाम ,पता ,खाता सं .का ब्योरा दे। क्या इन कंपनियों के नामो का उल्लेख आवेदक कंपनी के तुलनपत्र में किया जाता है ?यदि नहीं ,तो उल्लेख नहीं करने का कारण बतायें। क्या विदेशी ग्रूप कंपनियां सामान्य अनुमति मार्ग के तहत स्थापित की गई हैं या उचित प्राधिकरण की अनुमति से ,कोई हो तो। यदि ग्रूप में अन्य एनबीएफसी हैं ,अन्य एनबीएफसी होने का औचित्य बतायें।	
40	ग्रूप की अन्य सीआईसी का ब्योरा। यदि वे बैंक के समक्ष पंजीकृत नहीं हैं, तो उसके कारणों का उल्लेख करे। ग्रूप में अन्य सीआईसी होने का औचित्य भी बतायें।	
41	पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी की गतिविधियों की पृष्ठभूमि पर संक्षिप्त टिप्पणी।	
42	पिछले तीन वर्षों का निदेशक और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सहित लेखा परीक्षित तुलनपत्र और लाभ-हानि खाता या ऐसी कम अवधि के लिए जो उपलब्ध हो। (पहले से मौजूद कंपनियों के लिए)	
43	अगले तीन वर्ष के लिए कंपनी की कारोबार योजना (ए) कारोबार का प्रमुख क्षेत्र (बी) बाजार विभाजन और (सी) पूर्वानुमानित तुलन-पत्र, नकदी प्रवाह विवरण, परिसंपत्तियां /आय का स्वरूप के विवरण के साथ ब्योरा दे।	
44	दस्तावेजी साक्ष्य समर्थित , यदि कोई हो तो, कंपनी के प्रारंभ की पूंजी का स्रोत। (केवल नई कंपनियों के लिए)	
45	दस्तावेजी साक्ष्य समर्थित अन्य कंपनियों के साथ विलय और अधिग्रहण का ब्योरा यदि कोई हो तो।	
46	क्या कंपनी किसी पूंजी बाजार गतिविधियों में लिप्त हैं? यदि हाँ, तो क्या कभी सेबी के किसी विनियमों का गैर अनुपालन किया गया है? (विवरण लेखा परीक्षकों द्वारा विवरण प्रमाणित किया हुआ हो।)	
47	क्या कंपनी को संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक के रूप में कार्य करने हेतु एफईडी द्वारा कभी कोई अनुमति प्रदान की गई थी? यदि हाँ, तो अनुमति प्रदान करने वाले भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र की प्रति।	
48	यदि कंपनी में एफडीआई हैं तो उसका प्रतिशत (उसके समर्थन में एफआईआरसी प्रस्तुत करें) और क्या वह पूंजीकरण के न्यूनतम मानदण्डों को पूरा करती हैं या नहीं (एफसी_जीपीआर भी प्रस्तुत करें) (i) क्या एफडीआई एफआईपीबी की अनुमति से लाया गया हैं? (अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाए) (ii) क्या एफडीआई में सहयोग प्रदान करने वाली विदेशा संस्था अपने देश के पर्यवेक्षण के अधीन है? (यदि हां, नाम, पता और विनियामक का इमेल पता)। (iii) यदि नहीं हैं, तो विधिक स्थिति का उल्लेख करें, जैसे किस कानून के तहत यह स्थापित की गई है, उसकी सांविधिक प्रतिबद्धता, कौन सी प्रक्रिया के तहत स्थापित की गई, क्या शेयर बाजार पर सूचीबद्ध हैं आदि. (iv) विदेशी मुद्रा विभाग (एफईडी) की विशिष्ट अनुमति यदि कोई प्राप्त की हो तो/ यदि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में विदेशी आवक संप्रेषण प्रमाणपत्र प्राप्त की गई है तो आवेदक कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया जाए। (v) वित्तीय गतिविधिया करनेवाले ग्रूप/ सहयोगी कंपनियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियां तथा	

	वित्तीय गतिविधियां जो अपने देश के अथवा अन्य किसी विनियामक द्वारा विनियमित होती है ,यदि कोई होतो। (vi) कोई ग्रूप/सहायक कंपनी भारत में परिचालन कर रही हैं, तो उसकी गतिविधियों, उसके साझीदार या सहयोगी, विनियामक/ कों आदि का ब्योरा प्रस्तुत किया जाए।	
49	आवेदक कंपनी को यह घोषणा करना होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जब कभी अपेक्षित हो वैसा इंटरनेट के माध्यम से विवरण की इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति करेने में सक्षम हैं। और कंपनी का इमेल पता दिया गया हैं?	
50	कंपनी जो पहले से मौजूद है और जिसका (i) समायोजित निवल मालियत हेतु न्यूनतम पूंजी अनुपात पिछले लेखा परीक्षित तुलन पत्र की तारीख को तुलन पत्र इतर मदों काजोखिम समायोजित मूल्य तथा तुलन पत्र के समग्र जोखिम भारित परिसंपत्तियों का 30% से कम है तथा या (ii) आवेदन की तारीख को उसके पिछले तुलनपत्र की तारीख को जहां लिवरेज अनुपात देनदारी से बाहर समायोजित निवल मूल्य 2.5 गुना से भी ज्यादा है। इस संबंध में समय बद्ध कार्यक्रम की रूप रेखा भी प्रस्तुत की जाए कि किस प्रकार इन आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा	
51	कंपनी जो सीआईसी-एनडी-एसआई बनने की इच्छा रखती है किंतु निवेश में 90% की निवल परिसंपत्तियां नहीं होने के कारण पात्र नहीं बन पाती है वह एसी पात्रता किस प्रकार प्राप्त करेंगी इस संबंध में उन्हें लिए समयबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत करना होगा।	
52	क्या आवेदक कंपनी, इसकी होल्डिंग कंपनी/सहायक कंपनी के निदेशकों द्वारा राजस्व प्राधिकरण अतहवा अन्य सांवधिक प्राधिकरण के दिशानिदेश के गैर अनुपालन का कोई संदर्भ है, यदि हां तो उसका ब्योरा दिया जाए अथवा “शून्य” लिखा जाए।	

नोट (1) उक्त जाँच सूची निदेशात्मक है और परिपूर्ण नहीं। आवश्यकता होने पर बैंक द्वारा अपने संतोष के लिए , एनबीएफसी-एमएफआई के रूप में पंजीकरण प्राप्त करने की पात्रता के लिए और कागज़ात की माँग कर सकता है।

(2) उक्त कागज़ातों के अतिरिक्त यदि बैंक और कागज़ात की माँग करता है तो ऐसी स्थिति में, आवेदक कंपनी को निर्धारित एक माह की अवधि में उत्तर देना होगा इसमें चूक करने की स्थिति में मूल सीओआर आवेदन कंपनी को आवश्यक जानकारी /कागज़ात के साथ पुन: प्रस्तुत करने के लिए वापस कर दिया जाएगा।

ए. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्राइवेट प्लेसमेंट पर दिशानिदेश:

1. परिभाषा :

i. "अधिमानी आबंटन" या "प्राइवेट प्लेसमेंट" अर्थात[37] एनबीएफसी द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 81 की उप-धारा (1ए) के तहत पारित प्रस्ताव के अनुसरण में जारी की गई पूंजी।

ii. "सार्वजनिक निर्गम" अर्थात एनबीएफसी द्वारा जनता को विवरण पत्रिका के माध्यम से प्रस्तावित प्रतिभूति की खरीद के लिए आमंत्रित करना।

iii. "गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी" (एनबीएफसी) अर्थात भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 45 आई (सी) के साथ पठित धारा 45 आई (एफ) में परिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी)।

2. विनियम

i. प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए प्रस्ताव दस्तावेज को निदेशक मंडल द्वारा निर्गम को प्राधिकृत करने की तारीख से अधिकतम 6 माह की अवधि के अंदर जारी किया जाना चाहिए। प्रस्ताव दस्तावेजों में उन सभी अधिकारियों का नाम तथा पदनाम शामिल होना चाहिए जिन्होंने प्रस्ताव दस्तावेज को जारी करने के लिए प्राधिकृत किया हो। निदेशक मंडल का प्रस्ताव और प्रस्ताव दस्तावेज में संसाधन को जुटाने का कारण के संबंध में सूचना शामिल होनी ही चाहिए।

ii. प्रस्ताव दस्तावेज पर "केवल निजी परिचालन हेतु" टंकित या मुद्रित होना चाहिए। प्रस्ताव दस्तावेज में एनबीएफसी के पंजीकृत कार्यालय का पता, निर्गम खुलने / बंद होने की तारीख आदि संबंधित सामान्य सूचनाओं का उल्लेख स्पष्ट रूप से होना चाहिए।

iii. एनबीएफसी केवल अपने तुलन-पत्र की निधियों के अभिनियोजन के लिए डिबेंचर्स जारी कर सकती है तथा समूह संस्था/मूल कंपनी/सहयोगी कंपनियों के संसाधन देने के अनुरोध पर नहीं कर सकती।[38]तथापि यह खंड कोर निवेश कंपनियों पर लागू नहीं होती है।

iv. सभी एनबीएफसी के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट अधिकतम 49 निवेशकों तक प्रतिबंधित है, तथा एनबीएफसी द्वारा प्रारंभिक की जानी चाहिए।

v. एकल निवेशक के लिए न्यूनतम अभिदान राशि रू.25 लाख और उसके बाद रू.10 लाख के गुणकों में होना चाहिए।

---

[37] 02 जुलाई 2013 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.349/03.10.001/2013-14 द्वारा शामिल किया गया।

[38] 02 जुलाई 2013 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.349/03.10.001/2013-14 द्वारा शामिल किया गया।

vi. [39]एनबीएफसी को सूचित किया जाता है कि 30 सितंबर 2013 को कारोबार की समाप्ति के पहले संसाधन आयोजना के संबंध में निदेशक मंडल द्वारा मंजूर की गई नीति बनाएं जिसमें, अन्य बातों के साथ –साथ योजना सीमा (प्लानिंग होराइज़न) और प्राइवेट प्लेसमेंट की आवधिकता शामिल हो।

vii. एनबीएफसी अपने ही डिबेंचरों की जमानत पर ऋण नहीं देंगी (यद्यपि वह प्राइवेट प्लेसमेंट अथवा सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जारी किए गए हो)

viii. प्राइवेट प्लेसमेंट के संबंध में अन्य सभी वर्तमान निर्देश अपरिवर्तित है।

ix. इन दिशानिर्देशों के प्रावधान इस संबंध में जारी अन्य निर्देशों के विपरीत होने की स्थिति में उनका स्थान लेंगे।

बी. डिबेंचरों के लिए प्रतिभूति रक्षा (प्राइवेट प्लेसमेंट या सार्वजनिक निगम के माध्यम से):

i. एनबीएफसी सभी दृष्टि से यह सुनिश्चित करेंगी कि जारी किए गए डिबेंचर्स, कम अवधि की एनसीडी सहित, पूरी तरह से रक्षित (कवर) है। यदि जारी करते समय प्रतिभूति रक्षा (सिक्युरिटी कवर) अपर्याप्त / नहीं दी गई है, तो निर्गम से प्राप्त राशि प्रतिभूति रक्षा किए जाने तक इसे लंबित रखा जाए, जो किसी भी स्थिति में निर्गम की तारीख से एक माह के भीतर होनी चाहिए। [40]तथापि, गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार नहीं करनेवाली या धारण नहीं करनेवाली) कंपनियां विवेकपूर्ण मानदण्ड (भारतीय रिजर्व बैंक) निदेश, 2007 के पैरा 2(1)(xvii) में परिभाषित किए गए गौण ऋणों पर उपर्युक्त परिपत्र के अनुबंध के पैरा बी के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

सी. दिशानिदेशों में संशोधन:

(i) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार करना (रिजर्व बैंक) निदेश, 1998 के पैरा 2 (xii)(एफ) और (जी) में संशोधन कर यह स्पष्ट किया गया है कि केवल उन डिबेंचरों को सार्वजनिक जमाराशि की परिभाषा से छूट प्राप्त है जो अनिवार्य रूप से इक्विटी में परिवर्तनीय है अथवा पूर्ण रूप से रक्षित है। न्यूनतम साठ (60) माह की परिपक्वता वाली संकर/गौण ऋण को सार्वजनिक जमाराशि की परिभाषा से छूट प्राप्ति जारी रहेगा बशर्ते कि उसमें जारीकर्ता द्वारा उस अवधि के भीतर वापस मांगने का विकल्प न हो।

---

[39] 02 जुलाई 2013 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.349/03.10.001/2013-14 द्वारा शामिल किया गया।

[40] 02 जुलाई 2013 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.349/03.10.001/2013-14 द्वारा शामिल किया गया।

अनुबंध -4

[41]वित्तीय संकटग्रस्तता की शुरू में ही पहचान, समाधान हेतु तत्काल उपाय और उधारदाताओं हेतु उचित वसूली: अर्थ व्यवस्था में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को पुनर्जाग्रित करने के लिए संरचना

बढती एनपीए को रोकने के लिए सुधारात्मक कार्य योजना

1.1 **दबाव की जल्द पहचान करना तथा इसकी रिपोर्टिंग बड़े ऋणों से संबंधित सूचनाओं की सेंट्रल रिपोजीटरी (सीआरआईएलसी) को करना ।**

2.1.1 ऋण खाता का एनपीए बनने से पूर्व, एनबीएफसी को निम्नलिखित टेबल के अनुसार तीन उप –श्रेणी के साथ उप –परिसंपत्ति श्रेणी यथा 'विशेष वर्णन खाता' (एसएमए) बनाकर खाता के प्रारंभिक दबाव का पता लगाना होगा:

एसएमए उप –श्रेणी	**वर्गीकरण का आधार**
एसएमए-0	मूलधन अथवा ब्याज का भुगतान 30 दिनों से अधिक समय से बकाया ना हो किंतु खाते में आरंभिक दबाव के चिह्न दिखाई देते हो जैसा कि 30 जनवरी 2014 की संरचना के अनुबंध में वर्णित है।
एसएमए -1	31-60 दिनों के बीच बकाया मूलधन अथवा ब्याज का भुगतान
एसएमए -2	61-180 दिनों के बीच बकाया मूलधन अथवा ब्याज का भुगतान

1.1.2 बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग द्वारा जारी 13 फरवरी 2014 का अपने परिपत्र में बैंक द्वारा सूचित किया गया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बड़े ऋणों से संबंधित सूचनाओं का संग्रहण (सीआरआईएलसी) , स्टोर तथा उधारदाता के ऋण डाटा का प्रचार प्रसार के लिए सेंट्रल रिपोजीटरी का स्थापना किया गया। सभी संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई), एनबीएफसी-डी तथा सभी एनबीएफसी-फैक्टर (संक्षेप में अधिसूचित एनबीएफसी) को एक्सबीआरएल रिपोर्टिंग पद्धति की स्थापना होने पर अनिवार्य रूप से तिमाही आधार पर संबंधित ऋण सूचना की रिपोर्टिंग अनुबंध ॥ में दिए गए फार्मेट में सीआरआईएलसी को करें। तब तक वे सूचना हार्ड कॉपी में प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, विश्व व्यापार केन्द्र, मुंबई-400 005 को अग्रेषित करें। डाटा में सभी उधारकर्ताओं के रू5 करोड़ तथा उससे अधिक का समग्र निधि आधारित और गैर निधि आधारित एक्सपोजर और उधारकर्ता का एसएमए स्थिति शामिल होना चाहिए। अधिसूचित एनबीएफसी को रू5 करोड़ तथा उससे अधिक का निधि आधारित और/अथवा गैर निधि आधारित एक्सपोजर वाले अपने उधारकर्ताओं का सटिक पैन ब्योरा, आयकर अभिलेख से विधिवत प्रमाणित किया गया, के साथ तैयार रहना चाहिए।

1.1.3 व्यक्तिक अधिसूचित एनबीएफसी को एसएमए-1 और एसएमए-0 के रूप में रिपोर्ट किए गए खातों का ध्यानपूर्वक निगरानी करना चाहिए, क्योंकि यह खातों के कमजोरी का प्रारंभिक सावधानी प्रतीक होते है।

---

[41] 21 मार्च 2014 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.371/03.05.02/2013-14 द्वारा शामिल किया।

तथापि, एक अथवा एक से अधिक उधारदाता बैंकों/अधिसूचित एनबीएफसी द्वारा खातों को यथा शीघ्र एसएमए-2 के रूप में रिपोर्ट करना, यह अनिवार्य रूप से संयुक्त ऋणदाताओं के फोरम (जेएलएफ) और संरचना के पैरा 2.3 में विनिर्दिष्ट सुधारात्मक कार्रवाई योजना(सीएपी) के निर्माण को गति प्रदान करेगा। अधिसूचित एनबीएफसी को समुचित प्रबंधन सूचना और रिपोर्टिंग प्रणाली को आवश्यक रूप से एक स्थान पर रखना चाहिए ताकि किसी भी खाते में 60दिनों से अधिक बकाया मूलधन अथवा ब्याज को एसएमए-2 के रूप में रिपोर्टिंग अनुबंध III में दिए गए फार्मेट में, हार्ड प्रति में, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, विश्व व्यापार केन्द्र, मुंबई-400 005 को करें। एनबीएफसी को एक्सबीआरएल संरचना में शीघ्र रिपोर्टिंग का प्रयास करना चाहिए।

1.2 **त्वरित प्रावधानीकरण**

1.2.1 ऐसे मामलों में जहां एनबीएफसी, सीआरआईएलसी को खाते का एसएमए स्थिति रिपोर्ट करने में विफल होती है अथवा खाते की वास्तविक स्थिति को जानबुझ कर गुप्त रखती है अथवा खाते को हमेशा सतत दिखाती है, ऐसी स्थिति में एनबीएफसी को इन खातो के प्रति त्वरित प्रावधानीकरण करना चाहिए और/अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उचित समझी जाने वाली अन्य पर्यवेक्षी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे गैर निष्पादित खातो के संबंध में वर्तमान प्रावधानीकरण मापदंड तथा संशोधित त्वरित प्रावधानीकरण निम्न प्रकार से है:

परिसंपत्ति वर्गीकरण	एनपीए की अवधि	एनबीएफसी के लिए एनपीए की अवधि	एनबीएफसी वर्तमान प्रावधानीकरण* (%)	बैंकों और प्रस्तावित एनबीएफसी के लिए संशोधित त्वरित प्रावधानीकरण (%)
उप –मानक (प्रतिभूत)	6 माह तक			कोई परिवर्तन हीं
	6 माह से 1 वर्ष तक	6 माह से डेढ वर्ष तक	प्रतिभूत तथा गैर प्रतिभूत के लिए 10	25
उप-मानक (गैर प्रतिभूत नए सिरे से)	6 माह तक	--		25
		--		
	6 माह से 1 वर्ष तक	6 माह से डेढ वर्ष तक	10	40
		6 माह से डेढ वर्ष तक	10	
संदेहपूर्ण ।	द्वितीय वर्ष	एक वर्ष तक (प्रतिभूत भाग)	20	40 (प्रतिभूत भाग)
		एक वर्ष तक (गैर प्रतिभूत भाग)	100	100 (गैर प्रतिभूत भाग)

		1-3 वर्ष	प्रतिभूत भाग के लिए 30 तथा गैर प्रतिभूत भाग के लिए 100	एनबीएफसी उक्त को अंगीकृत कर सकती है जैसे 40 और 100
संदेहपूर्ण II	तृतीय और चतुर्थ वर्ष	तीन वर्ष से अधिक	गैर प्रतिभूत भाग के लिए 100 तथा प्रतिभूत भाग के लिए 50	प्रतिभूत तथा गैर प्रतिभूत दोनो के लिए 100
संदेहपूर्ण III	पांच वर्ष तथा उससे आगे के लिए			100

1.2.2 इसके अतिरिक्त, कोई उधारदाता जो जेएलएफ द्वारा सीएपी के तहत पुनर्रचना के निर्णय के लिए सहमत है तथा अंतर क्रेडिटर करार (आईसीए) और डेबटर क्रेडिटर करार (डीसीए) का हस्ताक्षरकर्ता है, किंतु बाद में स्वरूप में परिवर्तन करता है अथवा पैकेज के कार्यान्वयन में विलम्ब/मना करता है वह भी इस उधारकर्ता के लिए अपने एक्सपोजर पर उक्त विनिर्दिष्ट त्वरित प्रावधानीकरण आवश्यकताओं के अधीन होंगे; यदि यह एनपीए के रूप में वर्गीकृत है। यदि खाता उन उधारदताओं के बही में मानक है तब प्रावधानीकरण आवश्यकता 5% होगी। इसके अतिरिक्त, उधारदाता द्वारा ऐसी कोई भी पश्च अनुमार्गण से पर्यवेक्षी समीक्षा तथा मूल्यांकन पद्धति के दौरान नकरात्मक पर्यवेक्षी दृष्टिकोण बनेगा।

1.2.3 वर्तमान में, परिसंपत्ति वर्गीकरण का आधार अलग- अलग एनबीएफसी की वसूली अभिलेख पर निर्भर करता है तथा प्रत्येक एनबीएफसी के स्तर पर परिसंपत्ति वर्गीकरण स्थिति के आधार पर प्रावधानीकरण किया जाता है। तथापि, यदि उधारदाता जेएलएफ का संयोजन करने में विफल होता है अथवा निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सामान्य सीएपी के सहमति पर विफल होता है तब उक्त विनिर्दिष्ट के अनुसार खाता त्वरित प्रावधानीकरण के अधीन होगा, यदि खाता एनपीए के रूप में वर्गीकृत है तो। यदि खाता उन उधारदताओं के बही में मानक है तब प्रावधानीकरण आवश्यकता 5% होगी।

1.3 "असहयोगी उधारकर्ता"

1.3.1 सभी अधिसूचित एनबीएफसी को "असहयोगी उधारकर्ताओं" की पहचान करना चाहिए। एक "असहयोगी उधारकर्ता" को इस रूप में वर्णन किया जा सकता है कि 2 अनुस्मारक के बाद भी उधारदाता द्वारा अपेक्षित आवश्यक सूचना नहीं प्रदान करने वाला अथवा मंजूरी के शर्तों के अनुसार प्रतिभूतियों आदि तक पहुंच बनाने से मना करने वाला, अथवा निर्धारित समयावधि के अंदर ऋण करार के अन्य नियम का पालन नहीं करने वाला या एनबीएफसी के साथ पुनर्भुगतान के मामलें में विचारविमर्श में प्रतिपक्षी /उदासीन अथवा इनकार का रूख रखने वाला अथवा कुछ समाधान क्षितिज पर झुठा वादा करके समय से खेलने वाला या ऐसे ऋण ऋणदाता के हित में समय के संकल्प को विफल करने के लिए मुकदमेबाजी के रूप में दुर्भाग्यपूर्ण रणनीति बनाने वाला। उधारकर्ताओं को उनका नाम असहयोगी उधारकर्ता के रूप में रिपोर्ट करने से पूर्व उन्हें अपना मत स्पष्ट करने के लिए 30 दिनों का समयावधि दिया जाएगा।

1.3.2 उधारदाताओं के वास्तविक समाधान/वसूली के प्रयास में उधारकर्ताओं/चूककर्ताओं का असहयोगी तथा अनुचित बनने को हतोत्साहित करने के लिए, एनबीएफसी को उधारकर्ताओं को उचित सूचना देना चाहिए तथा यदि संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तब ऐसे उधारकर्ताओं को असहयोगी उधारकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया जाए। अधिसूचित एनबीएफसी द्वारा ऐसे उधारकर्ताओं के वर्गीकरण का रिपोर्ट सीआरआईएलसी किया जाए। इसके अतिरिक्त, एनबीएफसी को ऐसे उधारकर्ताओं के नए ऋण/एक्सपोजर सहित ऐसे प्रोमोटर्स/निदेशक द्वारा प्रायोजित अन्य कंपनी के नए ऋण/एक्सपोजर के लिए भी अथवा ऐसी कंपनी जिसके बोर्ड में इस असहयोगी उधारकर्ता का निदेशक कोई प्रोमोटर्स/निदेशक हो, के के संबंध में उच्च/त्वरित प्रावधानीकरण करना होगा। यह प्रावधानीकरण ऐसे मामलों पर लागू होगा जहां दर 5% का है तथा मानक खाता और त्वरित प्रावधानीकरण किया गया हो यदि यह एनपीए होतो। चूंकि ऐसे असहयोगी उधारकर्ता का एक्सपोजर पर अपेक्षित हानि उच्च होने की संभावना है अत: इस प्रकार का विवेकपूर्ण उपाय किया जाए।

2. बोर्ड अन्वेक्षण (निगरानी)

2.1 एनबीएफसी के निदेशक मंडल को उनके बही में परिसंपत्ति की गुणवत्ता ह्रास को रोकने केलिए सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे तथा ऋण जोखिम प्रबंधन पद्धति को बेहतर बनाने के लिए ध्यान देना होगा। उधारदाता का अतिसक्रियता से परिसंपत्ति गुणवत्ता में समस्या की जल्द पहचान जा सकता है जो संरचना में आवश्यक निहित समाधान है तथा सीआरआईएलसी का उपयोग कर इसे जल्द से जल्द परिचालनगत बनाया जाए।

2.2 बोर्ड यह सुनिश्चित करें कि ऋण सूचना का समय पर प्रावधान और सीआरआईएलसी से ऋण सूचना प्राप्त करना, शीघ्र जेएलएफ का निर्माण, जेएलएफ प्रक्रिया की निगरानी के लिए नीति बनाया जाए तथा उक्त नीति का आवधिक समीक्षा किया जाए।

3. ऋण जोखिम प्रबंधन

3.1 अधिसूचित एनबीएफसी को ऋण के सभी मामलों अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण और ऋण मूल्यांकन घटक अपनाना चाहिए तथा वाह्य सलाहकार, विशेषकर उधारकर्ता संस्था का इन-हाउस सलाहकार द्वारा बनाये गए ऋण मूल्यांकन रिपोर्ट पर केवल निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्हें सूक्ष्म रूप से जांच/ परिप्रेक्ष्य विवेचना करना चाहिए, विशेषक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में जहां विलम्ब के साथ साथ परियोजना की लागत में बढोत्तरी होती है। सुधारात्मक कार्य योजना (सीएपी) तय करते समय परियोजना की व्यावहारिकता के दृष्य पर चर्चा करना सहायक होगा। एनबीएफसी को प्रोमोटर्स/शेयरधारकों द्वारा लाई गई इक्विटी पूंजी का स्रोत तथा गुणवत्ता को सुनिश्चित करना चाहिए। बहु लीवरेजिंग एक चिंता का विषय है विशेषकर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में क्योंकि यह वित्तीय अनुपात जैसे डेट/इक्विटी अनुपात, उधारकर्ता के चयन में प्रतिकूल भूमिका को छद्मवार प्रभावित करता है। अत: एनबीएफसी को ऋण मूल्यांकन के समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मूल कंपनी के डेट को सहायक/एसपीवी के इक्विटी पूंजी में समावेशित नहीं किया जाए।

3.2 ऋण मूल्यांकन करते समय अधिसूचत एनबीएफसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कंपनी का कोई निदेशक का नाम डीआईएन/पीएएन के संदर्भ में चूककर्ता की सूची में प्रदर्शित नहीं हो रहा हो। इसके अतिरिक्त, समरूप नाम के प्रति कोई संदेह उत्पन्न होता है तो एनबीएफसी को उधारकर्ता कंपनी से घोषणा पत्र लेने के बजाए अपने स्वतंत्र माध्यम से पहचान की पुष्टि करनी चाहिए।

3.3 उक्त के अलावा, अधिसूचित एनबीएफसी को सूचित किया जाता है कि निधि का उचित उपयोग और उधारकर्ता द्वारा निधि का अपयोजन/साइफन की रोकथाम को सुनिश्चित करने के लिए, एनबीएफसी को उधारकर्ता के लेखा परीक्ष द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र पर भरोसा किए बिना स्वयं अपने लेखा परीक्षकों को ऐसे प्रमाणिकरण के कार्य में संलिप्त करना चाहिए। तथापि, यह एनबीएफसी के लिए मामले में स्वयं का न्यूनतम तत्परता का विकल्प नहीं है।

5. अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/एनबीएफसी के गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) की खरीद/बिक्री

5.1 बैंपविवि का गैर निष्पादित आस्तियों की खरीद/बिक्री पर दिशानिदेश (एनबीएफसी पर भी लागू) पर परिपत्र को बैंपविवि के मास्टर परिपत्र "आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा अग्रिमों के संबंध में प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड" में समेकित और अद्यतन किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किया गया है:

बैंक के बही की गैर निष्पादित आस्ति केवल अन्य बैंकों को बिक्री के लिए पात्र होंगी यदि यह बिक्रीकर्ता बैंक के बही में कम से कम पिछले दो वर्षों से गैर निष्पादित आस्ति के रूप में बनी रही हो तो।

गैर निष्पादित आस्ति को खरीदकर्ता बैंक द्वारा इसे अन्य बैंक को बिक्री करने के पूर्व कम से कम 15 माह की अवधि के लिए अपने बही में रखना होगा।

6.2 उक्त में थोड़ा संशोधन करते हुए सूचित किया जाता है कि एनबीएफसी अपने एनपीए को बिना किसी प्रारंभिक धारण अवधि के अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/एनबीएफसी (एससी/आरसी को छोड़कर) को बेच सकती है। तथापि, *गैर निष्पादित आस्ति को खरीदकर्ता बैंक/वित्तीय संस्थान/एनबीएफसी द्वारा इसे अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान/एनबीएफसी (एससी/आरसी को छोड़कर) को बिक्री करने के पूर्व कम से कम 12 माह की अवधि के लिए अपने बही में रखना होगा। ऐसी आस्तियों का खरीदकर्ता बैंक/वित्तीय संस्थान/एनबीएफसी के बही में आस्ति वर्गीकरण पर मौजूदा दिशानिर्देश में कोई परिवर्तन नहीं है।*

परिशिष्ट

परिपत्रों की सूची

क्र.	परिपत्र सं.	दिनांक
1	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं.11/02.01/99-2000	15 नवंबर 1999
2	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 15/02.01/2000-2001	27 जून 2001
3	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 27/02.05/2003-2004	28 जुलाई 2003
4	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 28/02.02/2002-2003	31 जुलाई 2003
5	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 37/02.02/2003-2004	17 मई 2004
6	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 38/02.02/2003-2004	11 जून 2004
7	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 42/02.59/2004-2005	24 जुलाई 2004
8	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 43/05.02/2004-2005	10 अगस्त 2004
9	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 47/02.01/2004-2005	7 फरवरी 2005
10	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 49/02.02/2004-2005	9 जून 2005
11	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 79/03.05.002/2006-2007	21 सितंबर 2006
12	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 81/03.05.002/2006-2007	19 अक्तूबर 2006
13	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं.82/03.02.02/2006-2007	27 अक्तूबर 2006
14	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 87/03.02.004/2006-2007	4 जनवरी 2007
15	गैबैंपवि.नीति प्रभा./ कंपरि. सं. 105/03.10.001/2007-2008 @ वास्तविक परिपत्र सं: गैबैंपवि.नीति प्रभा./ कंपरि. सं. 96/03.10.001/2007-2008 होना चाहिए।	31 जुलाई 2007
16	गैबैंपवि.नीति प्रभा./ कंपरि. सं. 109/03.10.001/2007-2008	26 नवंबर 2007
17	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 114/03.02.059/2007-2008	17 जून 2008
18	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 124/03.05.002/2008-2009	31 जुलाई 2008
19	गैबैंपवि.नीति प्रभा. कंपरि. सं. 128/03.02.059/2008-2009	15 सितंबर 2008
20	गैबैंपवि.नीति प्रभा./ कंपरि. सं. 130/03.05.002/2008	24 सितंबर 2008
21	गैबैंपवि.नीति प्रभा./ कंपरि. सं. 137/03.05.002/2008-2009	2 मार्च 2009
22	गैबैंपवि.नीति प्रभा./ कंपरि. सं. 142/03.05.002/2008-2009	9 जून 2009
23	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 167/03.10.01/2009-2010	4 फरवरी 2010
24	गैबैंपवि.नीति प्रभा. कंपरि. सं. 168/03.02.089/2009-2010	12 फरवरी 2010
25	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 173/03.10.01/2009-2010	3 मई 2010
26	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 174/03.10.001/2009-2010	6 मई 2010
27	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 191/03.10.001/2010-11	27 जुलाई 2010
28	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 195/03.10.001/2010-11	9 अगस्त 2010
29	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 200/03.10.001/2010-11	17 सितम्बर 2010
30	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 206/03.10.001/2010-11	5 जनवरी 2011

31	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 208/03.10.01/2010-11	27 जनवरी 2011
32	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 245/03.10.42/2011-12	27 सितम्बर 2011
33	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 248/03.10.01/2011-12	28 अक्तूबर 2011
34	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 259/03.02.59/2011-12	15 मार्च 2012
35	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 253/03.10.01/2011-12	26 दिसम्बर 2011
36	गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं. 265/03.10.01/2011-12	21 मार्च 2012
37	गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं. 301/3.10.01/2012-13	21 अगस्त 2012
38	गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं. 308 /03.10.001/2012-13	6 नवम्बर 2012
39	गैबैंपवि(सूचना) कंपरि.सं. 309/24.01.022 /2012-13	8 नवम्बर 2012
40	गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं. 312 /03.10.01/2012-13	7 दिसम्बर 2012
41	गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं. 316/03.10.001/2012-13	20 दिसम्बर 2012
42	गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं. 326/03.10.01/2012-13	27 मई 2013
43	गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं. 330/03.10.01/2012-13	27 जून 2013
44	गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं. 349/03.10.001/2013-14	02 जुलाई 2013
45	गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.353/03.10.042/2013-14	26 जुलाई 2013
46	गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं. 359/03.10.001/2013-14	06 नवम्बर 2013
47	गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.360/03.10.001/2013-14	12 नवम्बर 2013
48	गैबैंपवि केंका नीप्र सं.367/03.10.01/2013-14	23 जनवरी 2014
49	गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.371/03.05.02/2013-14	21 मार्च 2014
50	गैबैंपवि.नीप्र.सं.372/3.10.01/2013-14	24 मार्च 2014
51	गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.373/03.10.01/2013-14	7 अप्रैल 2014
52	गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं. 376/03.10.001/2013-14	26 मई 2014
53	गैबैंपवि.कंपरि.नीप्र.सं. 377/03.10.01/2013-14	27 मई 2014

XXXXX